

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13 (हिन्दी)




हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति एवम्
राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान
डी.पी.ई.पी. भवन, लालपानी, शिमला-171001

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13 (हिन्दी)





शिक्षा का अधिकार



सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति एवम्
राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान
डी.पी.ई.पी. भवन, लालपानी, शिमला-171001






(See Rule-7)

**CERTIFICATE OF REGISTRATION OF THE
PROPOSED AMMENDMENT OF THE SOCIETY.**

No. 120/95

This is to certify that the registered society
"Himachal Pradesh Primary education society-Cum-
Sarva Shikasha Abhiyan-State Mission Authority, Glen
Hagen, Lalpani, shimla-171001", located at Lalpani in
Shimla, Tehsil (Urban) of District Shimla has changed its
name and has now been registered under the name of "Himachal
~~Pradesh School Education Society~~", at Directorate of
~~Education, Glen Hogen, Shimla-171001, H.P.~~ under Sub-
section (2) of Section 11 of the Himachal Pradesh Societies Registration
Act, 2006.(No. 25 of 2006) on the 19th day of March, 2010.



201
Registrar of Societies
Distt. SHIMLA (H.P.)

Approved to be a true copy.
State Project Director
(SSA), H.P.

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय-1	सर्व शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश (एस०एस०ए०)	3-4
अध्याय-2	कार्यक्रम प्रबन्धन	5-11
अध्याय-3	विभिन्न गतिविधियों में प्रगति	12-80
	1. निर्माण कार्य	12-14
	2. स्कूल से बाहर बच्चों की वर्तमान स्थिति	15-16
	3. प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवम् शिक्षा कार्यक्रम	16-17
	4. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समाकेतिक शिक्षा	17-23
	5. बालिका शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा प्रारम्भिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	24-33
	6. गुणवत्ता के लिए पहल	33-35
	7. सामुदायिक सहभागिता	35-37
	8. दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम	38-39
	9. अनुसंधान गतिविधियां	39-48
	10. मूल्यांकन गतिविधियां	48-69
	11. मीडिया गतिविधियां	70-71
	12. सूचना प्रबन्धन प्रणाली	71-73
	13. योजना एवम् प्रबन्धन	74
	14. शिक्षा का अधिकार अधिनियम	75-80
अध्याय-4	ऑडिट एवम् एकाउन्ट्स ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट प्रमाण पत्र तुलन पत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र	81-119

हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में सामान्य सूचना

स्थापना	15 अप्रैल, 1948
राज्यत्व प्राप्ति	25 जनवरी, 1971
स्थान :	
दक्षांश	75 ⁰ 45' 55" E to 79 ⁰ 04' 20" E
अक्षांश	30 ⁰ 22' 40" N to 33 ⁰ 12' 40" N
क्षेत्र	55,673 Sq. Km.
ज़िला	12
तहसील	83
विकास खण्ड	77
आबाद गांव	17495
जनसंख्या (2011)	
कुल जनसंख्या	68.57 लाख
पुरुष	34.74 लाख
महिलाएं	33.83 लाख
घनत्व	
जनसंख्या का घनत्व	123 प्रति व्यक्ति/वर्ग कि.मी.
अत्याधिक	406 प्रति व्यक्ति/वर्ग कि.मी. (हमीरपुर)
न्यूनतम	2 प्रति व्यक्ति/वर्ग कि.मी. (लाहौल-स्पिति)
लिंग अनुपात	974 / 1000 पुरुष/महिलाएं
जनसंख्या स्तर (2011) %	
ग्रामीण	61.7 लाख (89.6%)
शहरी	6.9 लाख (10.4%)
अनुसूचित जाति	15.0 लाख
अनुसूचित जनजाति	2.4 लाख
साक्षरता दर (2011)	
साक्षरता दर	83.78 प्रतिशत
पुरुष साक्षरता	90.83 प्रतिशत
महिला साक्षरता	76.60 प्रतिशत
गांव का विद्युतीकरण	100 प्रतिशत
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या :	68
संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
लोकसभा	4
राज्यसभा	3

स्रोत :- वाणिज्य एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला

हिमाचल प्रदेश में जिलावार साक्षरता दर (2011)

जिला	जनसंख्या	पुरुष	महिलाएं	जन्म दर	लिंगानुपात	साक्षरता दर	घनत्व
बिलासपुर	382056	192827	189229	12.08	981	85.67	327
चम्बा	518844	260848	257996	12.58	989	73.19	80
हमीरपुर	454293	216742	237551	10.08	1096	89.01	406
कांगड़ा	1507223	748559	758664	12.56	1013	86.49	263
किन्नौर	84298	46364	37934	7.61	818	80.77	13
कुल्लू	437474	224320	213154	14.65	950	80.14	79
लाहौल-स्पिति	31528	16455	15073	-5.1	916	77.24	2
मण्डी	999518	496787	502731	10.89	1012	82.81	253
शिमला	813384	424486	388898	12.58	916	84.55	159
सिरमौर	530164	276801	253363	15.61	915	79.98	188
सोलन	576670	306162	270508	15.21	884	85.02	298
ऊना	521057	263541	257516	16.24	977	87.23	338

जिला	पुरुष/महिलाएं प्रति हजार
किन्नौर	818
सोलन	884
सिरमौर	915
लाहौल-स्पिति	916
शिमला	916
कुल्लू	950
ऊना	977
बिलासपुर	981
चम्बा	989
मण्डी	1012
कांगड़ा	1013
हमीरपुर	1096

अध्याय – 1

सर्व शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश (एस.एस.ए.)

सर्व शिक्षा अभियान स्कूलों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर एक समयावधि विशेष में गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लक्ष्य पर आधारित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 6-14 वर्ष आयुवर्ग के हर बच्चे को स्कूल पहुंचाना तथा उसे अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है। अतः सर्व शिक्षा अभियान स्कूल प्रणाली में सुधार लाने तथा सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से गुणात्मक प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन मोड में उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रयास है।

पिछले पाँच दशकों में योजनाकारों, प्रशासकों, शिक्षाविदों एवं सम्पूर्ण राष्ट्र का ध्यान प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा भारतीय संविधान के निर्देशों की पूर्ति की ओर आकृष्ट हुआ है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्ययोजना 1992 में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को उच्च प्राथमिकता दी गई है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इस दिशा में अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम लघु एवं बड़े स्तर पर चलाए गए हैं। परिणामस्वरूप बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा तक पहुंच, स्कूल प्रवेश एवं स्कूल में बने रहने, स्कूल में उपस्थिति तथा शिक्षा विशेषकर लड़कियों की शिक्षा की मांग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति को गति देने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रारम्भिक शिक्षा मिशन का गठन किया गया। राज्य स्तर पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में इसी प्रकार का मिशन बनाया गया। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संवैधानिक वचनबद्धता को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है।

- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लिए एक निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम।
- देश भर में गुणात्मक शिक्षा की मांग को पूरा करने की दिशा में एक कदम।
- आधारभूत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का अवसर।
- देश भर में सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा हेतु राजनैतिक इच्छाशक्ति का भाव।
- केन्द्रीय, राज्य एवम् स्थानीय सरकारों के मध्य भागीदारी।
- राज्यों को प्रारम्भिक शिक्षा के लिए अपना दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त अवसर।
- स्कूल प्रबन्धन समितियों (SMCs) का स्कूलों के प्रबंधन में सक्रिय एवं प्रभावशाली भागीदारी का प्रयास।

- गरीबी उन्मूलन एवं जीवन स्तर ऊँचा उठाने की दिशा में कार्यशील अन्य विभागों के साथ कारगर नियोजन।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जब सभी राज्यों में संरचनात्मक ढांचे संबंधी सुविधाओं में सुधार दर्ज कर लिया गया है, बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने का मुद्दा अन्य सभी उद्देश्यों से महत्त्वपूर्ण हो गया है।

कार्यक्रम क्रियान्वयन :

सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी 12 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत स्थापित राज्य परियोजना कार्यालय को ही एस.एस.ए. के क्रियान्वयन हेतु उपयोग में लाया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान की शासकीय परिषद् की बैठक साल में 2 बार आयोजित की जाती है जबकि कार्यकारी परिषद् की बैठक तीन माह में एक बार आयोजित होती है। राज्य में अध्यापन संबंधी नवीकरण के कार्य और अक्षम बच्चों की समेकित शिक्षा के लिए राज्य स्त्रोत समूह (एस.आर.जी.) को सक्रिय किया गया है। इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अन्य संस्थानों द्वारा की जा रही है ताकि एस.एस.ए. का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा सके। आन्तरिक समीक्षा, लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण भी नियमित रूप से योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं ताकि धन राशि का उचित उपयोग कर इसके खर्चे को गति प्रदान कर एस.एस.ए. के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। इसमें प्रशिक्षण, प्रशिक्षण माड्यूल व अनुसंधान कार्य भी सम्मिलित है।

मुख्य प्रशासकीय धारा से भी सम्पर्क बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हैं। खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों तथा केन्द्र मुख्य अध्यापकों की वित्त प्रबन्धन एवं प्रशासन संबंधी क्षमता को बेहतर बनाने हेतु भी प्रयास किए गए हैं। उनसे अध्ययन संबंधी शैक्षिक सहायता भी प्राप्त की जा रही है। राज्य सरकार के साथ संयुक्त प्रयासों में तेज़ी लाकर युक्तिकरण, पुनः तैनाती, अध्यापकों के रिक्त पदों की भर्ती, डाइट्स (DIETs), एस.सी.ई.आर.टी. (SCERT) और सीमेट (SIEMAT) को सशक्त करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है।

अध्याय – 2

कार्यक्रम प्रबन्धन

हिमाचल प्रदेश में एस.एस.ए. तथा डी.पी.ई.पी. के क्रियान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा समिति (एच.पी.पी.ई.एस.) नामक एक स्वायत्त संस्था को जिला शिमला में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार सोसाइटीज द्वारा पंजीकृत किया गया है। यह संस्था क्रम सं. 120/95 के अन्तर्गत हिमाचल सरकार के प्रधान सचिव (शिक्षा) बतौर अध्यक्ष के नाम से पंजीकृत हुई है तथा इसका मुख्यालय प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, ग्लेन हॉगन, लालपानी शिमला-171 001 में स्थित है। 19 मार्च 2010 को इस संस्था का नाम बदल कर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति कर दिया गया है।

प्रबन्धन

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा समिति (एच.पी.पी.ई.एस.) द्वारा मिशन के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है तथा इसके दो मुख्य संगठन शासकीय परिषद् जिसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं तथा कार्यकारी परिषद् जिसके अध्यक्ष हि.प्र. राज्य सरकार में प्रधान सचिव (शिक्षा) हैं।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति एवं एस.एस.ए. राज्य मिशन अधिकारी

शासकीय परिषद्

(संघीय ज्ञापन के नियम-7 के अन्तर्गत गठित)

1. माननीय मुख्यमंत्री, हि०प्र०	अध्यक्ष
2. माननीय शिक्षा मंत्री, हि०प्र०	उपाध्यक्ष
3. मुख्य सचिव, हि०प्र० सरकार	पदेन सदस्य
4. प्रधान सचिव वित्त, हि०प्र० सरकार	पदेन सदस्य
5. प्रधान सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, हि०प्र० सरकार	पदेन सदस्य
6. प्रधान सचिव सामाजिक और महिला कल्याण हि०प्र० सरकार	पदेन सदस्य
7. प्रधान सचिव, शिक्षा, हि०प्र०	पदेन सदस्य
8. प्रधान, सचिव जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हि०प्र० सरकार	पदेन सदस्य
9. प्रधान, सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, हि०प्र० सरकार	पदेन सदस्य
10. प्रधान सचिव स्थानीय स्वयत्त प्रशासन, हि०प्र० सरकार	पदेन सदस्य
11. प्रधान सचिव, जन सम्पर्क, हि०प्र० सरकार	पदेन सदस्य
12. आयुक्त/सचिव जनजातीय विकास, हि०प्र० सरकार	पदेन सदस्य

13. प्राचार्य, एससीईआरटी, सोलन	पदेन सदस्य
14. अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश, स्कूल शिक्षा बोर्ड	पदेन सदस्य
15. सुश्री इंदिरा चौहान, के.मु.शि., रा.प्रा.पा. पांवटा साहिब, जिला सिरमौर	नामित सदस्य
16. श्री चमन ठाकुर, सेवानिवृत्त, बी०पी०ई०ओ०, ग्राम कोठी, डा० चौलथरा, सरकाघाट, जिला मंडी	नामित सदस्य
17. श्री रमेश ठाकुर, जे.बी.टी., रा.प्रा.पा., बेलाग दा घाट, भोरंज, हमीरपुर	नामित सदस्य
17. श्री बलदेव चंद धीमान सेवानिवृत्त, प्रधानाचार्य, ग्राम ककरयाना, टिक्कर (डिडवीं), हमीरपुर	नामित सदस्य
19. श्री ब्रह्म दत्त शर्मा, सेवानिवृत्त उप-निदेशक गांव व डाकघर बेला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर	नामित सदस्य
20. श्रीमती प्रेमी देवी, बी०ई०ई०ओ०, झंडुता जिला बिलासपुर	नामित सदस्य
21. श्रीमती किरण गेरा, प्रज्ञा(एनजीओ), जीवन ज्योति बिल्डिंग, वी०पी०ओ० रिकांगपिओ किन्नौर	नामित सदस्य
22. श्रीमती संजना गोयल, आई०ए०एम०डी०, अस्पताल रोड, सोलन	नामित सदस्य
23. डॉ० एन०के० शर्मा, क्लीनिकल मनोविज्ञानी, नेशनल स्ट्रीट, मंडी	नामित सदस्य
24. श्री बलदेव राज अवस्थी(आयुर्वेदिक अधिकारी) नजदीक गैस एजेंसी, कुल्लू	नामित सदस्य
25. श्रीमती चन्द्रकला, सी०डी०पी०ओ०, ग्राम द्रंग, डाकघर कुन्नु जिला मंडी	नामित सदस्य
26. श्रीमती सतवीर कौर, धर्म पत्नी श्री पी०एस० बोंसरा, गांव व डाकघर देहलां ऊना	नामित सदस्य
27. श्री एस०एन० शौरी, सेवानिवृत्त उपनिदेशक धर्मशाला	नामित सदस्य
28. श्री जगदीश शर्मा, श्री हरि कुंज, लोअर कैथू शिमला-3	नामित सदस्य
29. संबन्धित संयुक्त सचिव अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	भा.स. द्वारा नामित
30. वित्तीय सलाहकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय या उनके द्वारा नामित सदस्य	भा.स. द्वारा नामित
31. डॉ० गोविन्द, एन०यू०ई०पी०ए०	भा.स. द्वारा नामित
32. उप कुलपति हि०प्र० विश्वविद्यालय शिमला	भा.स. द्वारा नामित
33. श्री जे०बी०जी० तिलक, वरिष्ठ फैलो एन०यू०ई०पी०ए०	भा.स. द्वारा नामित
34. प्रो. श्याम मेनन, सी०आई०ई० दिल्ली विश्वविद्यालय	भा.स. द्वारा नामित
35. प्रो. आलोक गुहा, विकलांगता कारपोरेशन नई दिल्ली	भा.स. द्वारा नामित
36. श्री आर०डी० मुडां, पूर्व कुलपति, रांची विश्वविद्यालय	भा.स. द्वारा नामित
37. श्री सुभाष माहादपुरकार, सूत्रा सोलन	भा.स. द्वारा नामित
38. सुश्री कुजंजा सिंह, रेंजर पैलेस, जिला सिरमौर, हि०प्र०	भा.स. द्वारा नामित
39. डॉ. पाम राजपूत, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़	भा.स. द्वारा नामित
40. निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	भा.स. द्वारा नामित
41. निदेशक, एन.यू.ई.पी.ए. अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	भा.स. द्वारा नामित
42. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं मिशन निदेशक, एस.एस.ए., हि.प्र.	सदस्य सचिव
43. अतिरिक्त/संयुक्त/उप सचिव शिक्षा	सदस्य
44. राज्य परियोजना निदेशक, एस.एस.ए., हि.प्र.	सदस्य



कार्यकारी परिषद्
भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
(संघीय ज्ञापन के नियम-24 के अन्तर्गत गठित)
हि.प्र. शिक्षा समिति


- | | |
|--|-----------------------|
| 1. संयुक्त सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मा.सं.वि.मं., नई दिल्ली | भा.स. द्वारा नामांकित |
| 2. वित्त सलाहकार, प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मा.सं.वि.मं., नई दिल्ली | भा.स. द्वारा नामांकित |
| 3. डॉ. आर. गाविन्दा, कुलपति, एन.यू.ई.पी.ए., नई दिल्ली | भा.स. द्वारा नामांकित |
| 4. डॉ. रीता मल्होत्रा, अमर ज्योति ट्रस्ट, नई दिल्ली | भा.स. द्वारा नामांकित |
| 5. सुश्री विमला रामचन्द्रन, सह. विकास अपार्टमेंट,
168-आईपी एक्सटेंशन, नई दिल्ली | भा.स. द्वारा नामांकित |

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य

- | | |
|---|------------|
| 1. प्रधान सचिव (शिक्षा) हि०प्र० सरकार | अध्यक्ष |
| 2. प्रधान सचिव (वित्त) हि०प्र० सरकार | सदस्य |
| 3. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण) हि०प्र० सरकार | सदस्य |
| 4. प्रधान सचिव (योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी) हि०प्र० सरकार | सदस्य |
| 5. अतिरिक्त/उप सचिव शिक्षा, हि०प्र० सरकार | सदस्य |
| 6. सचिव हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला | सदस्य |
| 7. निदेशक उच्च शिक्षा, हि.प्र. | सदस्य |
| 8. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं मिशन निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, हि०प्र० | सदस्य |
| 9. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, हि०प्र० | सदस्य सचिव |
| 10. प्राचार्य एस.सी.ई.आर.टी, सोलन | सदस्य |
| 11. सुश्री संजना गोयल, आई.ए.एम.डी., हॉस्पिटल रोड, सोलन | सदस्य |
| 12. श्री जगदीश शर्मा, श्री हरि कुंज, लोअर कैथू, शिमला | सदस्य |
| 13. निदेशक एस०एस०ए० मॉनिटरिंग संस्थान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला | सदस्य |
| 14. श्री ब्रह्मदत्त शर्मा, सेवानिवृत्त उपनिदेशक, ग्रा. बेला, नादौन, हमीरपुर | सदस्य |

□□□□





सर्व शिक्षा अभियान, हि०प्र० के अन्तर्गत पदों की श्रेणीवार स्थिति

श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे गये	रिक्त	टिप्पणी
राज्य परियोजना कार्यालय				
मिशन निदेशक	1	1	0	पदेन
राज्य परियोजना निदेशक	1	1	0	हि०प्र०से० अधिकारी
संयुक्त नियंत्रक (वि० एवं ले०)	1	1	0	
सहायक नियंत्रक (वि० एवं ले०)	1	1	0	अस्थायी स्थानांतरण आधार पर
अधीक्षक, ग्रेड-II	1	1	0	अस्थायी स्थानांतरण आधार पर
वरिष्ठ सहायक	1	1	0	अस्थायी स्थानांतरण आधार पर
विधि सहायक	1	0	1	
कनिष्ठ सहायक	1	0	1	
प्रवक्ता	6	6	0	अस्थायी स्थानांतरण आधार पर
निजी स० मिशन निदेशक	1	0	1	
निजी स० राज्य परियोजना निदेशक	1	0	1	
लेखाकार	2	2	0	अस्थायी स्थानांतरण आधार पर/अनुबंध
एम०आई०एस० प्रभारी	1	1	0	अनुबंध आधार पर
सांख्यिकीविद्	1	0	1	अनुबंध आधार पर
सहायक अभियन्ता	1	0	1	
सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	अनुबंध आधार पर
कनिष्ठ अभियन्ता	2	1	1	प्रारूपकार वर्तमान में कनिष्ठ अभियन्ता की जगह पर कार्यरत
महिला विकास प्रभारी	1	1	0	अनुबंध आधार पर
शिक्षक प्रशिक्षण प्रभारी	1	1	0	अस्थायी स्थानांतरण आधार पर
मूल्यांकन विशेषज्ञ	1	1	0	अस्थायी स्थानांतरण आधार पर
मीडिया अधिकारी	1	1	0	अस्थायी स्थानांतरण आधार पर
आई०ई०डी० समन्वयक	1	1	0	अनुबंध आधार पर
डी०ई०पी० समन्वयक	1	1	0	
डाटा एंट्री ऑपरेटर	4	4	0	
आशुलिपिक	1	0	1	अनुबंध आधार पर
स्टेनो टाईपिस्ट	1	0	1	

लिपिक	6	6	0	
भंडार रक्षक	1	1	0	अनुबंध आधार पर
चालक	4	4	0	अनुबंध आधार पर
चौकीदार	1	1	0	अनुबंध आधार पर
चपरासी	10	6	4	अनुबंध आधार पर
सफाई कर्मचारी	1	1	0	अनुबंध आधार पर
कुल योग (क) क	59	46	13	
जिला स्तर				
आर०सी०-कम --ए०पी०सी० (जिला चम्बा)	1	1	0	
ए०डी०सी०-कम-ए०पी०सी० (सर्व शिक्षा अभियान) काजा	1	1	0	प्राचार्य डी०आई०ई०टी० उप-निदेशक जिला परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और जिला परियोजना समन्वयक आर०सी० कम ए०पी०सी०, ए०डी०सी० कम ए०पी०सी० को सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। खण्ड स्रोत समन्वयकों को प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा नियुक्त किया गया है।
जिला परियोजना अधिकारी	12	12	0	
जिला परियोजना समन्वयक	12	12	0	
अनुभाग अधिकारी	12	9	3	
लेखाकार	12	12	0	
सहायक अभियन्ता	12	2	10	
प्रवक्ता	9	6	3	
एम०आई०एस० प्रभारी	12	9	3	
महिला विकास प्रभारी	3	2	1	
मूल्यांकन विशेषज्ञ	3	3	0	
प्रारूपकार	12	11	1	
स्टेनो	12	3	9	
डाटा एंट्री ऑपरेटर	24	17	7	
लिपिक	12	12	0	
चालक	7	7	0	
चपरासी	12	12	0	
कुल योग (ख)	168	131	37	
खंड स्रोत समन्वयक (उ०शि०)	124	105	19	
खंड स्रोत समन्वयक (प्रा०शि०)	124	118	6	
कनिष्ठ अभियन्ता जे०ई०	77	73	4	
लिपिक	75	49	26	
चपरासी	75	40	35	
कुल योग (ग)	475	385	90	
कुल योग (क+ख+ग)	702	562	140	

अध्याय — 3

विभिन्न गतिविधियों में प्रगति

1. निर्माण कार्य

राज्य में सभी स्थलों पर जन-सहभागिता के माध्यम से एस.एस.ए. के अन्तर्गत निर्माण कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के अनुभव तथा स्थानीय सामग्री व प्रौद्योगिकी के किफायती डिज़ाइन, वैकल्पिक नमूने, बालोपयोगी तत्त्व तथा सौर प्रतिभावी डिज़ाइन जैसे पक्षों को सांझा किया जा रहा है। सामुदायिक प्रतिभागिता से निर्माण कार्य निष्पादन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय स्तर पर निर्मित, वी.ई.सी. मैनुअल भी सभी पाठशालाओं को जारी की गई है। स्टाफ की क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण को नियमित प्रक्रिया बनाया गया है तथा इनकी नियुक्ति सभी जिलों में सी.डी. खण्ड स्तर पर की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त भवनों में बाला फीचर की उपलब्धता के लिए 30,000/- रुपयों के प्रावधान किया गया है। प्रारम्भिक स्कूलों के 93431 बच्चों के बैठने के लिए बजट योजना एस०एस०ए० भारत सरकार द्वारा फर्नीचर के लिए 500/- रुपये प्रति बच्चा स्वीकृत किए गए हैं। सिंचाई व जन-स्वास्थ्य विभाग व ग्रामीण विकास विभाग के साथ अभिसरण द्वारा स्कूलों में पानी और शौचालय की सुविधा प्रदान की जा रही है। बच्चों के स्वास्थ्य व साफ-सफाई के लिए बालिका शौचालयों में इनसिनरेटर्स की व्यवस्था की गई है।

राज्य परियोजना कार्यालय में निर्माण शाखा निम्नलिखित कार्यों को सुगमीकृत कर रही है:

- एस.एस.ए. के अन्तर्गत किफायती तकनीक व स्थानीय सामग्री का प्रयोग कर डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत बनाये गए कक्ष निर्माण डिज़ाइन का अनुकरण/सुधार।
- छोटे-छोटे कार्यों का आकलन व निष्पादन।
- एस.एस.ए. के क्रियान्वयन हेतु अन्य विभागीय एककों के साथ समन्वयन।
- सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के साथ स्कूलों में शौचालय तथा जल आपूर्ति हेतु संयुक्त प्रयास।
- एस.एस.ए. के अन्तर्गत राज्य में किये जा रहे निर्माण कार्य के संबंध में क्रियान्वयन हेतु मासिक बैठकें, देखरेख व अन्य निर्देश जारी करना।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एड.सिल., विभिन्न जिलों, भारत सरकार, हि.प्र. सरकार तथा जन प्रतिनिधियों आदि से पत्राचार।
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी विद्यालयों में पाक-शालाओं का निर्माण।

वर्ष 2012-13 के लिए भौतिक एवं वित्तीय स्थिति :-

क्र० सं०	कार्य	अद्यतन योजना (इकाइयां)	पूर्णतया निर्मित (इकाइयां)	प्रगति पर (इकाइयां)	खर्च (लाखों में)	पूर्ण कार्य
1	बी.आर.सी	56	55	1	337.20	98.21
2	सी.आर.सी	538	533	4	1061.09	99.07
3	नए पाठशाला भवन (प्रा.)	88	8	26	196.58	9.09
4	नए पाठशाला भवन (उ.प्रा.)	27	0	2	71.70	0.00
5	अतिरिक्त कक्षा (प्रा.) (उ.प्रा.)	11421	9021	933	12989.53	81.36
6	मुख्याध्यापक कक्ष प्रा.	28	16	9	286.66	57.14
7	मुख्याध्यापक कक्ष (उ.प्रा.)	1624	1084	461	3813.62	66.75
8	शौचालय (प्रा.) (उ.प्रा.)	4448	4445	3	1315.94	99.93
9	लड़कियों के लिए अलग शौचालय (प्रा.) उ.प्रा.)	9819	7848	1491	4344.62	79.92
10	पेयजल (प्रा.) (उ.प्रा.)	2417	2393	21	464.13	99.00
11	चार दीवारी (प्रा.) (उ.प्रा.)	3607	3478	92	6626.60	96.42
	चार दीवारी (प्रति मीटर)	449878	127899	192431		28.42
12	पाक शाला	88	88	0	46.84	100.0
13	बड़ी मुरम्मत (प्रा.)	1586	947	487	1205.81	59.71
14	बड़ी मुरम्मत (उ.प्रा.)	473	265	88	247.65	56.03
15	फर्नीचर	93431	93431	0	444.97	100.0
16	पुस्तकालय (प्रा.)	19479	19479	0	300.54	100.0
17	पुस्तकालय (उ.प्रा.)	7875	7875	0	435.71	100.0
18	बी.आर.सी.सी. के संवर्धन	56	10	31	235.71	17.86
19	विद्युतीकरण	7366	3806	2293	1222.78	51.67
20	विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शौचालय	1103	207	988	209.55	18.77
21	रेम्प हैंड रेल	1511	289	831	84.51	19.13
	कुल जोड़	616918	284247	200374	40101.08	

वित्तीय स्थिति :-

निर्माण कार्य हेतु अभी तक अनुमोदित सकल राशि (लाखों में)	निर्माण कार्य हेतु सकल व्यय राशि (लाखों में)	संचयी व्यय प्रतिशत
45605.95	40101.08	87.92

स्रोत : पी.एम.आई.एस

वर्ष 2012-13 के लिए एन०पी०ई०जी०ई०एल० के तहत संचयी भौतिक एवम् वित्तीय स्थिति :-

जिला	संचयी लक्ष्य	पूर्णतः निर्मित	प्रगति पर	खर्च लाखों में
चम्बा	41	39	2	82
मंडी	3	3	0	6
शिमला	3	3	0	3
सिरमौर	4	4	0	8
योग	51	49	2	102.00

एन.पी.ई.जी.ई.एल. (NPEGEL) निर्माण कार्य पर आज तक उपलब्ध अनुमोदित संचयी राशि (लाखों में)	NPEGEL पर आज तक निर्माण व्यय पर संचयी राशि (लाखों में)	संचयी व्यय प्रतिशत
102.00	102.00	100

वर्ष 2012-13 के लिए के०जी०बी०वी० के तहत संचयी भौतिक एवम् वित्तीय स्थिति:-

जिला	संचयी लक्ष्य	पूर्णतः निर्मित	प्रगति पर	खर्च लाखों में
चम्बा	8	6	2	108.00
शिमला	1	1	0	15.00
सिरमौर	1	1	0	15.00
योग	10	8	2	138.00

के.जी.बी.वी. (KGBV) निर्माण कार्य पर आज तक उपलब्ध अनुमोदित संचयी राशि (लाखों में)	KGBV पर आज तक निर्माण व्यय पर संचयी राशि (लाखों में)	संचयी व्यय प्रतिशत
150.00	138.00	92

2. स्कूल से बाहर बच्चों की वर्तमान स्थिति

हिमाचल प्रदेश में स्कूलों से बाहर रह गए बच्चों को गैर आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कवर किया जा रहा है। इन केन्द्रों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार बच्चों को आयु-उपयुक्त तथा कक्षा-उपयुक्त शिक्षा सुनिश्चित की जा रही है। जब बच्चों का आयु-उपयुक्त शिक्षा का अनुपालन हो जाता है तब उसे निकट के औपचारिक स्कूल में मुख्यधारा से जोड़ दिया जाता है जहां उन्हें अन्य बच्चों के साथ एकीकृत करने के लिए अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है। इन गैर-आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में इन्हें विशेष प्रशिक्षण सामग्री से पढ़ाया जाता है। स्कूलों में कभी नामांकित न होने वाले बच्चों को उचित आयु वर्ग की कक्षा में दाखिल कर के स्तर 1 से पढ़ाया जाता है। ड्राप आउट बच्चों को स्कूल स्तर पर मूल्यांकन करने के बाद गैर आवासीय सेतू पाठ्यक्रम केन्द्र में नामांकित किया जाता है।

प्रत्येक वर्ष स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान के लिये सर्वेक्षण किया जाता है। इसके अलावा VER की updation से भी स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की पहचान की जाती है। इसके बाद बच्चे को आयु उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है तथा सीखने में रह गई कमी को पूरा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण सामग्री से पढ़ाया जाता है। स्कूल के केन्द्रिय मुख्य शिक्षक को नियमित अध्यापक को या विशेष प्रशिक्षण शिक्षक, जैसा भी मामला हो की मदद से विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य सौंपा जाता है।

वर्ष 2012-13 में हिमाचल में 2828 बच्चे स्कूल से बाहर थे। अधिकांश बच्चे आजीविका या भविष्य की अच्छी संभावनाओं के लिये राज्य में आने वाले प्रवासी समुदायों से हैं। इसके अलावा सामाजिक-आर्थिक और अन्य विभिन्न कारणों से पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या खासी है।

हाल ही में पहचाने गये 2828 बच्चों में से मात्र 1240 बच्चों को ही सत्र के अंत तक औपचारिक स्कूलों में मुख्यधारा से जोड़ा जा सका है जबकि शेष एन०आर०एस०टी० केन्द्रों में पढ़ रहे हैं। समय के साथ इन बच्चों को भी मुख्यधारा से जोड़ दिया जाएगा।

कुछ क्षेत्रों विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र तथा पर्यटन स्थलों में प्रवासी समुदाय के बच्चों के कारण स्कूल से बाहर बच्चों के आंकड़े बदलते रहते हैं। प्राथमिक निदेशालय तथा सर्व शिक्षा अभियान इन बच्चों की देखभाल के लिये पूरे प्रयास कर रहा है। 2012-13 में पहचाने गये बच्चों तथा मुख्यधारा से जोड़े गए बच्चों का जिला-वार ब्यौरा निम्न प्रारूप में दिया गया है।

मुख्यधारा से जोड़े गए बच्चों का जिला-वार ब्यौरा:-

क्र०स०	जिला	2012-13 में पहचाने गए स्कूल से बाहर बच्चे	बच्चों की संख्या जिन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया	मुख्यधारा से जोड़े गए बच्चे
1	बिलासपुर	97	202	123
2	चम्बा	610	540	140
3	हमीरपुर	49	126	82
4	कांगड़ा	312	312	99
5	किन्नौर	77	77	15
6	कुल्लू	451	308	102
7	लाहौल स्पिति	80	80	0
8	मंडी	77	188	142
9	शिमला	65	640	121
10	सोलन	779	869	202
11	सिरमौर	15	196	61
12	ऊना	216	576	153
	कुल	2828	4114	1240

3. प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम

बच्चे के प्रारंभिक जीवन में शिक्षा के महत्त्व के मध्यनजर, हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग द्वारा ICDS कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत राज्य द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं प्राथमिक शिक्षा के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक पाठशालाओं में या इनके समीप स्थापित किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास से प्राप्त सूचना के अनुसार 31.12.2013 तक हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या लगभग 18901 है, जिन में से 2581 आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक स्कूलों के अतिरिक्त कमरों में संचालित किया जा रहा है। शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक स्कूलों से

अधिक दूरी तथा कमरों की कमी के कारण नहीं जोड़ा जा सका है। विभाग प्रयासरत है कि अधिक से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक स्कूलों के साथ जोड़ा जा सके। सर्व शिक्षा अभियान ने प्रारंभिक बाल शिक्षा से सम्बन्धित निधि महिला एवं बाल विकास विभाग को उपलब्ध करवायी है। जिसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया गया।

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु
2. आंगनबाड़ी केन्द्रों में शैक्षिक सामग्री तथा अन्य उपयोग में किए जाने वाली सामग्री के प्रावधान हेतु।

4. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समाकेतिक शिक्षा

हिमाचल प्रदेश में 14471 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को चिन्हित किया गया जिसमें से 13921 बच्चों को सामान्य सरकारी स्कूलों में नामांकित किया गया है। 550 बच्चे जो कि गम्भीर रूप से निःशक्त हैं, के लिए गृह आधारित शिक्षा प्रारम्भिक स्तर पर चलाई जा रही है। इन 550 अति गम्भीर रूप से अक्षम बच्चों को 24 गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस उद्देश्य के साथ कि प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को वर्ग अथवा अक्षमता के बिना अनुकूल वातावरण में शिक्षा मिले। 1999-2000 में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समाकेतिक शिक्षा शुरू की गई। सर्व शिक्षा अभियान, प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कार्यक्रम है तथा इसके अंतर्गत विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा का भी प्रावधान है।

चिकित्सा शिविर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम तथा प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के साथ मिल कर 76 चिकित्सा शिविर प्रदेश के विभिन्न खण्डों में लगाए गए। इन शिविरों के तत्पश्चात 4206 उपकरण भी बच्चों को बांटे गए। 29 बच्चों की शल्य चिकित्सा गैर सरकारी संस्थाओं तथा प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिल कर करवाई गई। बच्चों को अपंगता प्रमाण पत्र देने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग के साथ मिल कर शिविर लगाए गए।

आने-जाने का बस किराया :- चिकित्सा शिविर में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के आने व जाने का किराया तथा उनके साथ सहायक का किराया भी दिया गया। इन बच्चों को चिकित्सा शिविर में लाने के लिए वाहन का भी प्रबन्ध किया गया।

दृष्टि बाधित बच्चों के लिए ब्रेल किताबों का प्रावधान:- प्रदेश में 99 ब्रेल किताबों के सैट दृष्टि बाधित बच्चों को दिए गए।

IEP/ITP तैयार करना :- 12906 बच्चों की शैक्षणिक योजना तैयार की गई तथा तीन-तीन महीने के उद्देश्य भी निर्धारित किए गए। सामान्य रूप से अक्षम बच्चों को कक्षा में सामान्य पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है।

डे केयर सेन्टर :- प्रदेश में जिला शिमला के प्राथमिक पाठशाला टुटू व जिला मण्डी के प्राथमिक पाठशाला भंगरोटू में डे केयर सेन्टर खोले गए हैं। यह सेन्टर 26 मानसिक रूप से अक्षम व अस्थि अक्षम बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।

शिक्षकों का प्रशिक्षण :- सामान्य प्रशिक्षण में समाकेतिक शिक्षा, प्रशिक्षण का अभिन्न अंग हैं। इन प्रशिक्षणों में रोजमर्रा गतिविधियों में दक्षता मुख्य भाग रहता है।

स्वयं सहायता प्रशिक्षण :- खाना-खाना, शौच जाना, नहाना, कपड़े-पहनना, जूते पहनना आदि।

मोटर गतिविधियां :- इन गतिविधियों में अस्थि अक्षम व सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों को साथ विकास के लिए फिजियोथैरेपिस्ट की सेवाएं भी ली जा रही है।

थैरेपी सेवाएं :- सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चों को फिजियोथैरेपी, आकुपेशनल थैरेपी, स्पीच थैरेपी प्राथमिकता के आधार पर दी जा रही है। प्रशिक्षण थैरेपिस्टों की कमी के कारण ग्रामीण इलाकों में सेवाएं देना काफी मुश्किल है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इनको यात्रा के आधार पर रखा गया है।

अभिभावकों को परामर्श व सामाजिक सहभागिता :- प्रदेश में 4536 अभिभावकों व परिवार के अन्य सदस्यों को परामर्श दिया गया। यह परामर्श प्रशिक्षित अध्यापकों व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा दिया गया है।

बाधा रहित वातावरण :- प्रदेश में 64% विद्यालयों में बाधारहित वातावरण (हैण्ड रेल व रैम्प) बनाए गए हैं। 200 से ज्यादा स्कूलों में निःशक्त मैत्रीपूर्ण शौचालय बनाए गए।

एस्कार्ट भत्ता :- 742 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 3000/- रु. प्रतिवर्ष एस्कार्ट भत्ते के रूप में दिया गया है।

एबिलिटी स्पोर्ट्स फेस्टिवल :- राज्य स्तरीय एबिलिटी स्पोर्ट्स फेस्टिवल 3 दिसम्बर, 2012 को जिला हमीपुर में मनाया गया। इस फेस्टिवल में 250 विशेष बच्चों ने भाग लिया।

विशेष अध्यापकों को मल्टी कटेगरी ट्रेनिंग :- प्रदेश में 140 विशेष अध्यापकों को सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर, 2012 में मल्टी कटेगरी ट्रेनिंग राज्य परियोजना कार्यालय में दी गई। जिसमें सामान्य विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस प्रकार शिक्षा देनी है उस तरह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।


सुविधाएं :- सामाजिक न्यायवादी एवं महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा PWD Act के हिसाब से स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। कक्षा 1-5 तक बच्चों को रु. 350/- तथा रु. 1000/- हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को, कक्षा 6-8 तक रु. 400/- तथा रु. 1500/- हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को दिया जाता है।

- हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दृष्टि बाधित व श्रवण बाधित बच्चों को मैट्रिक व +2 कक्षा में परीक्षा के समय में 1 घण्टा तथा 1/2 घण्टा अतिरिक्त दिया जाता है।
- मानसिक रूप से मन्द बच्चों के लिये पास प्रतिशत 25% रखी गई है।
- दृष्टिबाधित व श्रवण बाधित बच्चों को गणित, भाषा व प्रैक्टिकल परीक्षाओं को वैकल्पिक रखा गया है।
- परीक्षाओं में दृष्टि बाधित बच्चों को लिखने वाले सहायक का प्रावधान भी रखा है।

गृह आधारित शिक्षा कार्यक्रम :-

हिमाचल प्रदेश में गृह आधारित शिक्षा कार्यक्रम गैर सरकारी संस्थाओं व विशेष अध्यापकों द्वारा चलाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अति गम्भीर रूप से अक्षम बच्चों को शैक्षणिक सेवाएं भी दी जा रही है। 550 बच्चों को गृह आधारित कार्यक्रम के अन्तर्गत देख-रेख व ट्रेनिंग दी जा रही। गृह आधारित शिक्षा के अन्तर्गत निम्न गतिविधियां करवाई जाती है।

- शिक्षा कार्यक्रम
- चिकित्सा शिविर
- उपकरण उपलब्ध करवाना
- शल्य चिकित्सा
- थैरपी
- (ADL) रोजमर्रा के कार्य में दक्षता
- पठन- पाठन
- विशेष शिक्षकों का प्रावधान
- सामाजिक गतिविधियाँ
- शिक्षण-अधिगम सामग्री
- परिवहन का व्यवस्था
- मूल्यांकन
- अनुकूलित पाठ्यक्रम
- **मॉनिटरिंग** :- गैर सरकारी संस्थाओं, विशेष अध्यापकों, स्कूलों, रिसोर्स रूम, खण्डों व जिला स्तर की गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए अलग-अलग स्तर पर फारमेट दिए गए हैं। सभी गतिविधियों को पुनर्वास केन्द्र भारत सरकार (RCI) द्वारा दिए गए मानकों पर आंका व मॉनिटर किया जाता है।




S. No.	District Name	No. of CWSN Identified
1	Bilaspur	1355
2	Kangra	4103
3	Sirmaur	658
4	Kullu	1036
5	Kinnaur	210
6	Chamba	208
7	Una	1038
8	Solan	702
9	L & S	87
10	Hamirpur	455
11	Mandi	2567
12	Shimla	2052
	Total:-	14471


Category-Wise Coverage Plan in IE for 2012-13 HP					
Category	No. identified	Home Based Education Programme. (HBP)	No. of CWSN to be enrolled in schools	No. of CWSN to be covered through school readiness programmes	No. of CWSN covered through HBE
Low Vision	2925	0	2925	0	0
Total Blind	173	0	160	0	13
Hearing Impaired	1536	0	1536	0	0
Speech Impaired	1676	0	1676	0	0
Orthopedically Impaired	2038	0	2021	0	17
Mentally Retarded	3357	0	3037	0	320
Multiple Disabled	2018	0	1943	0	75
Cerebral Palsy	698	0	598	0	100
Autism	50	0	25	0	25
TOTAL	14471	0	13921	0	550

List of NGOs working under SSA


Sr. No	Name of the District	No. of NGOs in the districts	Name of the NGO	Address	Phone No.	Date of functioning	Area of operation	No. of children allocated to NGO
1.	Shimla	1	ABHI	Action for barrier Free handicapped Integration House No. -II Ist floor Old Brock Hurst Chotta Shimla-02	09816023115	1 st Feb., 2005	Kusumpati & Shimla	40
		2	UDAAN	Block No 30 set -1 Phase - III New Shimla	0177-2673247	-do-	Shimla	40
		3	Pehchan	Rohru Himachal Pradesh			Kotkhai, Rohru	20
		4	Gramin Vikas Evam Manav Kalyan Samiti	Near DAV School Totu Shimla-11	0177-2838224	April, 2006	Sunni	20
		5	MUSKAN	Muskan society for Disabled Children Near Choudhary motor workshop ,Hari Niwas Dhalli Shimla-171012	0177-2847156	August, 2007	Chohara (Chirgaon)	20
2.	Bilaspur	6	Chetna	Chetna Research & rehabilitation Centre.Roura sector Near GSSS Bilaspur-17400	9411800055	1 st April, 2005	Bilaspur Sadar	40
3.	Chamba	7	Paradise	Paradise Village Kuthar ,P.O Chowari	09816287044	Nov, 2006	Chowari	20
4.	Kangra	8	Chamunda Pickles Society for Rural Development & Technology Palampur)	Vill. Suggar P.O. Bundla Estate Teh. Palampur Kangra(H.P.)	01894-235524	1 st August 2010	Dharamshala	20



		9	Chinmaya Organisation for Rural Development (CORD) Distt. Kangra	Sidhbari-176057 Dist. Kangra(H.P.)	01892-235829	1 st October 2010	Kangra	10
5.	Kullu	10	National Association for Blind	National association for Blind Chander abha Kalyan Bhawan Sarswati Bazar Near Bus stand Kullu	09418029400 1902-224859	Nov, 2006	Kullu-1 &	10
		11	Nav Chetna	NAV Chetna Near Regional Hospital Kullu	09418066302	Nov, 2006	Kullu-2	20
		12	Layul Tribal Welfare Association	Layul Tribal Welfare Association The Mall Near Gonpa Road Manali	09418053309	August, 2007	Naggar & Manali	10
6.	Mandi	13	Sahyog	Bal Sharvan Viklang Kalyan Samiti New Red Cross Bhawan Mandi	09418023539	1 st Feb., 2005	Mandi & Sunder Nagar	40
		14	Gyan Shiksha Samiti	Gyan Shiksha Samiti c/o Gyan Jyoti Public School P.O Bhangrotu Dist. Mandi	0905381854	Sept,2007	Bhangrotu	20
		15	Savera Research & Rehabilitation Center	Savera Research and Rehabilitation Centre Rewalsar V.P.O Rewalsar Teh. Sadar Dist. Mandi	09418450114	Sept,2007	Rewalsar	20
		16	Jagriti Research & Rehabilitation Society	Jagriti Research & Rehabilitation Society at Ganai Dist. Mandi	09816454665	1 st Feb. 2009	Chachiot-1 &2	20
		17	Divya Jyoti	Divya Jyoti (NGO) Sarla Khaboo Dist. Mandi	09418084536	1 st Feb. 2009	Darang-1&2	20
		18	Sakar	Sakar (NGO) at sunder Nagar(H.P.)	09418074997	1 st Feb. 2009	Sunder Nagar-1	20



7.	Sirmaur	19	Aastha	Aastha Welfare Society Near Pucca Tank Nahan Dist Sirmaur(H.P.)	01702-223945	12 th June, 2005	Nahan Surla	20
		20	Sidhi	SIDHI Sh. Renuka Ji Dadahu Dist Sirmaur- 173022	01702-267834	15 th June, 2005	Dadahu & Bakras	20
8.	Solan	21	Ganpati Education Society	Ganpati Educational Society Near Telephone Exchange Kunihar Teh. Arki Dist. Solan-173207	09418079043	April, 2006	Kunihar	20
		22	All Indian Association of Muscular Dystrophy	All Indian Association of Muscular Dystrophy IAMDA Hospital Road Solan(H.P.)	9418054877	April, 2006	Solan	20
9.	Una	23	Prem Ashram	Prem Ashram Institute of sisters of charity Opp. ITI Una Dist. Una	01975-228013	1 st July, 2005	Una & Haroli	40
		24	Human Rights Protection Cell & Welfare Association	Human Rights Protection Cell & Welfare Association Lower Una	09418974600	1 st January 2011	Haroli	20
Total		24						550



5. बालिका शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

नामांकन में लैंगिक परिप्रेक्ष्य :

राज्य में कुल 6,11,774 बच्चे प्राथमिक वर्ग में तथा 3,75,715 बच्चे उच्च प्राथमिक वर्ग में नामांकित हैं। कुल 9,87,489 बच्चों में 520408 लड़के तथा 467081 लड़कियां हैं। प्राथमिक वर्ग में लड़कों तथा लड़कियों की नामांकन प्रतिशत क्रमशः 52.44 प्रतिशत तथा 47.56 प्रतिशत है। उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कों तथा लड़कियों की प्रतिशत क्रमशः 53.21 प्रतिशत तथा 46.88 प्रतिशत है जो लगभग प्राथमिक स्तर के समान है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों वर्गों में लड़कों तथा लड़कियों का नामांकन क्रमशः 52.73 प्रतिशत तथा 47.27 प्रतिशत है। यह राज्य के 0.91 प्राथमिक तथा 0.88 उच्च प्राथमिक में नामांकन में लैंगिक समानता को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश में नामांकन, ठहराव, परिवर्तन दर में लिंग से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है।

स्कूलों में लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं है। स्कूलों में नामांकित लड़कियां, उनका बीच में स्कूल छोड़ना तथा ठहराव दर लड़कों के समान है। वास्तव में जन्म के समय लिंग अनुपात में कमी है जिसे सुधारने के प्रयास किये जा रहे हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा हेतु प्रदेश निम्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं :-

क्रम संख्या	गतिविधियां	प्रक्रिया	परिणाम
1	अध्यापिका मंच/ जेंडर संसाधन समूह	लिंग आधारित मामलों के प्रति संवेदनशीलता के लिये जेंडर संसाधन समूह का एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया	मीना उत्सव, मीना मंच तथा बालिका शिक्षा पर विभिन्न गतिविधियों में इस समूह के सदस्य सक्रिय रूप से शामिल हुए।
2	जीवन कौशल शिक्षा/ व्यवसायिक शिक्षा	उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठशालाओं में लड़कियों को कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु तथा आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता के लिए उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया गया। यह गतिविधि प्रशिक्षकों की उपलब्धता तथा जरूरतों के अनुसार की गई।	जीवन कौशल शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा से लड़कियों में आत्मनिर्भरता के प्रति जागरुकता विकसित की गई।

3	मीना मंच	प्रत्येक खण्ड की चयनित पाठशालाओं में मीना मंच कार्यान्वित किये गए। चुनिंदा पाठशालाओं की चयनित लड़कियों को लिंग आधारित मुद्दों पर तथा किशोरावस्था में पेश आ रही समस्याओं पर शिक्षित किया गया। इन लड़कियों ने लड़कियों की शिक्षा पर आधारित सभी कार्यक्रमों तथा मीना मंच की गतिविधियों में भाग लिया।	बालिकाओं का स्कूल में ठहराव सुनिश्चित करने के लिये तथा उनमें आत्मविश्वास लाने के लिये मीना मंच सफल साबित हुए।
4	मीना उत्सव/ मीना मंच	संकुल, खण्ड तथा जिला स्तर पर मीना सप्ताह मनाया गया	नेतृत्व विकास तथा स्वावलंबन/ इससे लड़कियों के सशक्तिकरण तथा समग्र विकास में सहायता मिली।
5	क्षेत्रीय भ्रमण	बालिकाओं में आत्मविश्वास पैदा करने तथा उन्हें अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु खण्ड तथा जिला स्तर पर क्षेत्रीय भ्रमण आयोजित किये गये। पुलिस स्टेशन बैंक, संग्रहालय प्रिंटिंग प्रैस, डी०सी०/एस०डी०एम० उपनिदेशक कार्यालयों, डाईट, जिला पुस्तकालय, जल-विद्युत परियोजना, सेब के बगीचे, ग्राम पंचायत, रौरिक आर्ट गैलरी कुल्लू शॉल उद्योग, मिनरल वाटर प्लांट तथा फूल की खेती की इकाईयों का भ्रमण करवाया। जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर भी यात्रायें करवाई गईं	<ul style="list-style-type: none"> ● लड़कियों का व्यक्तित्व विकास ● अपनी दिनचर्या को तोड़कर नए विचारों तथा ऊर्जा से अवगत करवाना। ● लड़कियों के आत्मविश्वास में वृद्धि
6	लिंग संवेदनशीलता के लिए शिक्षक प्रशिक्षण	यह प्रशिक्षण संकुल स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण के तहत दिया गया। लिंग संसाधन समूह के सदस्यों ने इस में संसाधन सदस्य के रूप में भाग लिया।	लिंग संवेदनशीलता के प्रशिक्षण में अध्यापकों की स्कूलों में सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहों से युक्त वातावरण को समझने में सहायता मिली।

7	महिला दिवस / बालिका दिवस समारोह	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2013 को मनाया गया। स्कूल प्रबन्धन समितियों की सक्रिय महिला सदस्यों ने इसमें भाग लिया।	महिलाओं की स्कूल शिक्षा में विशेषकर बालिका शिक्षा में भागीदारी बढ़ी।
8	लड़कियों के लिये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (जिला किन्नौर)	जिला किन्नौर में प्रत्येक प्राथमिक पाठशालाओं से दो लड़कियों ने खण्ड तथा जिला स्तर पर इस प्रतियोगिता में भाग लिया।	कैरियर विकास व्यक्तित्व विकास तथा प्रतिस्पर्धा की भावना।
9	लड़कियों के लिये संसाधन कक्ष	बुनियादी सुविधाओं तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कुछ जिलों में संसाधन कक्ष विकसित किये गये।	लड़कियों ने एक साथ बैठ कर अपनी समस्याओं को सांझा किया। सांझा करने, देखभाल तथा साथ बढ़ने से उनके व्यक्तित्व का विकास हुआ।
10	समीक्षा बैठकें	अध्यापिका मंच /डी०आर०जी० के लिये समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।	नियोजन कार्यान्वयन तथा बालिकाओं से जुड़ी प्रत्येक गतिविधियों की रिपोर्ट।
11	मातृ सम्मेलन	कुछ शिक्षा खण्डों में मातृ-सम्मेलनों का आयोजन किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार स्कूल प्रबन्धन समितियों में 50 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की है। स्कूल प्रबन्धन समितियों की महिला सदस्यों तथा माताओं को इकट्ठा करने के लिये मातृ सम्मेलनों का आयोजन नवीन विचार है ताकि वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें तथा लैंगिक मुद्दों पर विचार रख सकें एवं वाद-विवाद से समाधान की पहल कर सकें।	स्कूल में उनकी बेटियों की उपस्थिति में नियमितता को सुनिश्चित किया। स्कूलों की गतिविधियों में माताओं की उत्साह से भागीदारी
12	स्वास्थ्य शिविर	नेत्र जांच, रक्त तथा रक्त समूह जांच हेतु स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गये।	लड़कियों को उनके स्वास्थ्य उसकी देखभाल तथा स्वास्थ्य के प्रति सावधानियां के बारे में पता चला।

13	कैरियर परामर्श शिविर	एन०आई०आई०टी०, आई०टी०आई० डाक्टरों तथा अन्य विभागों के सहयोग से कैरियर परामर्श शिविर आयोजित किये गये।	बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर संभावनाओं का पता चला।
14	व्यक्तित्व विकास	जिले के प्रत्येक शिक्षा खण्ड से चयनित 5 दिवसीय अवासीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अपने प्रवास के दौरान लड़कियों ने सहासिक गतिविधियों जैसे ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रिवर रॉफ्टिंग आदि में भाग लिया। शाम को कैम्प फायर के दौरान लड़कियों ने लोक नृत्य, लोक गीत, वाद-विवाद, सफाई अभियान तथा समूह कार्य में भाग लिया। इस तरह की गतिविधियों का आयोजन नेतृत्व/समूह कौशलों के विकास में मदद करता है।	अलग-अलग पृष्ठभूमि की लड़कियों को एक दूसरे के बेहतर तरह से समझ कर करीबी सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में मदद मिली। उन्होंने एक समूह के सदस्य के रूप में तथा एक नेता के रूप में कार्य करना सीखा। लड़कियों द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों से उनके व्यक्तित्व के समग्र विकास में मदद मिली।
15	किशोरियों को प्रशिक्षण	पोषण, किशोरावस्था की समस्याओं तथा लिंग भेदभाव पर प्रशिक्षित DRG के माध्यम से लड़कियों को परामर्श दिया गया	भोजन, जीवन शैली तथा अन्य मुद्दों पर जागरूकता
16	प्रख्यात महिलाओं से बातचीत	विभिन्न क्षेत्रों से प्रख्यात महिलाओं की पहचान की गई तथा लड़कियों को इन चयनित महिलाओं से बातचीत करने का मौका दिया गया।	लड़कियों को प्रोत्साहन मिला
17	किशोरियों को सैनेटरी पैड बनाने के लिए प्रशिक्षित करना	जिला बिलासपुर की पांच सौ लड़कियों को सैनेटरी पैड बनाने में प्रशिक्षित किया गया।	लड़कियों ने सम्बन्धित क्षेत्र में कौशल प्राप्त किया।

18	कागज का पुर्नचक्रण (बिलासपुर)	6-14 आयु वर्ग की लड़कियों को कागज के पुर्नचक्रण में प्रशिक्षण प्रदान किया गया	लड़कियों को स्वरोजगार के साथ बेहतर पर्यावरण के प्रति योगदान का प्रेरणा मिली।
19	सुझाव बक्सा	किशोरियों की व्यक्तिगत समस्याओं को समझने के लिये सुझाव बॉक्स रखे गए।	

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

हिमाचल प्रदेश में 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्य कर रहे हैं। इनमें से आठ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिला चम्बा, एक जिला शिमला और एक जिला सिरमौर में चल रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मॉडल तीन के तहत कार्य कर रहा है। जिनमें छात्रावास की सुविधा पास के सरकारी स्कूल में दी जा रही है।

□□□□

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वर्गवार नामांकन (दिसम्बर 2012)

क्रम संख्या	जिला	खण्ड जहां पर के०जी०बा०वि० स्वीकृत है	स्वीकृति का वर्ष	परिचालन वर्ष	HPPES	मॉडल	वर्गवार बालिकाओं के नामांकन की स्थिति				अल्पसंख्यक		कुल योग	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
							अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पीछड़ा वर्ग	गरीबी रेखा से नीचे	मुस्लिम	अन्य		
1	चम्बा	तिस्सा	2005	2005	HPPES	III	21	4	0	17	0	0	42	
		तिस्सा (भगेनीगढ़)	2005	2005	HPPES	III	17	18	0	15	0	0	50	
		मैहला	2005	2005	HPPES	III	10	5	0	35	0	0	50	
		मैहला (कैरिया)	2005	2005	HPPES	III	11	6	0	30	0	0	47	
		पांगी	2005	2005	HPPES	III	0	33	0	0	0	0	33	
		भरमौर	2005	2005	HPPES	III	3	22	0	2	0	0	27	
		सलुणी (हिमगीरि)	2005	2005	HPPES	III	26	6	0	17	1	0	50	
		सलुणी (किहार)	2005	2005	HPPES	III	18	3	0	14	7	0	42	
2	शिमला	छोहास	2005	2005	HPPES	III	32	0	0	17	0	0	49	
3	सिरमौर	शिलाई	2007	2008	HPPES	III	19	0	4	15	0	0	38	Nil
							157	97	4	162	8	0	428	

गतिविधियां

पाठ्यचर्या निर्देश ट्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। सीखने के पिछड़ेपन को पहचानने के लिए सी०सी०ई० के माध्यम से पहचान की जा रही है और उपचारात्मक उपाय ट्यूटर के माध्यम से दिये जा रहें हैं। सीखने के स्तर में वृद्धि नियमित निगरानी और चेक लिस्ट रजिस्टर के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

खेल व प्रतियोगिता

खण्ड, जिला और राज्य स्तर पर खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भागीदारी के माध्यम से एक्सपोजर से बालिकाओं में आत्मविश्वास पैदा होता है और उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शन के लिए एक मंच प्राप्त होता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की कन्याओं को इन प्रतियोगिताओं भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें ख्याति प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। कन्याओं को संगीत और नृत्य में प्रतिभा प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की लड़कियों को पुलिस स्टेशन, बैंक, संग्रहालय, प्रिंटिंग प्रैस, कार्यालय जैसे जिला उपायुक्त/उप मण्डल अधिकारी/जिला उप निदेशक शिक्षा/डाईट/जिला पुस्तकालय का भ्रमण करवाया जाता है और यहां की कार्यप्रणाली को समझने का अवसर भी दिया जाता है।

जीवन कौशल शिक्षा

छात्राओं के कौशल को बढ़ाने हेतु और उन्हें पूर्णतया आत्मविश्वासी बनाने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण और जीवन कला शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है। यह गतिविधियां छात्राओं की जरूरत और प्रशिक्षकों की उपलब्धता के अनुसार करवाई जाती है। इसके तहत छात्राओं को कालीन की बुनाई, चटाई बनाना, इलैक्ट्रीशियन कोर्स, कम्प्यूटर आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

वर्दी

वर्दी के दो सेट और ट्रेक सूट का एक सेट सभी छात्राओं को प्रदान किया जाता है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में समुदाय की भूमिका

प्रदेश के हर विद्यालय के अन्दर स्कूल प्रबन्धन समिति का गठन हुआ है। प्रदेश में सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सरकारी विद्यालयों के साथ चल रहे हैं इसलिए इन स्कूलों की स्कूल प्रबन्धन समिति ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के हर गतिविधियों के लिए जिम्मेवार है। सभी छात्र और छात्राओं के अभिभावक एस०एम०सी० के जनरल हाउस के सदस्य हैं उन सभी को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में होने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया जाता है।

निगरानी प्रणाली

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण/निगरानी राज्य, जिला व खण्ड स्तर के अधिकारियों और राज्य तथा जिलों के लिंग समन्वयकों द्वारा समय-समय पर की जाती है। राज्य स्तर

पर निरीक्षण के लिए एक प्रारूप विकसित किया गया है तथा निरीक्षण रिपोर्ट जिला और राज्य स्तर की बैठकों में सांझा किया जाता है।

प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन चार जिलों के 8 शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों अर्थात् चम्बा के मैहला, पांगी, तीसा, भरमौर तथा सलूणी खण्ड, मंडी के सिराज, शिमला के छौहारा तथा सिरमौर के शिलाई खण्डों में किया जा रहा है। जहां 1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है तथा लैंगिक अंतराल राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। तीन खण्ड अर्थात् चम्बा का भरमौर, शिमला का छौहारा तथा मंडी का सिराज में इस कार्यक्रम को जारी रखा गया है हांलाकि 2001 के आंकड़ों के अनुसार यहां साक्षरता दर में सुधार दर्ज किया गया है। शैक्षिक रूप से पिछड़े 8 सामुदायिक विकास खण्डों NPEGEL कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

खण्डों की संख्या	8
कलस्टर की संख्यां	80
कलस्टर स्कूलों की संख्या	80
मॉडल संकुल स्कूलों में लड़कियों की संख्या	
शिमला	1273
चम्बा	8503
मंडी	6207
सिरमौर	5166
कुल	21113

क्र० सं०	गतिविधियां	प्रक्रियायें	परिणाम
1	व्यवसायिक/जीवन कौशल व गतिविधियां/कम्प्यूटर शिक्षा	अधिकांश माडल संकुल स्कूलों में यह गतिविधि होती है जीवन कौशल तथा व्यवसायिक गतिविधियों को प्रशिक्षकों की उपलब्धता तथा समुदाय की आवश्यकता के अनुसार आयोजित किया जाता है।	नवीन कौशल शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा लड़कियों को जीवन में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है।
2	महिला समूह, मातृ सम्मेलन, साक्षरता दिवस, बालिका दिवस समारोह	खण्ड स्तर पर मीना सप्ताह, मातृ सम्मेलन तथा मां-बेटी मेलों का आयोजन किया गया।	लड़कियों की नियमित उपस्थिति में वृद्धि हुई

3	मॉडल कलस्टर कमरे का सुदृढीकरण	सभी मॉडल संकुल स्कूलों को कार्यात्मक बनाने के लिये बैठकों कार्यशालाओं तथा NPEGL संबंधित गतिविधियों का आयोजन मॉडल कलस्टर कक्ष में किया गया	NPEGL कार्यक्रम के तहत 51 मॉडल संकुल स्कूलों का निर्माण तथा उन्हें कार्यात्मक बनाया गया। अन्य मॉडल स्कूलों में भी कार्यान्वयन किया गया है।
4	स्वास्थ्य और स्वच्छता	स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य और स्वच्छता शिविरों को आयोजन किया गया	इस गतिविधि से लड़कियों की उपस्थिति बढ़ाने तथा स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागरुकता का बढ़ाने में मदद मिली
5	लड़कियों के लिये भ्रमण	लड़कियों का पंचायत, डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन आदि स्थानों आदि का भ्रमण करवाया गया। राज्य और राज्य से बाहर एतिहासिक महत्व के स्थानों का भ्रमण भी करवाया गया।	भ्रमण से इन महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में ज्ञान की समृद्धि के साथ लड़कियों के व्यक्तित्व विकास तथा आत्मविश्वास का बढ़ावा मिला।
6	समुदाय लामबंदी और प्रबंधन लागत	स्कूल प्रबंधन समिति की महिला सदस्यों को लैंगिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु कार्यक्रम	स्कूल विकास गतिविधियों तथा लड़कियों की शिक्षा में अधिक भागीदारी
7	स्कूलों को पुरस्कार	प्रदर्शन के आधार पर जिला स्तर पर लिंग समाधान समूह द्वारा मापदंड निर्धारित किये गये।	पाठ्यक्रम तथा सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में स्कूलों के प्रदर्शन में वृद्धि हुई।
8	गर्मियों तथा सर्दियों के शिविर / लड़कियों के लिये साहसिक खेल	शिक्षा, सशक्तिकरण, लिंग तथा किशोरावस्था के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महिलाओं और मीना मंच की लड़कियों के लिये संकुल तथा खण्ड स्तर पर शिविर आयोजित किये गये जिला चम्बा ने लड़कियों के साहसिक खेल (पर्यावरण, वन्य जीव सफारी, राक क्लाइम्बिंग ट्रेकिंग) को आयोजन किया	महिला सदस्य ने स्वेच्छा से सभी NPEGL गतिविधियों के कार्यान्वयन में भाग लिया। साहसिक खेलों ने 8 संकुलों की चयनित लड़कियों को सशक्त किया।

9	मीना गतिविधियां	प्रत्येक वर्ष संकुल खण्ड व जिला स्तर पर मीना सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है	यह बालिकाओं के सशक्तिकरण में मदद करता है तथा उन्हें समग्र विकास के लिए प्रेरित करता है। यह उन्हें नेतृत्व तथा आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करता है।
10	कराटे प्रशिक्षण	कराटे प्रशिक्षण स्कूल स्तर पर आयोजित किया गया	कराटे प्रशिक्षण छात्रों को आत्मनिर्भर तथा शारीरिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करता है।

6. गुणवत्ता के लिए पहल

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा ठहराव के बाद राज्य अब शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता के लिये लगातार प्रयास कर रहा है। इस दिशा में प्रारम्भिक स्तर के लिये एक व्यापक गुणवत्ता योजना बनाई गई है जिसमें पांचवी तथा आठवी कक्षा के अंत में अपेक्षित अधिगम स्तरों को परिभाषित किया गया है। इस चुनौती का सामना करने के लिये पहचाने गये (सीखने के परिणामों को) छात्रों को सीखने के स्तर में वृद्धि के लिये इस्तेमाल किया गया है। क्वालिटी योजना शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में विशेषकर धारा 29 के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों के ध्यान में रख कर लागू किया गया है।

पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें

शिक्षकों के काम के बोझ को कम करने के लिये राज्य ने पहले ही एन०सी०एफ० 2005 के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में संशोधन कर दिया है।

- कक्षा 1 तथा 2 की संशोधित पाठ्य पुस्तकों को हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने लागू कर दिया है
- कक्षा 3 से 5 की पाठ्य पुस्तकें विकास की प्रक्रिया के तहत है।

अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण

वर्ष 2012-13 की योजना के अंतर्गत 3627 अप्रशिक्षित अध्यापकों PAT को व्यवसायिक योग्यता के लिये डाईट स्तर पर दो वर्ष के लिये प्रशिक्षित किया जा रहा है।

सेवाकालीन प्रशिक्षण

1. शिक्षकों का प्रशिक्षण: 2012-13 के दौरान दस दिनों का शिक्षकों का प्रशिक्षण दो चरणों में आयोजित किया गया।
 - गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर खण्ड स्तर पर सात दिन।
 - सामान्य प्रशिक्षण संकुल स्तर पर तीन दिन।

प्रथम चरण में शिक्षकों को शिक्षण की नवीन तकनीकों, (गतिविधि आधारित) परियोजना विधि, प्रदर्शन विधि तथा क्षेत्र-यात्रा पर प्रशिक्षण दिया गया। इन प्रशिक्षित शिक्षकों ने इन तकनीकों का प्रयोग वास्तविक कक्षा में पाठ्यक्रम पढ़ाने में किया।

शिक्षकों के इसी समूह को तीन दिन के लिये संकुल स्तर पर प्रशिक्षित किया गया। इस चरण के दौरान व्यक्तिगत रूप में गतिविधियों पर आधारित पाठयोजना का निर्माण किया गया।

प्रशिक्षण मॉड्यूल/सामग्री

- प्राथमिक व उच्च प्राथमिक वर्ग के लिये 7 दिन के प्रशिक्षण मॉड्यूल/सामग्री को राज्य स्तर पर विकसित किया गया।
- आवश्यकता आधारित तीन दिन का मॉड्यूल शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षणों की सक्रिय भागीदारी के साथ जिला स्तर पर विकसित किया गया।

प्रधान शिक्षकों का प्रशिक्षण

सभी केन्द्र मुख्य अध्यापकों/संकुल स्रोत समन्वयकों को 10 दिन का प्रशिक्षण डाइट स्तर पर दिया गया।

- मुख्य अध्यापकों (उच्च प्राथमिक) का तीन दिवसीय प्रशिक्षण जिला स्तर पर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण मॉड्यूल जिला स्तर पर बनाए गये।
- सिरमौर जिले में मुख्याध्यापकों को नेतृत्व पर तीन दिन का प्रशिक्षण Save the Children संस्था की सहायता से दिया गया।

संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण

राज्य में प्रभावी शिक्षक प्रशिक्षण के लिये संसाधन व्यक्तियों के मजबूत समूह की आवश्यकता थी। इस कार्य को पूरा करने के लिये राज्य संसाधन समूह को प्रशिक्षित किया गया। संसाधन व्यक्तियों को कक्षा-कक्ष में गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम को कार्यान्वित करने में प्रशिक्षित किया गया। राज्य संसाधन समूह को राज्य गुणवत्ता योजना के लिये उन्मुख किया गया। जिला स्तर पर जिला संसाधन समूह तथा खण्ड स्तर पर खण्ड समूहों को विकसित किया गया।

खण्ड स्रोत समन्वयकों का प्रशिक्षण

खण्ड स्रोत समन्वयकों का प्रशिक्षण जिला स्तर पर आयोजित किया गया। राज्य स्तर पर इनकी त्रैमासिक बैठकों का आयोजन किया गया।

संकुल स्रोत समन्वयकों का प्रशिक्षण

सभी संकुल स्रोत समन्वयकों को डाइट स्तर पर मासिक समीक्षा बैठकों में बुलाया गया जहां उन्होने अपने संकुल के स्कूलों की प्रगति प्रस्तुत की।

गुणवत्ता पहल की समीक्षा के लिए बैठक

गुणवत्ता के क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करने के लिये राज्य परियोजना कार्यालय में जिला गुणवत्ता समन्वयकों की नियमित बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में चल रही गतिविधियों के मूल्यांकन के साथ आवश्यकतानुसार मध्यावधि सुधार के अवसर प्रदान किये।

अधिगम संवर्धन कार्यक्रम

- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक अध्यापकों का प्रशिक्षण मॉड्यूल राज्य स्तर पर विकसित किया गया।
- कक्षा 1 तथा 2 के लिए पाठ्य पुस्तकों को NCF 2005 के अनुसार अंतिम रूप दिया गया तथा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से इन्हे राज्य के स्कूलों में शुरू किया गया।
- कक्षा 3 से 5 की पाठ्य पुस्तकें विकास की प्रक्रिया में हैं।

पर्यावरण क्लब गतिविधि

पर्यावरण क्लब गतिविधि के रूप में जाने वाले 'पेनासॉनिक इको स्कूल कार्यक्रम 2012' के सहयोग से आयोजित किया गया। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के 100 छात्रों तथा अध्यापकों ने नाटिका जैसे माध्यम से पर्यावरण विज्ञान के बारे में अपनी समझ को व्यक्त किया। उन को Nature walk के लिये भी ले जाया गया तथा शहरों में कचरा प्रबंधन तथा निपटान कैसे किया जाता है भी दिखाया गया। उन्हें ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों को भी दिखाया गया।

रचनात्मक लेखन कार्यशाला

शिमला में छात्रों तथा अध्यापकों के लिये रचनात्मक लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसे 'गुरुकल्प' नामक गैर सरकारी संगठन की सहायता से आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में छात्रों प्रशिक्षुओं तथा शिक्षकों ने इसमें भाग लिया। उन्होंने रचनात्मक लेखन के विभिन्न कौशलों को सीखा।

पुस्तकालय

राज्य के सभी पुस्तकालय को कार्यात्मक बनाने की योजना है जहां प्रत्येक बच्चे की पहुंच पाठ्य पुस्तकों के अलावा रंगीन पुस्तकों तक हो। सर्व शिक्षा अभियान के प्रयासों के अलावा Room To Read संस्था भी पुस्तकालयों को जीवन्त और बच्चों के अनुकूल बना रही है। यह संस्था 2006 से पुस्तकालय स्थापित करने में तथा उन्हे कार्यात्मक बनाने में सर्व शिक्षा अभियान के साथ कार्य कर रही है।

7. समुदाय सहभागिता

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2012-13 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 21 के अनुसार सभी सरकारी, सरकार से सहायता प्राप्त और विशेष श्रेणी के स्कूलों में कुल 14974 स्कूल प्रबंधन समितियों

का गठन किया गया। स्कूलों में लोकतंत्रीकरण के लिए, स्कूल प्रबंधन समिति के रूप में अभिभावकों तथा स्थानीय समुदाय द्वारा स्कूलों को आकार देने व उनका संचालन करने तथा स्कूल विकास योजना की तैयारी में भूमिका निभाने के लिये विशेष प्रावधान रखे गए हैं। प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभाने में सक्षम होने के लिये समुदाय को प्रशिक्षित, उन्मुख तथा समर्थित व समर्पित होने की आवश्यकत है। तीन दिन का अवासीय प्रशिक्षण प्रत्येक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक तथा सीनियर सैकंडरी स्कूल के सात सदस्यों को दिया जाता है। कार्यकारी परिषद के सात सदस्यों में एक शिक्षक, पांच छात्रों के अभिभावकों तथा एक संबंधित पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से शामिल हैं। तीन दिन का गैर अवासीय प्रशिक्षण स्कूल प्रबंधन समिति के इन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों को दिया जाता है।

इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2012-13 में मास्टर ट्रेनर/ संसाधन व्यक्तियों को दो स्तर अर्थात् राज्य व जिला स्तर पर तीन दिन प्रशिक्षित किया गया। राज्य स्तर पर लगभग 50 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इन 50 मास्टर प्रशिक्षकों ने जिला/खण्ड स्तर पर आवश्यकता अनुसार अन्य संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया। इन सभी मास्टर प्रशिक्षकों ने कार्यकारी समिति के सदस्यों को संकुल स्तर पर प्रशिक्षण दिया।

तीन दिन का गैर अवासीय प्रशिक्षण पहले से प्रशिक्षित सदस्यों के अलावा अन्य छह एस०एम०सी० सदस्यों को दिया जाता है और यह जिम्मेवारी सम्बन्धित संकुल स्रोत समन्वयक (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक) तथा सम्बन्धित खण्ड के मास्टर प्रशिक्षकों की है। इसकी योजना सम्बन्धित स्कूल के सदस्य सचिव खण्ड स्रोत समन्वयक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के परामर्श से बनाता है तथा इसे एक खण्ड या अलग-अलग दिनों में प्रदान किया जा सकता है। दिशा निर्देशों में जनरल हाउस/मासिक बैठक व विशेष दिवस समारोह के दिनों में इस प्रशिक्षण को नहीं देने अपितु छुट्टी अथवा इन दिनों के अलावा अन्य दिनों में स्कूल प्रबंधन समिति के छः या इससे अधिक सदस्यों को प्रशिक्षित करने का स्पष्ट उल्लेख है।

प्रशिक्षण के इन छः दिनों को छोड़ कर तीन विशेष बैठकों में चर्चा की जाती है। स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बैठकों का आयोजन कर सकती है। एस०एम०सी० की पहली आम सभा मार्च/अप्रैल के महीने में नए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होने के 15 दिनों के भीतर बुलाई जाती है। इस दिन अभिभावक स्कूल प्रबंधन समिति के गठन के लिए एकत्रित होते हैं तथा अध्यापक स्कूल का प्रमुख उन्हें एस०एम०सी० सदस्य होने की उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जागरुक करते हैं।

दूसरी बैठक विशेष दिवस अर्थात् 5 सितम्बर को आयोजित की जाती है जिसे हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बच्चे विभिन्न गतिविधियों जैसे

वाद-विवाद, भाषण, नाटिका, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, चित्रकला, रैली, सांस्कृतिक गतिविधियों को आयोजन करते हैं। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावकों व प्रबन्धन समितियों के सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है तथा संस्था का मुख्याध्यापक व शिक्षक बच्चों के प्रदर्शन को अभिभावकों के साथ सांझा करते हैं।

तीसरी बैठक सत्र के अंतिम दिन अर्थात् 31 दिसम्बर (शीत कालीन स्कूलों) तथा ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 31 मार्च को परीक्षा का परिणाम घोषित करने के दिन आयोजित की जाती है। इस बैठक में अभिभावकों व एस०एम०सी० के सदस्यों को अपने बच्चों का परिणाम लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तथा सक्रिय एस०एम०सी० द्वारा अगले साल का शेड्यूल तैयार किया जाता है।

वर्ष 2012-13 के लिए प्रशिक्षण दिशा-निर्देश पिछले वर्ष के विकसित मॉड्यूल के अनुसार ही थे।

प्रशिक्षण

क्र० सं०	दिनांक	विषय	स्थान	प्रतिभागियों की प्रकृति	प्रतिभागियों की संख्या
1	8/5/2012	एस०एम०सी० प्रशिक्षण संबंधित बैठक	राज्य परियोजना कार्यालय शिमला	सभी जिलों के समुदाय तथा ई०सी०सी०ई० समन्वयक	26
2	21/5/2012 से 23/5/2012	राज्य स्तर पर संसाधन व्यक्तियों को तीन दिन का प्रशिक्षण	SIEMAT शामलाघाट	सेवानिवृत्त अध्यापक प्रिंसीपल टी०जी०टी०, जे०बी०टी०, ओ०टी०, टी०टी०आई० और समुदाय समन्वयक	49 प्रतिभागी तथा एस०आर०जी०
3	28/9/2012	शिक्षा का हक अभियान	SIEMAT शामलाघाट	स्वयं सेवी समूह	30


इस वर्ष पिछले साल का माड्यूल ही प्रयोग किया गया। जिलों को एस०एम०सी० प्रशिक्षण संबंधी दिशा-निर्देश दिये गये।

8. दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम-सर्व शिक्षा अभियान

यह कार्यक्रम MHRD व भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की सहायता से चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान में चलाए जाने वाली गतिविधियों को दूरस्थ शिक्षण माध्यम से सभी तक पहुंचाने का प्रयास है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अध्यापक प्रशिक्षण में लिखित, दृश्य, श्रव्य सामग्री की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम को बेहतर बनाना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवा पूर्व, सेवा कालीन प्रशिक्षण अप्रशिक्षित एवं प्रशिक्षित अध्यापकों का क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण हेतु अनुपूरक सामग्री का निर्माण किया जा रहा है।

दिनांक 31.12.2013 तक हिमाचल प्रदेश में आँगनवाड़ी केन्द्रों की स्थिति

क्र. सं.	ज़िला	विभाग भवन	महिला मण्डल	पंचायत घर	स्कूल भवन	सामुदायिक भवन	युवक मण्डल	निजी घर		आँगनवाड़ी के कामगारों का घर	आँगनवाड़ी	कुल
								किराए पर	बिना किराए			
1	बिलासपुर	43	115	4	261	75	33	580	0	0	0	1111
2	चम्बा	186	0	6	191	25	0	1082	4	0	0	1494
3	हमीरपुर	44	146	12	225	369	7	530	6	11	1	1351
4	कांगड़ा	119	438	182	429	885	47	1790	326	0	0	4216
5	किन्नौर	3	37	11	45	24	18	92	0	3	1	234
6	कुल्लू	77	78	22	144	34	9	661	10	35	25	1095
7	लाहौल- स्पिति	14	15	4	12	11	4	8	1	53	1	123
8	मण्डी	231	41	20	356	53	8	2287	2	2	4	3004
9	शिमला	131	234	41	523	77	24	989	4	80	44	2147
10	सिरमौर	235	13	21	119	160	17	920	0	0	0	1485
11	सोलन	127	131	39	142	217	22	457	67	63	12	1277
12	ऊना	27	58	133	134	528	7	454	10	7	6	1364
	Total	1237	1306	495	2581	2458	196	9850	430	254	94	18901



कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य:

- शैक्षणिक संस्थानों की क्षमता निर्माण।
- अध्यापक प्रशिक्षण हेतु अनुपूरक सामग्री का निर्माण (लिखित, दृश्य, श्रव्य, टेली कान्फ्रेन्सिंग)
- सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों को दूरशिक्षा सम्मेलन द्वारा जन-जन तक पहुंचाना।

दृश्य-श्रव्य सामग्री निर्माण

दूरवर्ती कार्यक्रम:—सर्व शिक्षा अभियान ने इग्नू की सहायता से विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषय में दृश्य श्रव्य सामग्री का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर किया है।

दूरसम्मेलन कार्यक्रम:— यह दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम कम लागत में प्रभावी रूप से अधिकतर लोगों तक पहुंचता है। यह कार्यक्रम वर्ष 2012-13 में 9 बार विभिन्न मुद्दों पर आयोजित किए गया।

क्र. सं.	दिनांक	विषय	स्थल / प्रतिभागी
1	11-07-2012 to 13-07-2012	गणित कौशल	सभी डाईट में
	11-07-2012 to 13-07-2012	गणित कौशल	सभी डाईट में
2	12-07-2012 to 13-07-2012	सामाजिक विज्ञान तथा मूल्य शिक्षा	सभी डाईट में
3	07-09-2012	डाईस डाटा पर कार्यक्रम हिन्दी	सभी डाईट में
4	14-09-2012	डाईस डाटा पर कार्यक्रम अंग्रेजी	सभी डाईट में
5	18-09-2012	दूरस्थ शिक्षा	डाईट मण्डी
6	06-11-2012 to 09-11-2012	प्राथमिक एवम् प्रारम्भिक स्तर पर अंग्रेजी अध्यापन	डाईट कांगड़ा
7	11/3/13 to 13/3/2013	विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों पर तीन दिवसीय कार्यशाला	डाईट मण्डी
8	14 - 15 मार्च, 2013	लैंगिक संवेदनशीलता पर कार्यशाला	डाईट मण्डी
9	11 -15 मार्च, 2013	अंग्रेजी अध्यापकों के लिए CAL-विकी प्रशिक्षण	

9. अनुसंधान गतिविधियां

किसी भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिये अनुसंधान और मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अनुसंधान भविष्य की नीतियों तथा योजनाओं को आधार प्रदान करता है। गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़ों के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान की योजना बनाई तथा उसके प्रभाव को आंका जा सकता है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का मुख्य ध्यान सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर है उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर विभिन्न सूचकों के माध्यम से शिक्षा प्रणाली की प्रारम्भिक दक्षता को निर्धारित करने तथा मापने के लिए वर्ष 2012-13 की वार्षिक कार्य योजना तथा बजट में प्रावधान किया गया था।

वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित अध्ययन किये गये :-

1. उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में स्कूल प्रबन्धन समिति की भूमिका अध्ययन के उद्देश्य:-
 - विभिन्न बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता।
 - बुनियादी सुविधाओं की कमियों को दूर करने के लिए स्कूल प्रबन्धन समितियों द्वारा उठाए गए कदम।
 - बच्चों के नामांकन, स्कूल छोड़ने से रोकने के लिये तथा स्कूल समय में गैरहाजिरी के मद्देनजर स्कूल प्रबन्धन समिति द्वारा उठाए गए कदम।
 - मौजूदा बुनियादी सुविधाओं के रख-रखाव के लिये उठाए गए कदम।
 - मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम।
 - अधिगम स्तर में सुधार के लिये शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को नियमित तथा समयबद्ध बनाने में उठाए गए कदम।

नमूना:

राज्य के 5 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर, शिमला तथा सोलन में अध्ययन किया गया। हमीरपुर को छोड़ कर जहां पर 20 पाठशालाओं को चुना गया बाकी प्रत्येक जिलों से 30 उच्च प्राथमिक पाठशालाओं को चुना गया। डाटा संग्रह कर लिया गया है तथा राज्य परियोजना कार्यालय में इसका विश्लेषण किया गया।

आंकड़ों का विश्लेषण कर लिया गया है तथा रिपोर्ट लिखने की प्रक्रिया चल रही है।

“प्रारम्भिक स्तर पर सरकारी स्कूलों में घटता नामांकन :

कारण :

अध्ययन के उद्देश्य :-

1. सैम्पल जिलों में नामांकन प्रवृत्ति का ग्रामीण पंजीकरण रजिस्टर के आधार पर वर्ष 2008 से वर्ष 2012 तक का अध्ययन।
2. मुख्याध्यापकों और अभिभावकों की सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन के बारे में विचार धारा का अध्ययन:-
 1. घटती जन्मदर व दाखिले की उम्र।
 2. कामगर माता-पिता के बच्चों की देखभाल का निजी स्कूलों द्वारा जिम्मेवारी सांझा करना।

3. निजी स्कूलों द्वारा बच्चों के दाखिले से लेकर शिक्षा पूर्ण होने तक जिम्मेवारी लेना।
4. अभिभावकों के अनुसार निजी स्कूलों में भौतिक सुविधाओं का बेहतर होना।
5. अभिभावकों के अनुसार निजी स्कूलों का पाठ्यक्रम बेहतर होना।
6. निजी स्कूलों में सरकारी स्कूलों की अपेक्षा स्टाफ की गुणवत्ता व संख्या का बेहतर होना।

विधि :

वर्तमान अध्ययन के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

सैंपल / जनसंख्या

वर्तमान अध्ययन के लिए राज्य के 6 जिलों का चयन किया गया है। प्रत्येक चयनित जिले से 25 प्राथमिक स्कूलों के मुख्याध्यापकों व 100 अभिभावकों जिनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं के विचारों को प्रश्नपत्र के माध्यम से लिया गया है।

2012-13 में जिला स्तरीय अनुसंधान अध्ययन

बिलासपुर

जिला बिलासपुर में प्रारम्भिक स्तर पर पढ़ने वाले आवासीय और गैर-आवासीय बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि: एक तुलनात्मक अध्ययन

नमूना: 10:100 आवासीय तथा गैर-आवासीय (प्रवासी) छात्रों को चुना गया।

अध्ययन के नतीजे:

- गणित में गैर-आवासीय बच्चों का उपलब्धि स्तर आवासीय बच्चों की तुलना में काफी कम रहा।
- अंग्रजी में गैर-आवासीय बच्चों का उपलब्धि स्तर आवासीय बच्चों की तुलना में काफी कम रहा।
- हिन्दी गैर-आवासीय बच्चों का उपलब्धि स्तर आवासीय बच्चों की तुलना में काफी कम रहा।
- पर्यावरण शिक्षा में गैर-आवासीय बच्चों का उपलब्धि स्तर आवासीय बच्चों की तुलना में काफी कम रहा।

जिला बिलासपुर में 2007 से 2012 तक सरकारी स्कूलों में नामांकन की प्रवृत्ति एक मूल्यांकित अध्ययन

नमूना: 50 सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं को चुना गया। प्रत्येक पाठशालाओं के एक अध्यापक तथा दो अभिभावकों को प्रश्नावली दी गई तथा साक्षात्कार लिया गया।

अध्ययन के नतीजे:

- वर्ष 2007 से 2012 तक सरकारी स्कूलों में मूल्यांकन में गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2007-08 में प्राथमिक स्तर पर 23445 बच्चे थे जो वर्ष 2012-13 में घट कर 18497 रह गये।
- सभी प्रबंधन स्तर अर्थात् सरकारी तथा गैर-सरकारी स्कूलों में नामांकन वर्ष 2007-08 के 55646 से घट कर वर्ष 2012-13 में 49726 रह गया।
- गैर-सरकारी स्कूलों में प्रत्येक कक्षा के लिये एक अध्यापक होने के कारण लोग सरकारी स्कूलों के अपेक्षा गैर-सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे भेज रहे हैं।
- अभिभावकों ने कहा कि गैर-सरकारी स्कूलों में बच्चों का कक्षा कार्य तथा गृह कार्य नियमित रूप से जांचा जाता है तथा अध्यापक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में रुचि लेते हैं।
- कुछ अध्यापकों ने कहा कि गैर-सरकारी स्कूलों में फीस के अधिक होने के कारण अभिभावक अधिक जागरूक तथा सजग रहते हैं।
- अधिकतर अध्यापकों ने कहा कि सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कार्यों जैसे जनगणना, चुनावी कार्यों, खेल-कूद तथा अन्य कार्यों के चलते वे छात्रों को पूरा समय नहीं दे पाते।
- कुछ अध्यापकों ने कहा कि अधिकतर प्राथमिक पाठशालाओं में पांच कक्षाओं के लिये दो अध्यापक हैं जिसके कारण वे कक्षाओं का कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। जबकि गैर-सरकारी स्कूलों में प्रति कक्षा के लिये एक अध्यापक होता है।
- अधिकांश शिक्षकों ने कहा कि गैर-सरकारी स्कूलों में नर्सरी, एल०के०जी० तथा यू०के०जी० की कक्षाएं होती हैं। जिसके कारण वे प्री-स्कूल स्तर के अधिकांश बच्चों को ले लेते हैं।
- अधिकांश शिक्षकों ने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों के प्रति सजग नहीं रहते तथा वे अपने बच्चों की उपलब्धियों तथा गतिविधियों में कोई रुचि नहीं दिखाते।

जिला काँगड़ा

"उपलब्धि जांच तथा ज्ञान का उपयोग"

छठी कक्षा के बच्चों की गणित, अंग्रेजी, हिन्दी तथा पर्यावरण शिक्षा में समझ पर आधारित टैस्ट दिया गया। जिला के सभी शैक्षिक खण्डों को मुद्रित प्रश्नावली दी गई। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जे०बी०टी० अध्यापकों द्वारा जिला प्रशिक्षण संस्थान में किया गया। इस परीक्षा में सरकारी स्कूलों के 2287 छात्रों ने भाग लिया। प्रत्येक खण्ड से 4 टॉपर (दो लड़के तथा दो लड़कियों) को चुना गया।

परिणाम:—

- अंग्रेजी में अधिकतम अंक 25 थे डाडा-सिब्बा खण्ड के एक छात्र ने 15.5 अंक हासिल किये। जबकि रैत खण्ड की छात्रा ने 13.5 अंक हासिल किये। अंग्रेजी में न्यूनतम अंक 2 रहे। अधिकतम तथा न्यूनतम अंकों में बड़ा अन्तर देखा गया।
- फतेहपुर तथा बैजनाथ खण्डों से क्रमशः एक छात्रा तथा छात्र ने अधिकतम 18.5 अंक लिये। न्यूनतम अंक 7 रहे।
- गणित में डाडा-सिब्बा खण्ड के छात्र 25 में से 24.5 अंक हासिल किये। रैत खण्ड की छात्रा 13.5 अंक लेकर प्रथम रही। न्यूनतम अंक शून्य रहा जो कुछ खण्डों में विषय की निराशाजनक स्थिति को इंगित करती है।
- पर्यावरण शिक्षा में डाडा-सिब्बा तथा इन्दौरा खण्ड के छात्र तथा छात्रा ने अधिकतम 20 तथा 16 अंक हासिल किये। न्यूनतम अंक शून्य रहे।

जिला सोलन

“उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरुकता”

परिणाम:—

प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण वर्णनात्मक सांख्यिकी के माध्यम से किया गया तथा निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए। प्रत्येक खण्ड के लिये गणना अलग-अलग की गई।

- पर्यावरण जागरुकता के प्रति छात्र-छात्राओं के रवैये में महत्वपूर्ण अन्तर है।
- अध्ययन से पता चलता है कि पर्यावरण जागरुकता के प्रति छात्राओं को दृष्टिकोण अधिक अनुकूल है।
- विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि पर्यावरण जागरुकता के प्रति कुठार खण्ड की छात्राओं का रवैया अधिक अनुकूल है।
- अध्ययन से पता चलता है कि धर्मपुर खण्ड के छात्रों का रवैया पर्यावरण तथा वनों के प्रति अधिक अनुकूल है।

जिला कुल्लू

“प्रारम्भिक स्तर पर गुणवत्ता संबंधी उपायों को सुनिश्चित करने में स्कूल प्रबंधन समिति की भूमिका”

रिपोर्ट लिखने की प्रक्रिया चल रही है।

जिला कुल्लू में उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में कम्प्यूटर आधारित अधिगम कार्यक्रम पर अध्ययन : एक मूल्यांकन

प्रारम्भिक निष्कर्ष:

- कम्प्यूटर आधारित अधिगम कार्यक्रम में सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

- पाठशालाओं में केवल कम्प्यूटर अध्यापक द्वारा अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है।
- पाठशाला में बच्चों की गिनती के मुकाबले में कम्प्यूटरों की कमी।
- पाठशालाओं में सी०डी० तथा डी०वी०डी० का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है।

रिपोर्ट लिखने का कार्य चल रहा है।

“शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सतत् समग्र मूल्यांकन तथा फेल न करने के प्रावधान को लागू करने पर अध्ययन”

निष्कर्ष:

- अध्यापक पर कार्यालय कार्य के बोझ को कम करने की आवश्यकता।
- पाठशाला गतिविधियों के नियमित अनुश्रवण की आवश्यकता।
- अभिभावकों के साथ बच्चों की प्रगति को सांझा करना।
- प्रति कक्षा अध्यापक की आवश्यकता।

पाठशाला अनुश्रवण के निष्कर्ष:

- अधिकांश पाठशालाओं में विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर विशेषकर गणित तथा अंग्रेजी विषयों में औसत रहा।
- अधिकतर पाठशालाओं में बच्चों के सतत् समग्र मूल्यांकन का रिकॉर्ड ठीक ढंग से रखा जा रहा है परन्तु अधिकतर मामलों में यह छात्रों की वास्तविक प्रगति से मेल नहीं खाता।
- अनुश्रवण के दौरान उपचारात्मक उपायों को नदारद पाया गया।
- एकल अध्यापक पाठशाला तथा बहु-कक्षीय स्थिति में सतत् समग्र मूल्यांकन को लागू करने में समस्या।
- नमांकन में गिरावट की प्रवृत्ति।
- अधिकांश पाठशालाओं में गतिविधि आधारित शिक्षण नहीं करवाया जा रहा।

जिला शिमला

“प्रारंभिक स्तर पर छात्रों में अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता स्तर”

निष्कर्ष

- अध्ययन के विश्लेषण के लिए प्रतिशत तकनीक का प्रयोग किया गया। नमूने से विश्लेषण एकत्रित आंकड़ों का समग्र रूप में, लिंग व स्तरानुसार विश्लेषण किया गया।
- यह पाया गया कि समग्र का औसत दक्षता स्तर 51.16 प्रतिशत है। लड़कों में यह 50.01 प्रतिशत तथा लड़कियों में 52.31 प्रतिशत पाया गया।
- लड़कों तथा लड़कियों के दक्षता स्तर में मामूली अंतर 2.3 प्रतिशत है।

- 174 छात्रों में केवल 12 छात्रों में 80 प्रतिशत या इससे अधिक अंक हासिल किये जो कि छात्र संख्या का 6.89 प्रतिशत है जबकि 175 में से 19 छात्रों ने 80 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये जो कि कुल छात्र संख्याओं का 10.85 प्रतिशत है। लड़को व लड़कियों ने ही दोनों वांछित स्तर प्राप्त नहीं किए हैं।
- दक्षता स्तर 80-80 प्रतिशत रखा गया जो प्राप्त नहीं किया गया। 349 में से मात्र 31 विद्यार्थी अर्थात् कुल संख्या का 8.8 प्रतिशत विद्यार्थी 80-100 प्रतिशत दक्षता स्तर में आए जबकि बाकी 318 अर्थात् 92.2 प्रतिशत वांछित स्तर प्राप्त नहीं कर पाये।
- दक्षता टैस्ट में 10 प्रश्न थे जिसमें से प्रश्न 1 से 7 अंग्रेजी सीखने के तथा 8-10 प्रश्न अभिव्यक्ति स्तर के थे।

अतः यह देखा गया कि खण्ड में दक्षता प्राप्त नहीं हो रहा है और यह अभी तक वांछित दक्षता स्तर से नीचे है।

निष्कर्ष

कूपी खण्ड में किये गए अध्ययन से स्पष्ट है कि खण्ड अंग्रेजी में वांछित स्तर में पिछड़ रहा है। प्रतिशत की औसत दर्शाती है कि अंग्रेजी विषय में प्रवीणता के वांछित स्तर को प्राप्त करने में काफी कार्य किये जाने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि अंग्रेजी में प्रवीणता के लिए अध्यापक के पारम्परिक तरीकों की अपेक्षा नये तरीकों को अपनायें। अंग्रेजी में व्याकरण में सुधार पर जोर दिया जाये। अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी में बातचीत के लिए प्रोत्साहित करे ताकि बच्चे में भाषा की पकड़ बढ़े।

“हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के सराहन खण्ड में अभिभावकों में गैर-सरकारी पाठशालाओं को प्राथमिकता”

निष्कर्ष:

आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आए:

अधिकतर अभिभावकों ने माना कि सरकारी स्कूलों के अध्यापक व वर्ग कर्मचारी निजी स्कूलों की अपेक्षा अधिक योग्य हैं मगर फिर भी निम्नलिखित कारणों से व अपने बच्चों के लिये निजी स्कूल पसंद करते हैं:-

- अभिभावकों की राय में सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है। व अधिकतर गैर-शैक्षिक कार्यों में लगे रहते हैं तथा जब पाठशाला में मौजूद होते हैं तब भी परिश्रम नहीं करते है।
- उनके मुताबिक सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी है। सराहन खण्ड में स्कूल पी०टी०ए० शिक्षकों द्वारा चलाए जा रहे हैं तथा अधिकांश उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में गणित व विज्ञान के अध्यापक ही नहीं है।

- अधिकतर अभिभावकों के मुताबिक निजी स्कूलों के शिक्षक सरकारी स्कूलों के अध्यापकों से अधिक वचनवद्धता से कार्य करते हैं।
- निजी स्कूलों में वातावरण तथा अनुशासन सरकारी स्कूलों से कहीं ज्यादा बेहतर है।
- अभिभावकों ने स्वीकार किया कि निजी स्कूल उनके बच्चों को उच्चतर शिक्षा के लिये बेहतर तैयार करते हैं।
- अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी सीखें तथा निजी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते हैं। वे अंग्रेजी पढ़ाते हैं तथा उनके बच्चे सरकारी स्कूलों के बच्चों की अपेक्षा जल्दी अंग्रेजी में बातचीत करना शुरू कर देते हैं।
- निजी स्कूलों में पाठ्यक्रम के अलावा भी अन्य विषय पढ़ाये जाते हैं।
- यह भी देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में निजी स्कूलों में आवासीय सुविधाओं के कारण दूरस्थ क्षेत्रों जैसे सराहन खण्ड तथा किन्नौर जिले के बच्चों को अभिभावक इन निजी स्कूलों में नामांकित करते हैं।
- सरकारी स्कूलों की अपेक्षा निजी स्कूलों में आवागमन की सुविधाओं के चलते अभिभावक अपने बच्चों को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं।
- अभिभावक की आर्थिक स्थिति भी निजी स्कूलों को वरीयता देने का एक कारण है।
- निजी स्कूलों में लड़कियों की तुलना में लड़कों का प्रवेश अधिक है।

“शिमला के रामपुर खण्ड में प्राथमिक स्तर के बच्चों में पढ़ने लिखने का अंक गणित कौशल”

निष्कर्ष:

- पढ़ने के कौशल में विद्यार्थियों का हिन्दी में कार्य निष्पादन अंग्रेजी की अपेक्षा बेहतर रहा।
- पढ़ने की अपेक्षा लिखने के कौशल में विद्यार्थियों की स्थिति चिंताजनक रही।
- कक्षा 5 के केवल 20.73 प्रतिशत बच्चे ही हिन्दी समझ पाये।
- कक्षा 5 के केवल 15.44 प्रतिशत विद्यार्थी ही अंग्रेजी समझ पाए।
- कक्षा 5 के केवल 33.73 प्रतिशत विद्यार्थी ही अंक गणित के सवाल हल कर पाये।
- 38.20 प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा 2 का अंक गणित (हासिल से योग तथा घटाना) भी नहीं कर पाए।

“शिमला के शैक्षिक खण्ड जुब्बल में उच्च प्राथमिक स्तर पर किशोरियों में स्व-शरीर छवी”

निष्कर्ष :

1. निष्कर्ष इंगित करते हैं कि 10-15 वर्ष के आयु समूह की लड़कियां में खुद के प्रति साकारात्मक छवि हैं।

2. यह पाया गया है कि 10-15 वर्ष के आयु समूह की लड़कियां अपनी वेशभूषा में अधिक प्रभावित है। हालांकि ये लड़कियां ग्रामीण क्षेत्रों से थी, लेकिन चित्राकनों ने शहरी पहनावे के प्रतिदिन लड़कियों की पसंद को दर्शाया है। कुछ चित्राकनों में एक लड़की को उसकी पृष्ठभूमि में घर तथा खेतों में अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते हुये दिखाया। परन्तु उसी समय उन चित्राकनों में शहरी पहनावे के प्रति उसकी उत्सुकता भी दिखाई देती है।
3. सभी आयु समूह की लड़कियों की अपने स्थान तथा प्रकृति से निकटता उनके चित्रों से प्रतिबिम्बित होती है। यह पर्वतों, मेघ पेड़-पौधों के चित्रों से स्पष्ट होता है।

जिला ऊना

"अध्यापक प्रशिक्षण का बच्चों के उपलब्धि स्तर पर प्रभाव"

अध्यापन दो चरणों में किया गया पहले चरण में अध्यापक के दृष्टिकोण पर अध्यापक प्रशिक्षण के प्रभाव के अवलोकन के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई दूसरे चरण में एक प्रारूप तैयार किया गया जिसमें जांचा जा सके कि प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई बातें शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा बन पाई कि नहीं। यह प्रारूप डाईट ऊना के प्रशिक्षुओं ने अम्ब तथा हरोली खण्डों के 50 प्राथमिक पाठशालाओं में भरा। 180 प्राथमिक अध्यापक (प्रत्येक शिक्षा खण्ड से 30) तथा अम्ब व हरोली खण्ड की 50 पाठशालाओं (प्रत्येक शिक्षा खण्ड से 25 पाठशाला) के 3 और 5 के बच्चे इस अध्ययन के लक्ष्य समूह में शामिल हुए।

अध्यापक प्रश्नावली के विश्लेषण से पाया गया कि अध्यापक प्रशिक्षण के बाद 10-30 अध्यापकों के दृष्टिकोण में बदलाव आया। जिन संकल्पनाओं को बच्चों को स्पष्ट करने में उन्हें कठिनाई का अनुभव होता था, प्रशिक्षण के बाद वे सरल हो गई।

चैक लिस्ट विश्लेषण के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आये।

कक्षा 3							
क्र०सं०	अवलोकन का समय	संख्या	योग प्रतिशत ग्रेड सभी विषयों में				
			A	B	C	D	E
1	प्रशिक्षण से पहले	1019	4	19	30	28	19
2	प्रशिक्षण के बाद	1003	9	28	29.7	24	11

कक्षा 5							
क्र०सं०	अवलोकन का समय	संख्या	योग प्रतिशत ग्रेड सभी विषयों में				
			A	B	C	D	E
1	प्रशिक्षण से पहले	1116	6	26	30	25	13
2	प्रशिक्षण के बाद	1101	10	33	29	21	9

यह पाया गया है कि प्रशिक्षण के बाद अध्यापकों के अध्यापन के तरीकों में सुधार आया जिसके फलस्वरूप छात्रों का निम्न ग्रेड से उच्च ग्रेड में परिवर्तन सम्भव हो पाया।

अनुसंधान अनुमोदन समिति का गठन :

राज्य स्तर पर अनुसंधान अनुमोदन समिति (Research Advisory Committee) का गठन राज्य स्तर पर राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में गठन किया गया। इस समिति के सदस्य एडसिल दिल्ली से प्रोफेसर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग तथा लोक प्रशासन विभाग, एस०सी०ई०आर०टी०, शिक्षा महाविद्यालय, राज्य परियोजना कार्यालय तथा डाईट से हैं।

वर्तमान अनुसंधान गतिविधियों तथा आगामी रणनीतियों और बेहतर कार्यान्वयन के लिए समिति की तिमाही बैठक होती है। समिति की बैठक मई, 2012 में राज्य परियोजना कार्यालय में हुई जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाली अनुसंधान गतिविधियों की समीक्षा की गई।

“जिले के अनुसंधान एवम् मूल्यांकन समन्वयकों की तिमाही बैठक”

कार्य प्रगति की समीक्षा तथा भावी रणनीति के निर्धारण के लिए जिला अनुसंधान एवम् मूल्यांकन समन्वयकों से तिमाही बैठक की गई।

10. मूल्यांकन गतिविधियां

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के अर्न्तगत छात्रों का आठवीं कक्षा तक सतत समग्र मूल्यांकन किया जाना तय है। इसके तहत इस सत्र से सतत समग्र मूल्यांकन को कक्षा आठवीं तक लागू किया गया है।

मूल्यांकन:

साक्ष्य पर आधारित सामरिक नीति और सेवा नियोजन अनुसंधान, मूल्यांकन और आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से विकसित किया जाता है। प्राथमिकता वाली पहलों ओर योजनाओं में पहचाने गए क्षेत्रों में परिणामों में सुधार में मूल्यांकन का योगदान है।

अनुसंधान एवं मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:-

- मूल्यांकित अनुसंधान
- आंकड़ों का विश्लेषण
- सामग्री निर्माण
- शेर करना
- नई गतिविधियों का पायलट आधार पर लागू करना
- क्षमता विकास
- रिपोर्टिंग

चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम

हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। प्रदेश का मुख्य ध्यान बच्चों के सीखने के स्तर को बढ़ाने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। छात्रों की सीखने की उपलब्धियों, शैक्षणिक प्रगति तथा प्रत्येक बच्चे के बारे में अन्य प्रासंगिक जानकारी के व्यापक डाटा रिकॉर्ड को बनाये रखने के लिए प्रगति को एक विशेष रूप से बने सॉफ्टवेयर में रखा जाता है। यह सॉफ्टवेयर बच्चे, वर्ग, विषय स्कूल, संकुल खण्ड, जिला वार उपलब्धियों का रिकॉर्ड प्रदान करता है और टर्मवार इसे बनाए रखता है। इसे सफलतापूर्वक कार्यान्वयन नहीं किया जा सका क्योंकि इसके लिए इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता है। एकत्रित डाटा इस प्रकार है:-

Class-VI 1st Term Hindi 2012-13


Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	0	0	3	2.9	3	1.3	0	0	0	0	0	0		0
B	12	9.2	10	9.8	22	9.4	5	5.2	0	0	0	0		0
C	38	29	29	28.4	67	28.8	19	19.8	0	0	0	0	1	50
D	73	55.7	52	51	125	53.6	64	66.7	1	100	0	0	1	50
E	8	6.1	8	7.8	16	6.9	8	8.3	0	0	0	0		0
Total	131	100	102	100	233	100	96	100	1	100	0	0	2	100

Class-VI 1st Term English 2012-13


Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	1	0.8	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0		0
B	10	7.6	13	12.7	23	9.9	8	8.3	0	0	0	0		0
C	32	24.4	17	16.7	49	21	19	19.8	0	0	0	0		0
D	76	58	60	58.8	136	58.4	58	60.4	1	100	0	0	2	100
E	12	9.2	12	11.8	24	10.3	11	11.5	0	0	0	0		0
Total	131	100	102	100	233	100	96	100	1	100	0	0	2	100

Class-VI 1st Term Maths 2012-13

Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	2	1.5	4	3.9	6	2.6	3	3.1	0	0	0	0		0
B	16	12.2	5	4.9	21	9	5	5.2	0	0	0	0		0
C	35	26.7	23	22.5	58	24.9	19	19.8	0	0	0	0	1	50
D	68	51.9	59	57.8	127	54.5	59	61.5	1	100	0	0		0
E	10	7.6	11	10.8	21	9	10	10.4	0	0	0	0	1	50
Total	131	100	102	100	233	100	96	100	1	100	0	0	2	100




विद्यया ऽमृतमश्नुते
श्री कृष्ण



Class-VI 1st Term Science 2012-13														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	6	4.6	2	2	8	3.4	6	6.2	0	0	0	0		0
B	13	9.9	9	8.8	22	9.4	5	5.2	0	0	0	0		0
C	74	56.5	61	59.8	135	57.9	50	52.1	0	0	0	0	2	100
D	38	29	30	29.4	68	29.2	35	36.5	1	100	0	0		0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total	131	100	102	100	233	100	96	100	1	100	0	0	2	100
Class-VI 1st Term SST 2012-13														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	1	0.8	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0		0
B	9	6.9	7	6.9	16	6.9	3	3.1	0	0	0	0		0
C	84	64.1	64	62.7	148	63.5	60	62.5	1	100	0	0	2	100
D	37	28.2	31	30.4	68	29.2	33	34.4	0	0	0	0		0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total	131	100	102	100	233	100	96	100	1	100	0	0	2	100
Class-VI 1st Term Co-scholastic 2012-13														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	7	5.3	4	3.9	11	4.7	0	0	0	0	0	0		0
B	20	15.3	14	13.7	34	14.6	10	10.4	0	0	0	0		0
C	87	66.4	69	67.6	156	67	71	74	1	100	0	0	2	100
D	17	13	15	14.7	32	13.7	15	15.6	0	0	0	0		0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total	131	100	102	100	233	100	96	100	1	100	0	0	2	100

Class-VI 3rd Term Hindi 2011-12														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	90	6.7	134	8.9	227	7.8	72	6.6	2	3.4	0	0		0
B	251	18.7	384	25.4	652	22.5	218	19.9	13	22.4	0	0		0
C	542	40.4	646	42.7	1204	41.6	479	43.8	20	34.5	0	0		0
D	438	32.7	330	21.8	772	26.7	311	28.4	22	37.9	1	100	4	100
E	19	1.4	19	1.3	38	1.3	14	1.3	1	1.7	0	0		0
Total	1340	100	1513	100	2893	100	1094	100	58	100	1	100	4	100
Class-VI 3rd Term English 2011-12														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	48	4.1	88	7	147	5.9	43	4.7	1	1.7	0	0		0
B	201	17.1	240	19	455	18.4	133	14.7	8	13.8	0	0		0
C	423	36.1	523	41.4	956	38.6	329	36.3	22	37.9	0	0		0
D	461	39.3	382	30.2	848	34.2	370	40.8	23	39.7	0	0	4	100
E	40	3.4	31	2.5	71	2.9	32	3.5	4	6.9	1	100		0
Total	1173	100	1264	100	2477	100	907	100	58	100	1	100	4	100
Class-VI 3rd Term Maths 2011-12														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	73	6.3	101	8.1	176	7.2	59	6.6	2	3.6	0	0		0
B	185	16	204	16.4	397	16.3	107	11.9	1	1.8	0	0		0
C	445	38.6	501	40.2	970	39.8	377	42	16	29.1	0	0		0
D	433	37.5	420	33.7	859	35.2	339	37.8	35	63.6	0	0	4	100
E	18	1.6	19	1.5	37	1.5	16	1.8	1	1.8	1	100		0
Total	1154	100	1245	100	2439	100	898	100	55	100	1	100	4	100



Class-VI 3rd Term Science 2011-12


Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	195	16.8	287	23	504	20.6	159	17.7	8	14	0	0		0
B	467	40.3	511	40.9	988	40.3	343	38.1	27	47.4	0	0		0
C	416	35.9	383	30.6	807	32.9	333	37	18	31.6	0	0	4	100
D	82	7.1	69	5.5	151	6.2	65	7.2	4	7	1	100		0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total	1160	100	1250	100	2450	100	900	100	57	100	1	100	4	100

Class-VI 3rd Term SST 2011-12

Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	211	18	277	21.9	506	20.5	137	15.1	7	12.1	0	0		0
B	466	39.8	559	44.3	1044	42.2	393	43.3	33	56.9	0	0		0
C	424	36.2	383	30.3	810	32.7	330	36.4	15	25.9	1	100	4	100
D	70	6	44	3.5	114	4.6	47	5.2	3	5.2	0	0		0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total	1171	100	1263	100	2474	100	907	100	58	100	1	100	4	100

Class-VI 3rd Term Co-scholastic 2011-12


Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	352	33.5	474	41.9	847	38.1	285	35.3	23	40.4	0	0		0
B	523	49.8	502	44.4	1042	46.9	419	51.9	21	36.8	0	0		0
C	157	15	139	12.3	298	13.4	100	12.4	13	22.8	1	100	4	100
D	18	1.7	16	1.4	34	1.5	4	0.5	0	0	0	0		0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total	1050	100	1131	100	2221	100	808	100	57	100	1	100	4	100




Class-VII 1st Term Hindi 2012-13														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	1	0.8	5	4.1	6	2.4	2	2.4	0	0	0	0		0
B	12	9.4	17	13.9	29	11.6	5	6	0	0	0	0		0
C	43	33.9	48	39.3	91	36.5	28	33.7	1	12.5	0	0	1	33.3
D	60	47.2	42	34.4	102	41	41	49.4	6	75	1	100	1	33.3
E	11	8.7	10	8.2	21	8.4	7	8.4	1	12.5	0	0	1	33.3
Total	127	100	122	100	249	100	83	100	8	100	1	100	3	100

Class-VII 1st Term English 2012-13														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	1	0.8	5	4.1	6	2.4	2	2.4	0	0	0	0		0
B	12	9.4	17	13.9	29	11.6	5	6	0	0	0	0		0
C	43	33.9	48	39.3	91	36.5	28	33.7	1	12.5	0	0	1	33.3
D	60	47.2	42	34.4	102	41	41	49.4	6	75	1	100	1	33.3
E	11	8.7	10	8.2	21	8.4	7	8.4	1	12.5	0	0	1	33.3
Total	127	100	122	100	249	100	83	100	8	100	1	100	3	100


Class-VII 1st Term Maths 2012-13														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	0	0	2	1.6	2	0.8	1	1.2	0	0	0	0		0
B	5	3.9	12	9.8	17	6.8	1	1.2	1	12.5	0	0	1	33.3
C	47	37	47	38.5	94	37.8	31	37.3	3	37.5	0	0		0
D	70	55.1	57	46.7	127	51	42	50.6	4	50	1	100	1	33.3
E	5	3.9	4	3.3	9	3.6	8	9.6	0	0	0	0	1	33.3
Total	127	100	122	100	249	100	83	100	8	100	1	100	3	100




Class-VII 1st Term Science 2012-13														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	5	3.9	6	4.9	11	4.4	2	2.4	0	0	0	0		0
B	19	15	16	13.1	35	14.1	15	18.1	1	12.5	0	0		0
C	83	65.4	84	68.9	167	67.1	60	72.3	7	87.5	1	100	1	33.3
D	20	15.7	16	13.1	36	14.5	6	7.2	0	0	0	0	2	66.7
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total	127	100	122	100	249	100	83	100	8	100	1	100	3	100
Class-VII 1st Term SST 2012-13														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	1	0.8	4	3.3	5	2	1	1.2	0	0	0	0		0
B	17	13.4	17	13.9	34	13.7	11	13.3	0	0	0	0	1	33.3
C	71	55.9	68	55.7	139	55.8	44	53	5	62.5	1	100	1	33.3
D	38	29.9	33	27	71	28.5	27	32.5	3	37.5	0	0	1	33.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total	127	100	122	100	249	100	83	100	8	100	1	100	3	100
Class-VII 1st Term Co'scholastic 2012-13														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	1	0.8	5	4.1	6	2.4	1	1.2	0	0	0	0		0
B	33	26	25	20.5	58	23.3	15	18.1	0	0	0	0	1	33.3
C	84	66.1	83	68	167	67.1	65	78.3	8	100	1	100	2	66.7
D	9	7.1	9	7.4	18	7.2	2	2.4	0	0	0	0		0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total	127	100	122	100	249	100	83	100	8	100	1	100	3	100



Class-VII 3rd Term Hindi 2011-12														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	84	7.2	132	11.4	216	9.2	56	6.8	0	0	0	0		0
B	244	20.8	296	25.6	546	23.2	189	23	3	5.4	0	0		0
C	403	39.5	454	39.3	923	39.2	313	38	15	26.8	1	50		0
D	361	30.8	258	22.4	634	27	259	31.5	35	62.5	0	0		0
E	19	1.6	14	1.2	33	1.4	6	0.7	3	5.4	1	50		0
Total	1171	100	1154	100	2352	100	823	100	56	100	2	100		
Class-VII 3rd Term English 2011-12														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	52	4.8	81	8.2	138	6.6	38	5.3	1	1.8	0	0		0
B	183	16.9	165	16.7	356	16.9	112	15.7	5	9.1	0	0		0
C	444	40.9	438	44.2	887	42.2	279	39.1	23	41.8	1	50		0
D	389	35.9	298	30.1	696	33.1	281	39.4	26	47.3	0	0		0
E	17	1.6	8	0.8	25	1.2	4	0.6	0	0	1	50		0
Total	1085	100	990	100	2102	100	714	100	55	100	2	100		
Class-VII 3rd Term Maths 2011-12														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	66	6.1	72	7.3	138	6.6	33	4.6	0	0	0	0		0
B	170	15.7	144	14.6	323	15.4	103	14.4	2	3.6	0	0		0
C	415	38.4	394	39.8	817	38.9	266	37.3	15	27.3	1	50		0
D	415	38.4	370	37.4	795	37.9	305	42.8	38	69.1	0	0		0
E	16	1.5	9	0.9	25	1.2	6	0.8	0	0	1	50		0
Total	1082	100	989	100	2098	100	713	100	55	100	2	100		



Class-VII 3rd Term Science-2011-12														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	185	17.3	212	21.9	405	19.6	122	17.2	3	5.9	0	0		0
B	438	40.9	419	43.3	872	42.2	303	42.7	13	25.5	1	50		0
C	368	34.4	274	28.3	646	31.3	246	34.7	35	68.6	1	50		0
D	80	7.5	62	6.4	142	6.9	38	5.4	0	0	0	0		0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total	1071	100	967	100	2065	100	709	100	51	100	2	100		
Class-VII 3rd Term SST-2011-12														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	218	20.5	240	24.2	467	22.4	136	19.3	8	14.5	0	0		0
B	448	42.1	401	40.4	856	41.1	277	39.2	9	16.4	1	50		0
C	354	33.2	313	31.6	678	32.5	269	38.1	38	69.1	0	0		0
D	45	4.2	38	3.8	83	4	24	3.4	0	0	1	50		0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total	1065	100	992	100	2084	100	706	100	55	100	2	100		
Class-VII 3rd Term Co scholastic 2011-12														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	341	35.8	344	39.5	698	37.7	231	37.1	10	18.5	1	50		0
B	428	44.9	397	45.6	839	45.3	288	46.2	28	51.9	0	0		0
C	170	17.8	126	14.5	296	16	98	15.7	16	29.6	1	50		0
D	14	1.5	4	0.5	18	1	6	1	0	0	0	0		0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total	953	100	871	100	1851	100	623	100	54	100	2	100		



Class-VIII 1st Term Hindi 2012-13


Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	3	2	5	3.6	8	2.7	1	0.9	0	0	0	0	1	33.3
B	27	17.9	16	11.4	43	14.8	10	9.3	0	0	0	0	2	66.7
C	43	28.5	39	27.9	82	28.2	16	15	2	40	0	0		0
D	69	45.7	71	50.7	140	48.1	71	66.4	3	60	1	100		0
E	9	6	9	6.4	18	6.2	9	8.4	0	0	0	0		0
Total	151	100	140	100	291	100	107	100	5	100	1	100	3	

Class-VIII 1st Term English 2012-13

Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	4	2.6	3	2.1	7	2.4	1	0.9	0	0	0	0	1	33.3
B	15	9.9	9	6.4	24	8.2	7	6.5	0	0	0	0	1	33.3
C	42	27.8	37	26.4	79	27.1	22	20.6	3	60	0	0	1	33.3
D	87	57.6	87	62.1	174	59.8	74	69.2	2	40	1	100		0
E	3	2	4	2.9	7	2.4	3	2.8	0	0	0	0		0
Total	151	100	140	100	291	100	107	100	5	100	1	100	3	

Class-VIII 1st Term Maths 2012-13


Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	1	0.7	4	2.9	5	1.7	0	0	0	0	0	0	1	33.3
B	23	15.2	16	11.4	39	13.4	15	14	0	0	0	0	1	33.3
C	40	26.5	30	21.4	70	24.1	16	15	2	40	0	0	1	33.3
D	68	45	78	55.7	146	50.2	54	50.5	3	60	1	100		0
E	19	12.6	12	8.6	31	10.7	22	20.6	0	0	0	0		0
Total	151	100	140	100	291	100	107	100	5	100	1	100	3	




Class-VIII 1st Term Science 2012-13														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	9	6	9	6.4	18	6.2	4	3.7	1	20	0	0	2	66.7
B	35	23.2	38	27.1	73	25.1	29	27.1	1	20	0	0		0
C	66	43.7	71	50.7	137	47.1	41	38.3	2	40	1	100	1	33.3
D	41	27.2	22	15.7	63	21.6	33	30.8	1	20	0	0		0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total	151	100	140	100	291	100	107	100	5	100	1	100	3	

Class-VIII 1st Term SST 2012-13														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	9	6	7	5	16	5.5	3	2.8	0	0	0	0	1	33.3
B	28	18.5	17	12.1	45	15.5	12	11.2	1	20	0	0	1	33.3
C	77	51	95	67.9	172	59.1	61	57	4	80	1	100	1	33.3
D	37	24.5	21	15	58	19.9	31	29	0	0	0	0		0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total	151	100	140	100	291	100	107	100	5	100	1	100	3	


Class-VIII 1st Term Co-scholastic 2012-13														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	11	7.3	7	5	18	6.2	5	4.7	1	20	0	0		0
B	43	28.5	43	30.7	86	29.6	21	19.6	0	0	0	0	1	33.3
C	90	59.6	87	62.1	177	60.8	77	72	4	80	1	100	2	66.7
D	7	4.6	3	2.1	10	3.4	4	3.7	0	0	0	0		0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total	151	100	140	100	291	100	107	100	5	100	1	100	3	



Class-VIII 3rd Term Hindi 2011-12														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	101	8.5	132	11.8	237	10.2	55	6.4	4	11.4	0	0		0
B	267	22.5	342	30.6	613	26.5	200	23.4	9	25.7	0	0		0
C	512	43.1	447	40.1	962	41.5	364	42.7	16	45.7	0	0		0
D	293	24.7	190	17	485	20.9	225	26.4	6	17.1	0	0		0
E	15	1.3	5	0.4	20	0.9	9	1.1	0	0	0	0		0
Total	1188	100	1116	100	2317	100	853	100	35	100	0	0		
Class-VIII 3rd Term English 2011-12														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	78	7.4	93	9.4	174	8.5	32	4.5	5	14.3	0	0		0
B	228	21.5	261	26.5	493	24	152	21.3	10	28.6	0	0		0
C	408	38.5	389	39.5	803	39	293	41.2	8	22.9	0	0		0
D	324	30.6	229	23.2	553	26.9	225	31.6	12	34.3	0	0		0
E	21	2	13	1.3	34	1.7	10	1.4	0	0	0	0		0
Total	1059	100	985	100	2057	100	712	100	35	100	0	0		
Class-VIII 3rd Term Maths 2011-12														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	75	7.1	99	10.1	174	8.5	40	5.6	3	8.8	0	0		0
B	151	14.3	164	16.7	319	15.6	84	11.8	3	8.8	0	0		0
C	424	40.2	406	41.3	834	40.7	295	41.5	8	23.5	0	0		0
D	361	34.2	298	30.3	664	32.4	269	37.8	17	50	0	0		0
E	45	4.3	15	1.5	60	2.9	23	3.2	3	8.8	0	0		0
Total	1056	100	982	100	2051	100	711	100	34	100	0	0		



Class-VIII 3rd Term Science 2011-12														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	184	17.2	202	20.4	388	18.7	103	14.4	6	17.1	0	0		0
B	409	38.3	402	40.6	816	39.4	283	39.6	10	28.6	0	0		0
C	406	38	328	33.1	740	35.7	274	38.3	17	48.6	0	0		0
D	70	6.5	58	5.9	128	6.2	55	7.7	2	5.7	0	0		0
E	Class-VIII 3rd Term Hindi			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total	1069	100	990	100	2072	100	715	100	35	100	0	0		
Class-VIII 3rd Term SST 2011-12														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	224	21	276	28	507	24.6	129	18.1	8	22.9	0	0		0
B	455	42.7	406	41.1	866	41.9	311	43.7	7	20	0	0		0
C	334	31.4	269	27.3	604	29.2	241	33.9	16	45.7	0	0		0
D	52	4.9	36	3.6	88	4.3	30	4.2	4	11.4	0	0		0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total	1065	100	987	100	2065	100	711	100	35	100	0	0		
Class-VIII 3rd Term Co-scholastic 2011-12														
Grade	Boys	%	Girls	%	Overall	%	SC	%	ST	%	CWSN	%	Minority	%
A	426	44.2	392	45.2	820	44.5	261	41.6	16	53.3	0	0		0
B	413	42.9	350	40.4	774	42	269	42.8	13	43.3	0	0		0
C	113	11.7	109	12.6	222	12	92	14.6	1	3.3	0	0		0
D	11	1.1	16	1.8	27	1.5	6	1	0	0	0	0		0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total	963	100	867	100	1843	100	628	100	30	100	0	0		



1. क्षमता विकास

शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों का सामाधान करने के लिए डाइट, बी०आर०सी०सी०, सी०आर०सी०सी० तथा संकुल स्तर पर एक्शन अनुसंधान किये गए हैं

2. कक्षा गतिविधियों का मूल्यांकन

सतत् समग्र मूल्यांकन को अधिक सार्थक बनाने के लिये कक्षा-कक्ष में मूल्यांकन को किस प्रकार शिक्षण के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

प्रशिक्षण एवम् उन्मुखीकरण

सभी जिला परियोजना अधिकारियों, प्राथमिक शिक्षा उप-निदेशकों, बी०ई०ई०ओ०, प्रिंसीपलों, मुख्याध्यपकों को सतत् समग्र मूल्यांकन तथा संकुल स्तर पर इसके कार्यान्वयन के संबंध में उन्मुख किया गया। शिक्षकों द्वारा अनिवार्य शिक्षक प्रशिक्षण में सीखे गये नए तरीकों के प्रयोग की निगरानी के लिये भी उन्मुख किया।

छात्रों के पोर्टफोलियों का रख-रखाव



छात्र विकास के लिए पोर्टफोलियों (पी०एस०जी०) समग्र, छात्र केन्द्रित तथा प्रक्रिया आधारित दृष्टिकोण के लिये बनाए जाएंगे जिन्हें एस०एम०सी० की बैठको में अभिभावकों के साथ साझा किया जाएगा।

कक्षा 2 तथा 7 के लिए उपलब्धि

परीक्षण सर्वेक्षण:



राज्य में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक सतत् मूल्यांकन को अपनाया गया है। यह देखने में आया है कि सभी बच्चे निर्धारित मापदंड और क्षमताओं के अनुसार समान रूप से सीख रहे हैं। कक्षा 2 और 8 के छात्रों के त्रयनित नमूनों के लिये एक उपलब्धि परीक्षण किया गया। जिलावार बच्चों की समग्र उपलब्धि नीचे दी गई है।

HINDI-Class-II												
Grade	Bilaspur	Chamba	Hamipur	Kangra	Kinnaur	Kullu	Mandi	Shimla	Sirmour	Solan	Una	State
A	45.2	26.2	52.4	33.1	36.4	30.9	42.7	43.6	49.0	42.2	46.4	40.8
B	22.6	19.8	20.1	20.6	18.5	24.1	18.9	23.0	22.5	24.1	19.9	21.6
C	13.7	23.7	11.3	19.3	17.9	20.0	21.2	16.8	13.4	14.9	14.0	16.9
D	10.7	15.4	11.4	14.7	19.2	15.8	7.5	8.8	8.4	11.5	10.0	11.7
E	7.7	14.9	4.8	12.4	7.9	9.2	9.7	7.7	6.7	7.3	9.7	9.0
Grand Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100





ENGLISH-Class-II

Grade	Bilaspur	Chamba	Hamipur	Kangra	Kinnaur	Kullu	Mandi	Shimla	Sirmour	Solan	Una	State
A	66.21	47.56	72.32	53.67	62.91	54.60	71.33	60.31	63.09	60.09	63.29	61.24
B	17.80	22.62	15.68	22.27	13.91	21.40	13.65	21.04	20.47	19.27	18.14	19.11
C	8.60	15.68	7.20	12.74	9.93	11.66	5.97	10.66	8.05	11.08	11.14	10.34
D	4.2	7.2	2.2	5.8	5.3	6.4	5.1	3.6	4.0	5.0	4.6	4.8
E	3.17	6.94	2.58	5.53	7.95	5.90	3.92	4.35	4.36	4.55	2.86	4.46
Grand Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100





MATHS-Class-II

Grade	Bilaspur	Chamba	Hamipur	Kangra	Kinnaur	Kullu	Mandi	Shimla	Sirmour	Solan	Una	State
A	38.61	38.82	42.25	27.03	30.46	22.50	40.27	34.64	48.32	22.46	0.00	29.50
B	24.13	19.79	20.85	24.58	22.52	22.09	28.50	21.04	16.44	28.53	35.29	24.76
C	16.44	19.28	16.42	15.44	17.22	20.16	13.48	19.07	13.42	22.46	35.43	19.61
D	10.26	11.57	12.18	15.32	19.87	14.68	8.36	12.76	10.07	14.11	17.00	13.16
E	10.6	10.5	8.3	17.6	9.9	20.6	9.4	12.5	11.7	12.4	12.3	13.0





Class-VIII Hindi												
Grade	Bilaspur	Chamba	Hamipur	Kangra	Kinnaur	Kullu	Mandi	Shimla	Sirmour	Solan	Una	State
A	3.3	2.4	5.8	3.7	2.2	5.1	4.3	3.7	1.4	8.6	18.1	5.4
B	27.2	16.7	21.2	12.4	5.4	21.2	19.9	18.1	14.1	27.2	35.9	20.5
C	32.7	29.6	32.7	30.1	24.6	27.1	28.4	31.1	33.5	31.3	30.0	30.2
D	20.7	31.7	25.1	32.7	33.9	26.1	26.4	29.5	28.9	19.2	14.2	26.2
E	16.1	19.5	15.2	21.1	33.9	20.5	20.9	17.7	21.9	13.7	1.7	17.7





English



	Bilaspur	Chamba	Hamipur	Kangra	Kinnaur	Kullu	Mandi	Shimla	Sirmour	Solan	Una	State
A	0.2	0.4	1.1	0.1	0.0	1.4	0.5	0.3	1.7	0.3	4.6	1.0
B	8.1	3.0	5.1	3.1	0.9	6.7	4.8	2.5	6.7	4.2	15.1	5.6
C	15.1	10.1	12.1	7.6	3.1	11.5	12.3	13.0	14.1	13.5	19.5	12.3
D	26.5	25.1	28.2	19.1	18.3	21.3	28.7	29.8	28.8	31.0	36.4	26.7
E	50.0	61.4	53.5	70.2	77.7	59.0	53.6	54.5	48.6	51.1	24.4	54.5



Maths												
	Bilaspur	Chamba	Hamipur	Kangra	Kinnaur	Kullu	Mandi	Shimla	Sirmour	Solan	Una	State
A	8.1	4.8	6.0	4.4	0.9	4.7	5.1	3.1	4.0	11.8	19.7	6.7
B	11.7	9.8	11.9	7.4	1.3	6.1	9.3	7.9	11.3	14.2	15.2	9.8
C	13.8	17.3	16.8	12.9	2.7	13.7	19.6	18.0	13.0	17.5	24.0	16.1
D	16.8	15.8	20.8	17.2	7.1	14.7	16.7	21.9	20.8	16.4	24.9	18.0
E	49.5	52.3	44.5	58.1	87.9	60.8	49.4	49.1	50.9	40.1	16.2	49.3



Science												
	Bilaspur	Chamba	Hamipur	Kangra	Kinnaur	Kullu	Mandi	Shimla	Sirmour	Solan	Una	State
A	0.2	0.1	1	0	0	1	1	2	0	1	6	1
B	2.1	2.7	5	4	1	7	5	4	4	4	20	6
C	17.6	12.7	14	15	7	15	17	17	14	14	40	17
D	37.6	43.3	39	34	28	34	38	37	34	42	28	36
E	42.5	41.3	41	46	64	43	39	41	49	38	6	40



कक्षा 3,4 तथा पांच के लिये सभी विषयों में कौशल-वार मूल्यांकन पत्रकों का विकास:

राज्य में सतत समग्र मूल्यांकन वर्ष 2003-04 से लागू किया जा रहा है। शिक्षक अभी भी ठीक ढंग से छात्रों के समग्र मूल्यांकन तथा ग्रेड करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन को एकीकृत करने में मदद करने के लिए वर्गीकृत ढंग से मूल्यांकन पत्रकों को चयनित नमूना स्कूलों में पायलट के आधार पर लागू किया जाएगा।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

भूमिका:— लोकतंत्र की सामाजिक रचना ने सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा की मजबूती के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निर्णायक पात्र की भूमिका गणतंत्र के आरंभ होने से ही स्वीकार कर ली थी। भारत के संविधान में (86वां संशोधन) 2002 में अनुच्छेद 21-ए के जुड़ जाने से भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को कानूनी रूप दिया जो 1 अप्रैल, 2010 से इस आशय के साथ कि देश 6-14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को संवैधानिक रूप से अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार देगा।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम में वो सारी बातें निहित हैं जो बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने में बाधा हैं जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा शारीरिक पृष्ठभूमि की ध्यानहीन अधूरी जगहों को कैसे पूरा किया जाएगा। यह उचित यथार्थ में न्याय और समानता की स्थापना पर भी जोर देता है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे के अधिकार के लिए कर्तव्यों के परिवेश में राज्य, अध्यापकों, माता पिता, स्कूल प्रबन्धन समितियों और समुदायों को न्याय परिचालन के रूप में शामिल किया गया है। प्रत्येक बच्चे के लिए पड़ोस में गुणवत्तापूर्ण सुविधा निर्धारण करने के लिए राष्ट्र ने अपने आपको 31 मार्च, 2013 की समय सीमा में बांधा है।



11. मीडिया गतिविधियां

सर्व शिक्षा अभियान, हि.प्र. के अन्तर्गत अभियान संबंधी विभिन्न सूचनाओं एवं संदेशों को लक्षित समूहों तक प्रचारित एवं प्रसारित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, परिवहन तथा डाक सेवाओं का प्रयोग शामिल है।

वर्ष 2012-13 की प्रमुख गतिविधियाँ :

1. सर्व शिक्षा अभियान सम्बन्धी गतिविधियों एवं जानकारीयों के प्रचार-प्रसार तथा उपलब्धियों को उजागर करने के उद्देश्य से हिमाचल सरकार द्वारा प्रकाशित गिरिराज साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में दो मध्य पृष्ठ प्रकाशित किए जाते हैं। यह साप्ताहिक समस्त पंचायतों, महिला मण्डलों, स्कूलों व प्रदेश के विभिन्न विभागों में पहुँचता है। अतः यह अभियान का संदेश प्रचारित करने में एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है।
2. प्रिंट मीडिया व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए प्रैस विज्ञप्तियां नियमित रूप से जारी की गईं।
3. प्रदेश में खण्ड, जिला व राज्य स्तरीय विभिन्न गतिविधियों की ऑडियो-वीडियो कवरेज के लिए इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचारों में सर्व शिक्षा अभियान संबंधी समाचार नियमित रूप से प्रसारित किए गए।
4. विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाली बैठकों, कार्यशालाओं व प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मीडिया में नियमित कवरेज की गई।
5. वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं बजट प्रकाशित किया गया तथा वर्ष 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं बजट मुद्रण हेतु तैयार है।
6. प्रिंट/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए विज्ञापन तैयार कर प्रचारित/प्रसारित किए गए।
7. विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्व शिक्षा अभियान संबंधी समाचारों की कतरनें काट कर मीडिया फाईल तैयार की गई जिसको संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।
8. सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए समय-समय पर लेख व फीचर आदि तैयार किए गए और उनको सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग हि. प्र. के माध्यम से विभिन्न मीडिया को व्यापक प्रचार हेतु प्रेषित किया गया।
9. प्रचार सामग्री एवं बाल पत्रिका के प्रकाशन हेतु सामग्री तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
10. शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत "गुणात्मक शिक्षा के शिखर पर हिमाचल" पुस्तक का प्रकाशन किया गया।

11. राज्य, जिला, खंड व स्कूल स्तर पर शिक्षा का अधिकार दिवस 11 नवम्बर को मनाया गया।
12. राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस पर रिज शिमला पर एक झांकी निकाली गई जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गतिविधियों को दर्शाया गया।
13. महिला दिवस, जल दिवस, वन महोत्सव, स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिवसों को मनाया गया।
14. लोगों को जागरुक करने हेतु राज्य स्तरीय महिला दिवस रेडकास मेलों तथा स्थानीय मेलों पर सर्व शिक्षा अभियान का स्टॉल लगाया गया।


12. प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.)

स्कूलों की वार्षिक सूचना को एकत्रित करने और सर्व शिक्षा अभियान के आंकड़ों से सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, प्रबन्धन सूचना प्रणाली, DIETs और SPO स्तर पर गठित की गई है। इन प्रबन्धन सूचना प्रणाली की शाखाओं में वांछित कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ-साथ कुशल और पेशावर कर्मचारी भी कार्यरत हैं। खण्ड स्त्रोत समन्वयक स्तर पर भी प्रबन्धन सूचना प्रणाली गठित की गई है।

राज्य परियोजना कार्यालय, जिलों और ब्लॉक में हार्डवेयर का विवरण निम्न प्रकार से है: प्रत्येक गैर डी.पी.ई.पी. जिले में एक Server और सात Nodes, दो Laser Printers, एक Dot Matrix Printer और एक UPS है। जबकि डी.पी.ई.पी. जिले (चंबा, कुल्लू, सिरमौर, और लाहौल स्पीति) प्रत्येक में आठ PCs चार Printers (2&Laser, Dot Matrix, Inkjet) और एक UPS है। ब्लॉक स्तर पर भी दो कम्प्यूटर, प्रिन्टर और UPS उपलब्ध करवाया गया है।

राज्य परियोजना कार्यालय में दो Servers, 12 Nodes, 5 Printers और दो UPS हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अधिकारी को एक-एक कम्प्यूटर दिया गया है। राज्य परियोजना कार्यालय में सभी कम्प्यूटर LAN के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं।

राज्य परियोजना कार्यालय और जिलों में सॉफ्टवेयर का विवरण : Window-NT 4.0 Server, MS Office 97, Office XP, Office 2003, Office 2007 Professional, Visual Fox Pro, Oracle 8i, DISE, STEPS उपलब्ध करवाए गये हैं।



राज्य परियोजना कार्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के HIMSWAN कनेक्शन के अलावा Broad Band की सुविधा के साथ INTERNET CONNECTION स्थापित है। सर्व शिक्षा अभियान के सभी कार्यालयों व DIET में INTERNET की सुविधा है।

वेब साइट का पता : www.hp.gov.in/ssa

ई मेल पता: spdssahp@gmail.com

मानव शक्ति: राज्य परियोजना कार्यालय में एक पद MIS Incharge, एक पद Assistant Programmer और दो पद Data Entry Operator के हैं। प्रत्येक जिला परियोजना कार्यालय में एक पद MIS Incharge और दो पद Data Entry Operators के हैं और प्रत्येक शिक्षा खण्ड में DEO एक-एक पद भरा है।

सशक्तिकरण:

- राज्य परियोजना कार्यालय के प्रबन्धन सूचना प्रणाली प्रभारी व कनिष्ठ प्रोग्रामर ने 22 से 23 अगस्त 2012 को दिल्ली राज्य के NUEPA में एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में भाग लिया। जहाँ UDISE प्रपत्र को अंतिम रूप दिया गया।
- एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रबन्धन सूचना प्रणाली कार्यशाला 30 अगस्त, 2012 को SIEMAT शामलाघाट में आयोजित की गई जिसमें U-DISE DATA एकत्रित करने का समय निर्धारित तथा वर्ष 2012-13 के लिए U-DISE प्रपत्र को अंतिम रूप दिया गया। इस कार्यशाला में सभी जिलों के प्रबन्धन सूचना प्रणाली प्रभारियों ने भाग लिया तथा अपने अपने विचार रखे।
- राज्य परियोजना कार्यालय के प्रबन्धन सूचना प्रणाली प्रभारी व कनिष्ठ प्रोग्रामर तथा कुल्लू और शिमला के प्रबन्धन सूचना प्रणाली प्रभारी ने दिनांक 30 और 31 अक्टूबर, 2012 को भोपाल (मध्य प्रदेश) में प्रशिक्षण व सशक्तिकरण पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में भाग लिया।
- राज्य परियोजना कार्यालय के प्रबन्धन सूचना प्रणाली प्रभारी व कनिष्ठ प्रोग्रामर ने 5 और 6 मार्च, 2013 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में भाग लिया।

परियोजना प्रबन्धन सूचना प्रणाली (पी.एम.आई.एस.): सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 5 प्रारूपों की मासिक तथा तिमाही पी.एम.आई.एस रिपोर्ट नियमित रूप से भारत सरकार को भेजी जाती है।

जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डाईस): राज्य के सभी जिलों का 2012-13 का DISE डाटा compile करके मार्च, 2013 में भारत सरकार को भेज दिया गया है। जिलों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे DISE REPORT को स्कूलों, CRCCs, BRCCs, BPEOs के साथ सांझा करें। आगे जिलों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे जन वाचन (Social Audit) करके DISE-School Report Card को स्कूल प्रबन्धन समिति के साथ सांझा करें।

डाइस डाटा में सुधार हेतु उठाए गए कदम: प्रत्येक स्कूल से DISE पर प्रमाणित सूचना एकत्रित करने के लिए DCF प्रशिक्षण के अंतर्गत सभी स्कूलों को लाने के लिए जिलों को निर्देश दिए गए हैं।

जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे DCF की भौतिक रूप से जांच व गणना संकुल स्तर पर तैयार की गई पंजीकृत स्कूलों की सूची से करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी पंजीकृत स्कूल सम्मिलित किए गए हैं और कोई भी स्कूल छोड़ा नहीं गया है। इस गतिविधि के लिए संकुल स्रोत समन्वयक को उत्तरदायी बनाया गया है।

जिलों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह DCF के प्रत्येक कालम की जांच कर यह सत्यापित करें कि कोई भी कालम रिक्त नहीं छोड़ा गया है।

खण्ड स्तर पर खण्ड स्रोत समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके खण्ड के अंतर्गत आने वाले सभी पंजीकृत स्कूल सम्मिलित किए गए हैं और उनसे DCF प्राप्त किए गए हैं। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि DCF को जिले में भेजने से पहले DCF में कोई रिक्त प्रविष्टि तो नहीं है।

वर्ष 2012-13 में DISE आंकड़ों की 5 प्रतिशत आकस्मिक नमूना जांच को शिमला और सोलन जिलों में एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया गया। इस एजेंसी की रिपोर्ट को भारत सरकार (NUEPA) और सभी जिलों के साथ सांझा किया गया है। इस सर्वेक्षण के परिणामों ने यह दर्शाया कि दो विभिन्न एजेंसियों के द्वारा एक ही तिथि 30 सितंबर 2012 को एकत्रित किए गए आंकड़ों में बहुत कम अन्तर है।

DISE आंकड़ों का आवंटन: जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विभिन्न DISE रिपोर्टों को संबंधित अधिकारियों जैसे कि उपनिदेशक (प्रा० और उच्च प्रा०), खण्ड शिक्षा अधिकारियों, खण्ड स्रोत समन्वयक केन्द्र, संकुल स्रोत समन्वयक केन्द्र इत्यादि को आवंटित करें। DISE के द्वारा निकाले गए स्कूल रिपोर्ट कार्ड सभी स्कूलों को पुष्टि और रिकार्ड रखने हेतु भेजे जा रहे हैं। जिलों से कहा गया है कि वे DISE डाटा को जिले में दूसरे विभागों के साथ बांटे। जिलों को यह निर्देश भी दिये गये हैं कि DISE आंकड़ों की रिपोर्ट का जनवाचन स्कूल प्रबन्धन समिति (SMC) के साथ किया जाये।

DISE Data का विश्लेषण और प्रयोग: DISE DATA का राज्य और जिला स्तर पर विश्लेषण किया गया है और योजना में प्रयोग किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक योजना DISE DATA पर आधारित होती है। प्रारंभिक और उच्च स्तरीय विभाग भी अपनी योजनाओं के लिए DISE DATA का प्रयोग करते हैं।

13. योजना और प्रबंधन

वर्ष 2012-13 के लिये पी०ए०बी० मंजूरी

वर्ष 2012-13 के एस०एस०ए०-आर०टी०ई० वार्षिक योजना के मिनट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र संख्या F.No. 19-5/2012&EE, 8, GOI dted 31 May 2012 द्वारा प्राप्त हुये। इन मिनटों को राज्य परियोजना कार्यालय में 16-6-2012 को आयोजित मासिक बैठक में राज्य एवं जिला के सभी पदाधिकारियों के साथ सांझा किया गया। इन मंजूरीयों को विस्तृत निर्देश संलग्न करके डाक तथा ई-मेल के माध्यम से सभी व्यक्तियों को सूचित किया गया।

AWP&B के कार्यान्वयन की निगरानी

प्रत्येक माह राज्य स्तर पर उप-निदेशक प्रारंभिक शिक्षा तथा जिला परियोजना अधिकारियों (सर्व शिक्षा अभियान) के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। बैठक की अध्यक्षता मिशन निदेशक या राज्य परियोजना निदेशक या कभी-कभी प्रधान सचिव (शिक्षा) द्वारा की जाती है। बैठक का उद्देश्य कार्यक्रम कार्यान्वयन पर प्रतिक्रिया लेने के लिये तथा योजना के अतर्गत स्वीकृत सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप की प्रगति की समीक्षा करना है।

इसी प्रकार जिला खण्ड तथा संकुल स्तर पर भी इन समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है। जिन मुद्दों का सामाधान संकुल, खण्ड या जिला स्तर पर नहीं हो पाता उन्हें समाधान हेतु अगले उच्च स्तर पर लिया जाता है। संकुल स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के संसाधनों के वास्तविक कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिये कुछ नमूना स्कूलों का राज्य निगरानी टीम भी दौरा करती है।

वर्ष 2013-14 के लिये योजना पूर्व अभ्यास

प्रत्येक डाइट से योजना समन्वयक, शिक्षक प्रशिक्षण समन्वयक, अनुभाग अधिकारी ओर एम०आई०एस० प्रभारी के साथ-साथ योजना पूर्व अभ्यास 2-1-2013 से 23-1-2013 तक राज्य स्तर पर किया गया। इसके बाद इन योजनाओं की जांच तथा मंजूरी के लिये सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में कार्यकारी परिषद की बैठक का आयोजन 5 फरवरी 2013 को किया गया। इन योजनाओं को अंतिम मूल्यांकन व अनुमोदन के लिये भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। हिमाचल के लिये पी०ए०बी० की बैठक 14 फरवरी 2013 को आयोजित की गई।

14. शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 को हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित करने के प्रावधान और हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की स्थिति

शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धाराएँ	प्रमाण	कार्यान्वित स्थिति
(i) अभिगम		
3(1)	6-14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के पड़ोस के स्कूल में मुफ्त व अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार होगा।	हिमाचल प्रदेश सरकार ने इन धाराओं को लागू करने के लिए विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन.-सी. -एफ-(10)-8/09 दिनांक 5 मार्च, 2011 के अन्तर्गत आदेश पारित किये हैं।
6	अधिनियम की इस धारा के पूरा करने के लिए सरकार और स्थानीय प्राधिकरण को पड़ोस में स्कूल खोलना होगा।	
18(1)	सरकार या स्थानीय प्राधिकार से मान्यता प्रमाणपत्र लिए बिना कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह स्कूल स्थापित नहीं कर सकता।	हिमाचल प्रदेश सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन.-सी. -एफ-ए(3) -3/11 दिनांक 25-11-2011 के अन्तर्गत आदेश पारित किये हैं। कोई भी स्कूल जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को पूरा नहीं करता, को स्थापित/मान्यता नहीं दी जाएगी।
(ii) नामांकन		
9 (डी)	स्थानीय प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के 14 वर्ष तक के बच्चों का अभिलेख जिस रूप में निर्धारित किया जाएगा तैयार करेगा।	5 मार्च, 2011 के अन्तर्गत नियम 7 के अधीन आदेश पारित कर दिये हैं।
9 (के)	स्थानीय प्राधिकार प्रवासी परिवारों के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।	
11	सरकार स्कूल पूर्व शिक्षा की आवश्यक प्रबन्धन इस विकल्प के साथ करेगी कि बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश के लिए तैयार हो जाएं।	हिमाचल सरकार ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्राथमिक स्कूलों में समारोपण हेतु पत्र संख्या एच.पी. पी. ई.एस.-एस.एस.ए. एच. क्यू-ई.सी.सी.ई. 2009 वालयम् दिनांक 8 जुलाई, 2010 के दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं जिससे पहली कक्षा में बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके।


12(1) (सी)	कमजोर वर्ग और अलाभित समूह से 25: बच्चों का निजी विद्यालयों में प्रवेश	हिमाचल प्रदेश सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन.-सी-एफ(10)-8/2009 -एल दिनांक 16-03-2013 के अन्तर्गत आदेश पारित किये हैं।
13(1)	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया	राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रवेश के तरीके हेतु पत्र सरकार ई.डी.एन.-सी ए. (3)-3/2011 मार्ग दर्शन जारी कर दिए हैं।
14(2)	किसी भी बच्चे का उम्र प्रमाणपत्र के अभाव में स्कूल में प्रवेश नहीं रोका जाएगा।	राज्य सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन.सी.एफ (10)-8/09 दिनांक 5 मार्च 2011 के अन्तर्गत नियम आठ के अधीन आदेश जारी कर दिए हैं।
(iii) उम्र के अनुसार स्कूलों से बाहर बच्चों का प्रवेश		
4	जहां 6 वर्ष से उपर के सभी बच्चे जो अभी तक स्कूल नहीं गए या स्कूल छोड़ चुके हैं को आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश देना।	राज्य सरकार ने पत्र संख्या ई.डी.एन. सी.ए.(3)3/2011 दिनांक 20.12.2011 तथा मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा हिमाचल प्रदेश नियम, 2011 की नियमावली 3 के अन्तर्गत इन बच्चों के विशेष प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
15	किसी बच्चे को शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ पर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा।	राज्य सरकार ने मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा हिमाचल प्रदेश नियम, 2011 की नियमावली 6 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी कर दी है।
(iv) ठहराव		
16	स्कूल में प्रवेशित बच्चे को न तो किसी कक्षा में फेल किया जाएगा और न ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा जब तक कि वह प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण न कर ले	शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार।
17	किसी भी बच्चे को न तो शारीरिक दण्ड और न ही मानसिक उत्पीड़न किया जाएगा।	राज्य सरकार ने पत्र संख्या ई.डी.एन.-सी-ए.(3)-3/2011 दिनांक 20.10.2011 के अन्तर्गत बच्चों के शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
24(1) (ई)	बच्चों के माता पिता के साथ अध्यापक लगातार मुलाकात करके उनकी उपस्थिति में नियमिती और प्रगति के बारे में अवगत करवाएंगे।	सरकार ने मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा हिमाचल प्रदेश नियम, 2011 की नियमावली 16 के अन्तर्गत अध्यापकों के कर्तव्य बारे में विज्ञप्ति जारी कर दी है।

(v) विशेष केन्द्रीयभूत समूह		
8 (सी)	सरकार सुनिश्चित करेगी कि गरीब वर्ग और अलाभित समूह के बच्चों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए जो उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने में बाधा उत्पन्न करे।	सरकार ने मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा हिमाचल प्रदेश नियम, 2011 की नियमावली 5(2) और 5(3) के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीयकृत समूह के बारे में विज्ञप्ति जारी कर दी है।
21(1)	गरीब वर्ग और अलाभित समूह के बच्चों के माता-पिता को स्कूल प्रबंधन समितियों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।	सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन.-सी.-एफ. (10)1/2010 दिनांक 6 मार्च 2010 के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिए हैं।
(vi) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे		
3(2)	अशक्तता से ग्रसित बच्चों, भाग-2 की धारा (1) में अयोग्यता अधिनियम, 1996 में परिभाषित व्यक्तियों को भी निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।	सरकार ने मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा हिमाचल प्रदेश नियम, 2011 की नियमावली 4(7) के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी कर दी है।
(vii) गुणात्मक शिक्षा		
8 (ग)	स्थानीय प्राधिकार शैक्षणिक तिथि-पत्र का निर्णय करेगा।	प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन.-सी.-एफ. (10)7/2010 दिनांक 6 मार्च 2010 के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिये हैं।
19(1)	कोई भी स्कूल प्रसममानों और मानकों (भाग 18) को पूरे किए बिना स्थापित नहीं किया जा सकता। <ul style="list-style-type: none"> • प्रत्येक अध्यापक के लिए कक्षा कक्ष • बिना बाधित प्रवेश • लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय • सुरक्षित और पर्याप्त पीने योग्य पानी • रसोईघर • खेल सामग्री के साथ खेल का मैदान • चारदीवारी 	हिमाचल प्रदेश सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन.-सी.-ए. (3)3/2011 दिनांक दिनांक 25.11.2011 के अन्तर्गत आदेश दिए हैं।

	<ul style="list-style-type: none"> किताबों के साथ स्कूल पुस्तकालय मानकों के अनुसार मुख्याध्यापक का कार्यालय 	
21(2)	स्कूल प्रबंधन समिति <ul style="list-style-type: none"> स्कूल की कार्यप्रणाली का निरीक्षण स्कूल विकास योजना को तैयार करना अनुदानों की उपयोगिताओं का निरीक्षण 	प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन.-सी.-एफ. (10)7/2010 दिनांक 6मार्च 2010 के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिये हैं।
23(1)	अध्यापक की नियुक्ति के लिए वही व्यक्ति वांछनीय होगा जो शैक्षिक प्राधिकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता पूरी करता हो।	मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिकार हि.प्र. नियम, 2011 की नियमावली 16 के अधीन निर्देश जारी
24(1)	अध्यापकों के कर्तव्य	मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिकार हि.प्र. नियम, 2011 की नियमावली 14 के अधीन निर्देश जारी कर दिये हैं।
28	कोई भी अध्यापक निजी शिक्षण नहीं करेगा।	सरकार ने पत्र संख्या ई.डी.एन.-एच (211वीं 15)-1/2008 दिनांक 01.03.2008 के अधीन निर्देश जारी कर दिये हैं।
29(1) और 29(2)	प्रारम्भिक शिक्षा के पाठ्यक्रम योजना कार्य और मूल्यांकन प्रक्रिया के उद्देश्य के लिए शैक्षिक प्राधिकार का गठन।	सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन.-सी.-ए. (3)-3/2011 दिनांक 12.12.2011 के अन्तर्गत निर्देश जारी कर दिये हैं।
30(1)	प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रत्येक बच्चे को बोर्ड परीक्षा पास नहीं करनी होगी लेकिन स्कूल परीक्षा देनी होगी जो सतत समग्र मूल्यांकन के सिद्धान्त पर आधारित होगी।	सरकार ने विज्ञप्ति संख्या शिक्षा-11-ख (12)-3/2010 दिनांक 23-07-2010 के अन्तर्गत निर्देश जारी कर दिये हैं।
30(2)	प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक बच्चे को प्रमाण पत्र जारी करना होगा।	सरकार ने पत्र संख्या एच.पी.पी.ई. एस-एस.एस.ए-6/2011-आर.टी.ई. एक्ट 2009 दिनांक 05.10.2011 के अधीन निर्देश जारी कर दिये हैं।

(viii) बच्चों के सुरक्षित अधिकारों की पालना

31(3)	बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार प्राधिकार/आयोग का गठन करेगी।	सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन.-सी-ए(3) - 3/2011 दिनांक 12.12.2011 अन्तर्गत शिक्षा संरक्षण अधिकार प्राधिकरण का गठन कर दिया है।
32	बच्चों के अधिकारों के प्रति शिकायतों को सुनने के लिए अलग अलग स्तर पर निर्वाण प्राधिकार का गठन। <ul style="list-style-type: none"> ● स्कूल स्तर पर ● संकुल/केन्द्रीय स्कूल स्तर पर ● खंड स्तर पर ● जिला स्तर पर ● राज्य स्तर पर 	शिक्षा संरक्षण अधिकार प्राधिकरण का गठन राज्य स्तर पर अपील के निपटारे हेतु गठित।
34(1)	शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अच्छे तरीके से लागू करने के लिए राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी।	सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन.-सी.-ए. (3)&3/2011 दिनांक 08.11.2011 के अन्तर्गत परिषद का गठन कर दिया है।
(ix) विविध		
36	किसी भी तरह के अपराधों का दण्ड धारा-13 की उपधारा (2) धारा 18 की उपधारा (5) और धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन तब तक नहीं चलेगा जब तक कि प्राधिकृत अधिकारी धारा अभियोजन की मंजूरी न मिल जाए।	सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन.-सी.-ए. (3)&3/2011 दिनांक 12.12.2011 के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति हेतु निर्देश जारी।



शिक्षा का हक अभियान 2012-13 का प्रगति निर्धारण

बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को भारतीय संसद ने 27 अगस्त 2009 को पारित किया और 1 अप्रैल 2010 से लागू होने में भारतीय विधि-निर्माण के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ।

शिक्षा के मौलिक अधिकारों में शामिल करके सभी बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य अभिगम सुनिश्चित करना राज्यों के कर्तव्यों में निहित किया गया है। इस अधिनियम के पारित होने से भारत संसार के 135 देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने शिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में घोषित किया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है कि दावेदारों द्वारा विविध दृष्टिकोण अपनाकर समन्वय प्रयत्न करने होंगे। विभिन्न दावेदारों और आम जनता में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के नियमों और अधिकारों की जानकारियां प्रचारित करना इसका एक भाग है। क्योंकि यह अधिनियम प्रत्येक बच्चे के लिए है, चाहे उसका सम्बन्ध किसी भी लिंग, जाति, वर्ग और शारीरिक क्षमताओं से हो। अधिनियम शिक्षा प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी और स्वामित्व के महत्व को जोरदार तरीके से स्वीकार करता है। क्योंकि समुदाय के सदस्यों को स्कूल प्रबन्धन समितियों में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के निश्चिन्तात्मक कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राष्ट्र निर्माण और आपतियों के प्रभावी महत्व को समझना होगा। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्षभर संपूर्ण देश में सभी स्कूलों में 11 नवम्बर 2011 को शिक्षा का हक अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री का संदेश सुनाया गया और विभिन्न गतिविधियां की गईं। दावेदारों ने भी कर्मठता से भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया।




फोटो गैलरी



AIDS & APPLIANCES



फोटो गैलरी



ज़िला के तीस स्कूलों में खुलेंगी कम्प्यूटर एडिड लनिंग सैल : उपायुक्त

उपायुक्त, जिला शिक्षा, जिला शिक्षा विभाग के उपायुक्त श्री ए. के. राजेश्वर ने बताया कि जिला शिक्षा विभाग के अंतर्गत 33 स्कूलों में कम्प्यूटर एडिड लनिंग सैल खोली जाएगी।

उपायुक्त ने बताया कि इन सैलों में छात्रों को कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी।



शिक्षा में केरल को चुनौती दे रहा हिमाचल

प्रथम संस्था के ताजा सर्वेक्षण में हुआ खुलासा, हिमाचल के 75.5 बच्चे हल करते हैं घटाने के सवाल

हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के उपायुक्त ने बताया कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के केरल, मिज़ोरम व मणिपुर के बच्चों से है।



हिमाचल में लैंग्वेज के 75.5 प्रतिशत बच्चों में पढ़ने के सवाल का जवाब दे सकते हैं। केरल में 97.7 प्रतिशत बच्चे पढ़ने के सवाल का जवाब दे सकते हैं।

केरल में 97.7 प्रतिशत बच्चे पढ़ने के सवाल का जवाब दे सकते हैं।

95 प्रतिशत बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं हिंदी

हिमाचल में पढ़ने व दृढ़ता के 95.4 प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जोकि आसानी से हिंदी के बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केवल 73.8 प्रतिशत बच्चे ही पढ़ने में सक्षम हैं। प्रथम संस्था की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पढ़ने व दृढ़ता के 92.3 प्रतिशत बच्चों को पढ़ाने में सक्षम कर लेते हैं। केरल में 97.7 प्रतिशत बच्चे आसानी से पढ़ने में सक्षम हैं।

82 फीसदी बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं पुस्तक

पठन पुस्तक पढ़ने में हिमाचली छात्र पीछे नहीं हैं। राज्य में लैंग्वेज के 82.1 फीसदी छात्र आसानी से पढ़ने के सवाल का जवाब दे सकते हैं। केरल में 97.7 प्रतिशत बच्चों को पढ़ाने में सक्षम कर लेते हैं।

शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्रत्येक विद्यालय को प्रतिबन्धित किया जा रहा है। अभावग्रस्तों को नए बच्चों में भी क्वॉलिटी का विशेष ध्यान रखा जा

विशेष बच्चों को मिलेंगे आधुनिक उपकरण

विशेष बच्चों को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जायेगा। शिक्षा विभाग के उपायुक्त ने बताया कि विशेष बच्चों को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जायेगा।

11 सालों में 7 प्रतिशत बढ़ी साक्षरता दर

वर्ष 2001 में हिमाचल में साक्षरता दर 76.3 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2011 में बढ़कर 83.77 प्रतिशत हो गई।

साक्षरता दर में फिर हरीपुर जिला में सबसे ज़रूरी है क्योंकि यहाँ अन्य जिलों से सबसे पीछे है।

जिला	2011	2001
डोहर	88.88	86.2
सिरमौर	82.81	78.2
सुदी	84.25	79.1
शुभल	85.2	79.6
मुरादाबाद	78.88	75.4
मो	75.77	69.0
नांदेड़	80.1	67.5
फिरोज़पुर	80.54	71.6
जलंधर	83.87	77.0
लुडियाना	82.77	78.2
मोहा-मैत्री	77.28	71.1
फरीदकोट	80.77	69.0

- » विज्ञान, खेल और अंतरिक्ष जैसे तकनीक विषयों पर नैपेक्षा ध्यान
- » विद्युत के जिलों में होगी स्कूलों को बिजली की सहायता
- » 10 साल तक के बच्चों पर शिक्षण कार्यक्रम

विज्ञान, खेल और अंतरिक्ष जैसे तकनीक विषयों पर नैपेक्षा ध्यान

विज्ञान विभाग के उपायुक्त ने बताया कि विज्ञान, खेल और अंतरिक्ष जैसे तकनीक विषयों पर नैपेक्षा ध्यान दिया जायेगा।

विद्युत के जिलों में होगी स्कूलों को बिजली की सहायता

विद्युत के जिलों में स्कूलों को बिजली की सहायता दी जायेगी।

10 साल तक के बच्चों पर शिक्षण कार्यक्रम

10 साल तक के बच्चों पर शिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा।

अध्याय-4

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति एवं सर्व शिक्षा अभियान-राज्य मिशन अथॉरिटी (कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय)

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विशेष लेखनीतियां व लेखों पर टिप्पणियां

1. समिति के लेखों का अनुरक्षण संकर प्रणाली आधार पर किया गया है। उन मामलों को छोड़ कर जिनमें व्यय बढ़ौतरी आधार पर लेखाबद्ध किया गया है मुख्यतय: व्यय को नगदी आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

2. सहायता अनुदान

अ) पूंजीगत व्यय:

अनुदान राशि से स्थाई संपत्तियां क्रय करने पर जिन्हें समिति की संपत्तियां माना जाता है के अनुसार संचित पूंजी का सृजन किया जाता है। स्थाई संपत्तियों पर घिसावट का प्रावधान नहीं किया गया है।

ब) राजस्व व्यय

- 1) राजस्व व्यय अनुदान को उपयोग की सीमा तक वर्ष के दौरान आय माना जाता है। व्यय नहीं हुए अनुदान को लेखा पुस्तकों में अलग से दर्शाया जाता है।
- 2) राजस्व व्यय को उस सीमा तक जिसे सामान्यतः वर्ष के दौरान अंतिम व अनुमोदित कर दिया गया हो को वर्ष में व्यय माना जाता है।

लेखों पर टिप्पणियां

1. वित्तिय विवरण उन निधियों के लिए तैयार किया गया है जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए प्राप्त/उपयोग की गई।
2. सहायता अनुदान का उपयोग:-
 - अ) अधिकांश मामलों में अनुदान को कार्यान्वयन अभिकरणों को जारी करने पर वास्तविक उपयोग किए बिना व्यय के रूप में अभिलेख किया गया है।
 - ब) उपयोग नहीं हुए अनुदान के वापिस प्राप्त होने पर उपयोग किए गए अनुदान में से घटाया जाता है।
3. कार्यकारी अभिकरणों के शेष कार्य जिला स्तर पर मिलान/पुष्टिकरण पर आधारित है।
4. पिछले वर्षों के आंकड़ें जहां पर आवश्यक समझा गया का पुनः सामूहिकरण/व्यवस्था की गई है।

स्थान : शिमला

दिनांक : 16.12.2013

हस्ता/-

सहकर्ता

एम नं० 092732

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय									
डीपीईपी भवन, लालपानी, शिमला-171001									
समेकित तुलन पत्र (31 मार्च, 2013 तक)									
गत वर्ष 2011-12	देयताएं	अनु०	राशि (रु.)	चालू वर्ष 2012-13	गत वर्ष 2011-12	सम्पत्तियां	अनु०	राशि (रु.)	चालू वर्ष 2012-13
	पूँजीगत संचित निधि					स्थाई संपत्तियां (अनावर्ती व्यय)			
17,764,863.00	स्थाई संपत्तियां निधि			17,975,488.00	1,086,977.00	बिस्तर		1,100,277.00	
					2,739,481.00	फर्नीचर/फीक्सचर, रसोई उपकरण		2,739,481.00	
	ब्याज				13,938,405.00	भवन (निर्माण कार्य)		14,135,730.00	17,975,488.00
	आरम्भिक शेष		2,706,060.23						
	जमा: वर्ष के दौरान प्राप्तियां		507,732.58			चल संपत्तियां, ऋण व अग्रिम			
			3,213,792.81		832,156.00	अग्रिम	ई		701,298.00
	घटाव: अव्यय अनुदान को हस्तांतरित		3,213,792.81			(संलग्न अनुसूची के अनुसार)			
					11,475,458.41	रोकड़ व बैंक शेष	डी		1,071,150.58
						(संलग्न अनुसूची के अनुसार)			
	अव्यय अनुदान								
752,366.41	आय व व्यय का शेष	सी	(6,247,548.24)						
	जमा: ब्याज		3,213,792.81		(3,033,755.43)				
117,100.00	चालू देयताएं	एफ		100.00					
11,438,148.00	एस0एस0ए0 को देने योग्य	जी		4,806,104.01					
30,072,477.41	योग			19,747,936.58	30,072,477.41	योग			19,747,936.58

(राज्य परियोजना निदेशक)

(मिशन निदेशक)

इसी तिथि को दिए गए हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार



कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
डी०पी०ई०पी० भवन, लालपानी, शिमला-171001
31/3/2013 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित प्राप्तियां व भुगतान लेखा

वार्षिक रिपोर्ट - 2012-13 (सर्व शिक्षा अभियान) [83]


गत वर्ष (2011-12)	व्यय	अनु०	राशि (रु.)	चालू वर्ष 2012-13	गत वर्ष 2011-12	आय	अनु०	राशि (रु.)	चालू वर्ष 2012-13
	आवर्ती खर्चे	ए			2,317,674.00	अव्यय अनुदान			1,703,889.82
30,475.00	टी०एल०एम०/टी०एल०ई० अनुदान		276,409.00						
3,865,731.00	रख रखाव		4,472,770.00			सह्यता अनुदान			
233,826.00	छात्रवृत्ति (छात्राओं)		249,420.00		2,281,000.00	राज्य सरकार से प्राप्त निधियां	2,019,000.00		5,757,000.00
255,165.00	कोर्स किताबें और स्टेशनरी		60,083.00		4,237,000.00	भारत सरकार से प्राप्त निधियां	3,738,000.00		
3,830.00	परीक्षा फीस		1,109.00						
3,113,542.00	वेतन		3,443,314.00			ब्याज			
160,290.00	व्यवसायिक दक्षता एवं प्रशिक्षण		180,413.00			बचत खाते में प्राप्ति			507,732.58
202,736.00	बिजली और पानी		240,428.00		1,9287.00	सिरमौर	75,330.00		
	चिकित्सक और अकस्मिक					चम्ब			
174,329.00			236,241.00		505,090.00			256,577.58	
388,908.00	विविध रख रखाव सहित		372,596.00		8,670.00	राज्य परियोजना कार्यालय	9,160.00		
69,481.00	पी०टी०ए०/कार्य		68,964.00		155,526.00	शिमला	166,665.00		
58,690.00	आरम्भ के कैंप		36,520.00						
1,276.82	बैंक प्रभार		1,096.42						
237,348.00	कंप्यूटरी विल्डिंग		1,90,883.00	9840229.42					
	अनावर्ती खर्चे	बी							
	विस्तर		13,300.00						
	फर्नीचर/फीक्सचर, रसोई उपकरण								
1,743,936.00	भवन		197,325.00	210,625.00					
688,573.00	ब्याज शेष तुलन पत्र को प्रेषित			507,732.58					
	अव्यय अनुदान								
(1,703,889.82)	तुलन पत्र को प्रेषित			(2,589,964.60)					
			कुल रूपर	7,968,622.40		9,524,247.00		कुल रूपर	7,968,622.40

(राज्य परियोजना निदेशक)

(मिशन निदेशक)

स्थान : शिमला


दिनांक 16.12.2013



कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
डी०पी०ई०पी० भवन, लालपानी, शिमला-171001
31/3/2013 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित प्राप्तिर्या व भुगतान लेखा

गत वर्ष 2011-12	प्राप्तियां	अनु०	राशि (रु.)	चालू वर्ष 2012-13	गत वर्ष 2011-12	भुगतान	अनु०	राशि (रु.)	चालू वर्ष 2012-13	
16,414,146.23	आरम्भिक शेष					आवर्ती खर्च				
	हस्तगत और बैंक में रोकड़		11,475,458.41	11,475,458.41	30,475.00	टी०एल०एम०/टी०एल०ई० अनुदान		276,409.00		
					3,865,731.00	रख रखाव		4,472,770.00		
	2,281,000.00	सहायता अनुदान		2,019,000.00	5,757,000.00	233,826.00	छात्रवृत्ति (छात्राओं)		249,420.00	
						255,165.00	कोर्स किताबें और स्टेशनरी		60,083.00	
	4,237,000.00	राज्य सरकार से प्राप्त निधियां		2,019,000.00	5,757,000.00	3,830.00	परीक्षा फीस		11,092.00	
		भारत सरकार से प्राप्त निधियां		3,738,000.00		3,113,542.00	वेतन		3,443,314.00	
	688,573.00	स्टेट बैंक के खाते में ब्याज			507,732.58	160,290.00	व्यवसायिक प्रशिक्षण		180,413.00	
						202,736.00	बिजली और पानी		240,428.00	
	(2,623,000.00)	सर्व शिक्षा अभियान में बढ़ोतरी			(6,632,043.99)	174,329.00	चिकित्सा और आकरिम्क		236,241.00	
						388,908.00	विविध		372,596.00	
	-	चालू देनदारियों में बढ़ोतरी				69,481.00	पी०टी०ए०/कार्य		68,964.00	
						58,690.00	आरम्भ के कैंप		36,520.00	
	अग्रिम में कमी				237,348.00	क्षमता निर्माण		190,883.00		
					1,276.82	बैंक अधिभार		1,096.42		
					1,743,936.00	अनावर्ती खर्च		13,300.00		
						बिस्तर				
20,997,719.23	योग			11,108,147.00	11475,458.41	फर्नीचर/फीक्सचर, रसोई उपकरण				
					(116,882.00)	भवन		197,325.00		
					900,421.00	अंत में				
						रोकड़ एवं बैंक में (अनुसूची के अनुसार)			210,625.00	
						चालू देयताओं में कमी			1,071,150.58	
						अग्रिम में ब			117,000.00	
						योग			(130,858.00)	
									11,108,147.00	

वार्षिक रिपोर्ट - 2012-13 (सर्व शिक्षा अभियान) [84]



कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
31.03.2013 तक व्यय की अनुसूची

अनुसूची ए	शिमला	शिमलार	चम्बा								योग	
			चम्बा	बधेरीगढ़	भरमौर	कीहार	चिली	हिमागिरी कोठी	क्रिया	मैहला		पांगी
आवती खर्चे												
टी.व्ही.एम.ओ./टी.ओ.ए. लॉई अनुदान	25,450.00	30,092.00		29,680.00	30,000.00	28,203.00	13,110.00	30,000.00	30,000.00	29,874.00	30,000.00	276,409.00
रख रखाव (लड़कियाँ)	539,700.00	414,644.00	-	515,088.00	319,136.00	379,154.00	438,016.00	489,852.00	388,737.00	460,344.00	528,099.00	4,472,770.00
छात्रवृत्ति (छात्राओं)	27,250.00	22,600.00	-	29,400.00	16,000.00	20,862.00	26,100.00	29,108.00	28,250.00	29,800.00	20,050.00	249,420.00
कोर्स किताबें और स्टेशनरी	60,083.00		-									60,083.00
परीक्षा फीस	5,222.00	1,000.00	-	970.00			1,000.00	1,000.00	920.00	980.00		11,092.00
वेतन	273,660.00	218,376.00	-	375,644.00	365,604.00	363,419.00	379,550.00	367,791.00	360,097.00	378,937.00	360,236.00	3,443,314.00
व्यवसायिक दक्षता व प्रशिक्षण		19,320.00	-	29,996.00	24,381.00	7,950.00	19,706.00	12,990.00	16,477.00	19,593.00	30,000.00	180,413.00
बिजली और पानी	2,139.00	36,600.00	-	33,362.00	36,000.00	35,599.00	19,101.00	14,841.00	22,751.00	27,726.00	12,909.00	240,428.00
चिकित्सा और आकस्मिक व्यय	11,324.00	15,829.00	-	31,175.00	37,495.00	250.00	12,334.00	35,985.00	30,974.00	23,375.00	37,500.00	236,241.00
विविध रख - रखाव सहित	51,674.00	39,985.00	680.00	39,801.00	39,800.00	34,271.00	33,309.00	39,974.00	31,936.00	39,960.00	21,206.00	372,596.00
पी.टी.व्ही.ओ./कार्य	10,000.00	-	-	9,900.00	10,000.00		5,000.00	10,000.00	7,590.00	9,997.00	6,477.00	68,964.00
आरम्भ के कैंप	10,000.00	-	-	-	100,000.00		-	10,000.00		6,520.00		36,520.00
क्षमता का निर्माण	68,989.00		57,468.00	14,000.00	140,000.00		-	14,000.00		8,546.00	13,880.00	190,883.00
बैंक फीस			496.42	50.00	50.00			125.00	350.00		25.00	1,096.42
कुल आवती	1,085,491.00	797,846.00	58,644.42	1,109,066.00	902,466.00	869,708.00	947,226.00	1,055,666.00	918,082.00	1,035,652.00	1,060,382.00	
अनुसूची बी												
अनावती खर्चे												
बिस्तर	13,300.00	-	-	-								
फर्नीचर/फीक्सचर, रसोई उपकरण												
भवन (निर्माण कार्य)	-	197,325.00										
कुल अनावती	13,300.00											
कुल खर्चे	1,098,791.00	995,171.00	58,644.42	1,109,066.00	902,466.00	869,708.00	947,226.00	1,055,666.00	918,082.00	1,035,652.00	1,060,382.00	1,005,085.42


अनुसूची सी

वर्ष के दौरान
उपयोग अनुदान

आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान	31/3/2013
1/4/2012	उपयोग	को अंत शेष
को	अनुदान	

(कस्तूरबा गांधी
बालिका विद्यालय
के अंतर्गत)

(1,953,693.82)	5,757,000.00	10,050,854.42	(6,247,548.24)
----------------	--------------	---------------	----------------



अनुसूची डी

31.03.2013 तक बैंक में जमा रोकड़ की सूची

बैंक में रोकड़

राज्य परियोजना कार्यालय

कैनरा बैंक 235,310.00

पी.एन.बी. शिमला 307,629.00

यूको बैंक नाहन 447,874.00

चम्बा

पी.एन.बी. चम्बा

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पांगी खाता नं० 53448 80,278.00

हस्तगत राशि

हस्तगत राशि (चम्बा) 59.00

हस्तगत राशि (सिरमौर)

तीसा (चिली)

योग 1,071,150.58

अनुसूची ई

31/3/2013 को अग्रिम सूची

निर्माण कार्य के लिए अग्रिम (सिरमौर)

प्रारम्भिक शिमला से वसूलने योग्य 700,000.00

एन०पी०जी०ई०एल० छुआरा से वसूलने योग्य

निर्माण कार्य के लिए अग्रिम (नूरपुरी)

स० शि० अ० को हस्तान्तरित राशि (ब्याज) 1,298.00

योग 701,298.00

अनुसूची एफ

31/3/2013 को चालू देनदारियों का विवरण

स्टाफ को देय राशि (शिमला)

निदेशक प्रारम्भिक 100.00

योग 100.00

अनुसूची जी

सर्व शिक्षा अभियान के लिए देय

शिमला 4,622,654.00

सिरमौर 4,000,000.00

चम्बा 35,880,450.01

घटाव: 44,503,104.01

सर्व शिक्षा अभियान शिमला से वसूलने योग्य 39,697,000.00

कुल 4,806,104.01

अनिल के सूद कम्पनी
चार्टर्ड ऐकाउंटेंट

यू०/एफ 56, लोअर बाजार शिमला
फोन न०-0177-2652285,98169-54000

ई-मेल- aksco@rediffmail.com

लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

मिशन निदेशक,
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति (सर्व शिक्षा अभियान)
डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी शिमला (हि०प्र०)


हमने समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या 120/95 दिनांक 03.11.1995 के अंतर्गत पंजीकृत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति लालपानी शिमला (हि०प्र०) सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के तुलन पत्र 31.03.2013 के अनुसार, निर्दिष्ट तिथि अनुसार उक्त समिति के आय व व्यय खाते तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते का परीक्षण किया जो उक्त समिति द्वारा अनुरक्षित लेखा पुस्तकों के मिलान में है।

हमने लेखा परीक्षा स्थापित परीक्षण मानकों तथा सर्व शिक्षा अभियान की लेखा पुस्तक के अनुसार किया। उन मानकों के अनुसार ऑडिट योजना व कार्य किया गया जो तर्कपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं कि वित्तीय विवरण भौतिक त्रुटिपूर्ण टिप्पणियों से मुक्त है। लेखा परीक्षा में परीक्षण जांच आधार, वित्तीय विवरण में राशि और अभिव्यक्ति सहायक साक्ष्य सम्मिलित है। लेखा परीक्षा में अपनाए गए लेखा सिद्धांतों का अनुमान तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए विशिष्ट अनुमान तथा पूर्ण वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होते हैं। हमें यह विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा इस मत को तर्क पूर्ण आधार प्रदान करती है।

हमारे द्वारा किया गया ऑडिट हमें प्रदान किये गये टर्म ऑफ रिफरेन्स के अनुसार है। हमारे द्वारा दी गई विसंगतियाँ और टिप्पणियाँ इस प्रकार से हैं।

अतीत में स्कूलों को जो अनुदान की राशि दी जाती थी उसे व्यय के रूप में ही मान लिया जाता था। जिसे इस वर्ष ऑडिट के अन्तर्गत बदल दिया गया है और स्कूल स्तर पर वास्तविक व्ययों को ही व्यय के रूप में दिखाया गया है जो मानक लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है। स्कूल स्तर पर किए गए व्यय के बारे में जानकारी स्कूलों द्वारा प्रदान किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र पर आधारित है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र में निहित जानकारी की पुष्टि के अनुरूप 2/3 स्कूलों का लेखा परीक्षण नहीं किया गया है। वित्तीय ब्यौरों के अनुसार रूपये 96369880.00 की राशि चालू वर्ष में



स्कूलों के पास की अव्यय राशि को वापिस मंगा लिया है। अतीत में इस राशि को व्यय के रूप में मान लिया जाता था। जबकि स्कूल के बैंक खाते में अव्यय रहने के कारण पुनः लिखकर, चालू वर्ष में आमदनी मान लिया गया है। हालांकि इस राशि का सत्यापन होना बाकि है क्योंकि 2/3 स्कूलों का ही ऑडिट हुआ है। 1/3 स्कूलों का ऑडिट होना प्रगति में है।

हमारे मतानुसार और महत्वपूर्ण लेखा सिद्धांतों तथा लेखों पर टिप्पणियां जो प्रबंधन पत्र में दी गई हैं के अतिरिक्त वर्ष 31/3/2013 के अंत में बने वित्तीय विवरण तथा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति (सर्व शिक्षा अभियान) वर्ष 31/3/2013 को समाप्त हुए वर्ष की निधियों के स्रोत और उपयोग का सही व वास्तविक विवरण प्रस्तुत करता है।

कृते अनिल के, सूद एवं कम्पनी
सन्दी लेखाकार
फर्म रजि० नं० 07630 एन

हस्ता/-
(जितेन्द्र शर्मा)
साझेदार
एम० नं० 511025

स्थान: शिमला

दिनांक: 18.12.2013

अनिल के सूद कम्पनी
चार्टर्ड ऐकाउंटेंट

यू०/एफ 56, लोअर बाजार शिमला
फोन न०-0177-2652285,98169-54000
ई-मेल- aksco@rediffmail.com

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति सर्व शिक्षा अभियान तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना से संबधित वर्ष 2012-13 का वित्तीय विवरण जो यहां संलग्न हैं का भारतीय सन्दी लेखाकार संस्थान के नियमों एवं मानकों के अनुसार ऑडिट किया गया है तथा तदानुसार पुष्टि हेतु लेखों की जांच, अभिलेख, आन्तरिक जांच एवं ऑडिट की अन्य विधियों को सम्मिलित किया गया।

- 1) अभिव्यक्तियाँ एवं टिप्पणियाँ जो इसी तिथि के अनुसार संलग्न किए गए तुलन पत्र का अभिन्न भाग है के अतिरिक्त स्रोत सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों के लिए है।
- 2) वित्तीय विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है।

उपरोक्त वित्तीय विवरण के ऑडिट के समय सम्बद्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया तथा वे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सहायक प्रत्याहरण हेतु विश्वसनीय हैं।


सूचना एवं विवेचना के आधार पर वांछित परीक्षण ऑडिट से हमारी जानकारी के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय विवरण तथा अलग से दी गई अभिव्यक्तियां वर्ष 2012-13 में सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन तथा प्रक्रिया का एक सही तथा स्पष्ट दृश्य दर्शाता है।

कृते अनिल के, सूद एवं कम्पनी
सन्दी लेखाकार
फर्म रजि० नं० 07630 एन

हस्ता / -
(जितेन्द्र शर्मा)
साझेदार
एम० नं० 511025

स्थान: शिमला

दिनांक: 18.12.2013



अनिल के सूद कम्पनी
चार्टर्ड ऐकाउंटेंट

यू०/एफ 56, लोअर बाजार शिमला
फोन न०-0177-2652285,98169-54000
ई-मेल- aksco@rediffmail.com

अधिप्राप्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने सर्व शिक्षा अभियान के लिए प्रयोग किए गए अधिप्राप्ति नियम का अध्ययन किया जो वर्ष 2012-13 के हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति के अभिलेखों और जिलों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से उदग्रहण के आधार पर है। हम प्रमाणित करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध और अधिप्राप्ति नियम पुस्तिका में निर्धारित अधिप्राप्ति प्रक्रिया की अनुपालना की गई है।

कृते अनिल के, सूद एवं कम्पनी
सन्दी लेखाकार
फर्म रजि० नं० 07630 एन

हस्ता/-
(जितेन्द्र शर्मा)
साझेदार
एम० नं० 511025

स्थान: शिमला
दिनांक: 18.12.2013

अनिल के सूद कम्पनी
चार्टर्ड ऐकाउंटेंट

यू०/एफ 56, लोअर बाजार शिमला
फोन न०-0177-2652285,98169-54000
ई-मेल- aksco@rediffmail.com

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-राज्य मिशन अथॉरिटी

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विशेष लेखनीतियां व लेखों पर टिप्पणियां

1. समिति के खातों की किताबें संकर प्रणाली आधार पर बनायी गई हैं अधिकतर व्यय नकदी आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। जहाँ कुछ मामलों का व्यय प्रोद्धवन आधार पर निर्धारित किया गया है अतीत में स्कूलों व बी०आर०सी०सी० को जो अनुदान की राशि दी जाती थी उसे राज्य परियोजना कार्यालय के स्तर पर व्यय मान लिया जाता था। जिसे इस वर्ष के अन्तर्गत बदल दिया गया है। वित्तीय ब्यौरों के अनुसार रुपये 96369880.00 की अव्यय राशि को स्कूलों से वापिस मंगा लिया गया है। अतीत में स्कूलों को जो अनुदान राशि दी जाती थी। उसे राज्य परियोजना कार्यालय के स्तर पर व्यय मान लिया जाता था। स्कूलों के खाते में इस राशि के बकाया होने के कारण इस राशि को लेखों में दर्शाया गया है तथा इसे चालू वर्ष में आमदनी माना गया है।

2. सहायता अनुदान

पूँजीगत व्यय

आरक्षित निधि की गणना समिति द्वारा खरीदी गई सम्पत्तियों के विपरीत की जाती हैं इन अचल सम्पत्तियों पर हास मूल्य के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

राजस्व व्यय

- (I) राजस्व अनुदान को वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि की सीमा तक आय माना गया है। उपयोग नहीं की गई राशि को लेखा पुस्तकों में अलग से दर्शाया जा रहा है।
- (II) निर्माण कार्यों पर खर्च की गई अनुदान की राशि को पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में दिखाया गया है और पुस्तकों में इसके लिए सम्पत्ति का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

लेखों पर टिप्पणियां

1. वित्तीय विवरण उन निधियों के लिए तैयार किया गया है जो सर्व शिक्षा के अभियान व अन्य योजनाओं के लिए उपयोग की गई अव्यय अनुदान राशि को पुस्तकों में अलग से दिखाया गया है।

अनुदान की उपयोगिता

- 2 अव्यय अनुदान सहायता को समायोजित करने वाली एंजेसियों से वापिस प्राप्त कर लिया गया है और उपयोग अनुदान राशि से काट लिया गया है।
- 3 खण्ड स्रोत समन्वयक केन्द्र तथा संकुल स्रोत समन्वयक केन्द्र के असमायोजित शेष जिला स्तर पर मिलान व पुष्टिकरण पर आधारित है।
- 4 विभिन्न शीर्षों जैसे स्टाफ का वेतन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, टेलीफोन व अन्य व्यय को प्रबन्धन लागत में नाम खाते डाला गया है और अधिकांश जिला स्तर पर इसका शीर्षानुसार विघटन नहीं किया गया है।
5. न्यायिक मामले:- निम्नलिखित न्यायिक मामले लम्बित हैं जिनमें कुछ प्रगति हुई है उनका नवीनतम तिथि अनुसार स्थिति प्रतिवेदित की जा रही हैं।
- अ परियोजना कार्यालय:- डॉ० ओ०सी० गुलेरिया ने समिति के रूपये 1,40,700.00 का गबन किया। इस व्यक्ति को दोषारोपण पत्र दिया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान से इन्हें पैतृक विभाग को भेज दिया गया। हमें बताया गया कि डॉ० ओ०सी० गुलेरिया ने विभागीय जाँच पर न्यायालय से रोक लगा दी।
- ब श्री राजेश कुमार चालक (डी०पी०ई०पी०) उनके विरुद्ध रूपये 1,81,995.00 के अग्रिम के दुर्विनियोजन का मामला दायर किया गया। न्यायालय ने मामले को समिति के पक्ष में निपटाया है। जैसा कि बताया गया यह व्यक्ति अभी भी नहीं खोजा जा सका है। निदेशक सर्व शिक्षा अभियान ने जिलाधीश सोलन को उसकी चल व अचल सम्पत्ति की स्थिति जानने के सम्बन्ध में पत्र संख्या 2600-2601 दिनांक 04-08-2011 के अनुसार लिखा है ताकि श्री राजेश कुमार से वसूली की जा सके।
- स रूपये 2,25,210.00 (श्री मधु कुमार से) जिला परियोजना कार्यालय सोलन स्टाफ द्वारा दुर्विनियोजन छानबीन अधीन है। जिला परियोजना कार्यालय सोलन ने श्री मधु कुमार के मामले में इस व्यक्ति को दोषारोपित करके पैतृक विभाग को भेज दिया गया है और प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक के पत्र दिनांक 04-03-2008 द्वारा निलम्बित भी किया गया है। हमें बताया गया कि श्री मधु कुमार ने जाँच पर माननीय न्यायालय से रोक लगा दी है।
6. एन०पी०ई०जी०ई०एल० के अनुदान पर प्राप्त ब्याज:- एन०पी०ई०जी०ई०एल० के बैंक खाते का अलग अनुस्क्षण नहीं किया गया और वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान को सर्व शिक्षा अभियान के खाते में जमा किया गया परिणामस्वरूप उस पर अर्जित ब्याज सर्व शिक्षा अभियान के खातों में जमा हो गया।


7. वसूलने योग्य शेष तथा देय राशि पुष्टिकरण पर आधारित है।
8. पिछले वर्षों के आंकड़े जहाँ पर आवश्यक समझा गया का पुनः सामूहिकरण/व्यवस्था की गई है।

कृते अनिल के, सूद एवं कम्पनी
सन्दी लेखाकार
फर्म रजि० नं० 07630 एन

हस्ता/—
(जितेन्द्र शर्मा)
साझेदार
एम० नं० 511025

स्थान: शिमला

दिनांक: 18.12.2013



अनिल के सूद कम्पनी
चार्टर्ड ऐकाउंटेंट

यू०/एफ 56, लोअर बाजार शिमला
फोन न०-0177-2652285,98169-54000
ई-मेल- aksco@rediffmail.com

मिशन निदेशक,
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति
सर्व शिक्षा अभियान
डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी शिमला (हि०प्र०)

विषय: सर्व शिक्षा अभियान की 31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष की लेखा परीक्षा पर प्रबंधन पत्र।

मान्यवर,

हमने 31/03/2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान तथा अन्य योजनाओं की लेखा परीक्षा पूरी कर ली है। लेखा परीक्षित तुलन पत्र आय व व्यय लेखा प्राप्तियाँ तथा भुगतान लेखा और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संलग्न है। हमारे द्वारा नमूना जाँच आधारित हमारे विचार/सुझाव आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दिए जा रहे हैं।

(1) अपनाई गई लेखा पद्धति/प्रणाली तथा अनुरक्षित लेखा पुस्तकें:

- 1) **लेखा पद्धति :-** पिछले वर्षों में स्कूलों को दी गई अनुदान की राशि को राज्य परियोजना कार्यालय के अन्तर्गत व्यय ही मान लिया जाता था, जिसे इस वर्ष के ऑडिट के दौरान बदल दिया गया है तथा स्कूल स्तर पर वास्तविक व्ययों को ही व्यय के रूप में दर्शाया गया है। स्कूल स्तर पर किए गए व्यय के बारे में जानकारी स्कूलों द्वारा प्रदान किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र पर आधारित है। उपयोगिता प्रमाण पत्र में निहित जानकारी की पुष्टि के अनुरूप 2/3 स्कूलों का लेखा परीक्षण नहीं किया गया है। वित्तीय ब्यौरों के अनुसार रूप्ये 96369880.00 की राशि चालू वर्ष में स्कूलों के पास की अव्यय राशि को वापिस मंगा लिया है। अतीत में इस राशि को व्यय के रूप में मान लिया जाता था। जबकि स्कूल के बैंक खाते में अव्यय रहने के कारण पुनः लिखकर, चालू वर्ष में आमदनी मान लिया गया है। हालांकि इस राशि का पुष्टिकरण होना बाकि है क्योंकि 2/3 स्कूलों का ही ऑडिट हुआ है। 1/3 स्कूलों का ऑडिट होना प्रगति में है।
- 2) समिति ने मिश्रित संकर लेखा पद्धति अपनाई गई है।
- 3) **आय अधिनियम 1961 के अनुसार:-** समिति के द्वारा दी गई जानकारी के अनुरूप यह ज्ञात हुआ कि समिति ने PAN Number धारण नहीं किया है और ना ही धारा 12 ए.ए. के तहत पंजीकरण के लिए प्रयास किया और न ही धारा 10 (23) सी० के तहत छूट को प्राप्त किया

इस स्थिति में समिति की आमदनी को आयकर एक्ट के तहत कर देने की जरूरत है। क्योंकि उपरोक्त धारा के तहत स्वयं ही छूट का प्रावधान नहीं है। छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु समिति को रजि० तथा छूट आयकर धारा के अन्तर्गत आवेदन करना होगा। PAN की अनुपलब्धता वश समिति को TDS बैंक द्वारा तथा अन्य संस्थाओं द्वारा ब्याज का भुगतान इत्यादि 20% के अनुसार काटा जाएगा और उसे समिति को वापिस नहीं किया जाएगा।

(2) **अनापेक्षित खाता शेष :** लेखा पुस्तकों में कुछ डेबिट/क्रेडिट शेष 2-3 वर्षों से अग्रेषित किए जा रहे हैं। यह शेष नीचे दिए गए हैं:-

क्रम संख्या	खाते का नाम	प्रकृति	राशि (रु०)
	जि०प०का० शामलाघाट की पुस्तकों में		
1	अन्य देयताएं	क्रेडिट	905,551.00

- हि०प्र०रा०इ०को० के नाम रु० 563278.00 का डेबिट शेष का कोई भी पुष्टि प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है।
- एन०सी०ई०आर०टी० का क्रेडिट रु०103680.00 का आरम्भिक शेष वर्ष के दौरान समायोजित नहीं किया गया है।
- एस०सी०सा० एवं.त० का डेबिट रु० 99903.00 का आरम्भिक शेष वर्ष के दौरान समायोजित नहीं किया गया है।
- चेयरपर्सन शिक्षा विभाग हि०प्र०वि० डेबिट रु० 1,40,000.00 का आरम्भिक शेष वर्ष के दौरान समायोजित नहीं किया गया है।
- इग्नू नई दिल्ली का क्रेडिट रु० 100810.00 का आरम्भिक शेष वर्ष के दौरान समायोजित नहीं किया गया है।
- ए०सी०ई० डेबिट रु० 50,000.00 का आरम्भिक शेष वर्ष के दौरान समायोजित नहीं किया गया है।
- ई०डी०सी०आई०एल०के के खाते में डेबिट रु० 7,20,000.00 का आरम्भिक शेष वर्ष के दौरान रु० 32320.00 डेबिट किया गया, जो कि अंतिम शेष रु० 752320.00 को समायोजित नहीं किया गया है।
- डिजास्टर रिडक्शन शिमला का क्रेडिट रु० 25,000.00 का आरम्भिक शेष वर्ष के दौरान समायोजित नहीं किया गया है।
- श्री जी०डी० शर्मा क क्रेडिट रु० 7500.00 का आरम्भिक शेष वर्ष के दौरान समायोजित नहीं किया गया है।
- मेसर्ज गिरीराज का क्रेडिट रु० 1190.00 का आरम्भिक शेष वर्ष के दौरान समायोजित नहीं किया गया है।

- निदेशक सामाजिक महिला कल्याण के खाते में आरम्भिक डेबिट शेष रु० 3403447.00 था । वर्ष के दौरान रु० 15000000.00 खाते में क्रेडिट किए गए तथा अंतिम शेष रु० 1903447.00 रहा । समिति के द्वारा दी गई जानकारी के द्वारा बताया गया कि उपरोक्त पार्टी से प्राप्ति योग्य राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

लेखा पुस्तकों की बन्द करना:— जैसा कि हमारे पहले प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं पुस्तकें ऑडिट पूरा होने तक प्रविष्टियों हेतु खुला रखा जाता है । यह स्वीकृति पत्र में दर्शायी गई तिथि से मालूम हुआ जिसमें व्यय पुस्तकबद्ध करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए ।

मदवार अत्यधिक व्यय का विवरण:— यह पाया गया कि वित्तिय वर्ष 2012-13 के दौरान स्वीकृति से ज्यादा विभिन्न मदों में व्यय किया गया ।

क्र०सं०	विशेष गतिविधियाँ	राशि (लाखों में) AWP में स्वीकृत	वास्तविक व्यय (लाखों में)	अत्यधिक व्यय (लाखों में)
1	नवाचार गतिविधियाँ कम्प्यूटर से शिक्षा	970.86	1036.09	65.23
2	स्कूल अनुदान	836.58	864.20	27.62
3	स्कूल पुस्तकालय	0.00	73.28	73.28

समिति के द्वारा बताया गया कि अतिरिक्त व्यय पूर्व वर्ष की अग्रिमों के समायोजन के द्वारा किया गया ।

नवाचार कम्प्यूटर शिक्षा:— भारत सरकार द्वारा इस क्रियाकलाप के अनुदान के तहत समान राशि स्कूलों की संख्या पर विचार किए बिना सभी जिलों को जो कम्प्यूटर शिक्षा के अन्तर्गत हैं, स्वीकृत की जा रही हैं । राज्य परियोजना निदेशालय में व्यय भी सभी जिलों को बराबर बांटते हुए लेखबद्ध किया जा रहा है ।

आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा नियन्त्रण:— वर्ष 2012-13 का आन्तरिक लेखा परीक्षण के० सन्धू एवं कम्पनी सन्दी लेखाकार को दिया गया है । प्रतिवेदन हमारे साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किए गए । आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी वर्ष अनुसार किया जा रहा है तथापि कुछ जिलों में निम्न स्तर पर आन्तरिक लेखा परीक्षण (ग्राम शिक्षा समिति तथा खण्ड स्रोत समन्वय) किया गया लेकिन राज्य परियोजना कार्यालय निदेशालय तथा जिला परियोजना कार्यालयों में पुष्टिकरण किए गए तलपट शेष नहीं पाये गए । समिति के द्वारा बताया गया कि वित्तिय वर्ष 2013-14 में परियोजना कार्यालय निदेशालय तथा जिला परियोजना कार्यालय को भी आन्तरिक लेखा परीक्षण के अन्तर्गत लाया गया है ।

स्टॉक रजिस्टर : स्टॉक रजिस्टर के अनुसरण में कोई भी प्रगति नहीं देखी गई । स्टॉक रजिस्टर यह मानते हुए लिखे जाते हैं कि यह केवल लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक है क्योंकि अधूरे स्टॉक रजिस्टर किसी भी कर्मचारी के काम के नहीं है । विशेष रूप से जब सामान जारी होने के बाद भी स्टॉक रजिस्टर में शेष रहता है ।

वित्तीय लेखों से प्रतीत होता है कि रा०प०का० के वाउचर सं० 97 दिनांक 28.03.2013 को राशि रु० 1939420.00 वर्दी के मद में निर्धारित कर दी गई। समिति ने बताया कि यह राशि वर्दी के लिए निदेशक प्रारम्भिक को दी गई है। समान राशि का भुगतान प्रारम्भिक शिक्षा विभाग स्तर पर भी किया गया है यह जाँच के योग्य है।

पूर्व लेखा परीक्षणों का अनुपालन:- पूर्व लेखा परीक्षणों की अनुपालना हुई है तथा हम अनुपालन से संतुष्ट हैं। हमने पाया कि पैरा न.0 II, IX, एवं XI में अनुपालना की गई है जिसकी पुष्टि एम०एच०आर०डी० ने पत्र संख्या डी०ओ० संख्या- 17/4/2012-एस०एस०ए० (डी०आई०एस०) दिनांक 03/10/13 से होती है।


लेखा परीक्षाधी लाई गई स्कूल प्रबन्धन समितियाँ:- स्कूल प्रबन्धन समितियों का निरीक्षण करने पर कुछ एक स्कूल प्रबन्धन समितियों में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई। 1) लेखा पुस्तकों का सही अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है। 2) व्यय से सम्बन्धित बिल/ वाउचर अभिलेख में नहीं रखे हैं। 3) स्टॉक रजिस्टर आदि का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है। 4) निर्माण कार्य संतोषजनक नहीं है। निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में नहीं है। 5) बहु भुगतान नकदी में किया गया है। यह भी पाया गया कि अग्रिम राशि स्कूल प्रबन्धन समितियों को निर्माण के लिए दी गई थी उसके हस्तलिखित बिल पाये गए हैं उस अग्रिम राशि का कहीं भी समायोजन नहीं किया गया और आगे स्कूल प्रबन्धन समितियों में बांट दी गई।

यहां पर तात्पर्य यह है कि निर्माण स्तर पर कमियों से अभियंता/ खण्ड स्त्रोत समन्वयक आदि द्वारा सही ढंग से नहीं निपटा जाता है उनके द्वारा उपयुक्त प्रणाली की अनुपालना की जानी चाहिए (न कि प्रारूपिक लेखा पुस्तकों का अनुरक्षण परन्तु निर्माण कार्यों की जाँच तर्क संगत होती चाहिए) उनसे सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के ऊपर निम्न प्रकार से जाँच रखने की अपेक्षा की जाती है। 1) सही प्रकार से हस्त लिखित भरे गए उपयोगिता प्रमाण पत्र। 2) निर्माण कार्य प्रगति दर्शाते फोटो। 3) निर्माण कार्य समय पर पूर्ण करना।

विवादित मामले: वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा में कोई मामला नहीं पाया गया तथापि निम्नलिखित न्यायिक मामले लम्बित हैं जिनमें कुछ प्रगति हुई है उनका नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है।

अ) **परियोजना कार्यालय:-** डॉ० ओ०सी० गुलेरिया ने समिति के रूपये 1,40,700.00 का गबन किया। इस व्यक्ति को दोषारोपण पत्र दिया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान से इन्हें पैतृक विभाग को भेज दिया गया। हमें बताया गया कि डॉ० ओ०सी० गुलेरिया ने विभागीय जाँच पर न्यायालय से रोक लगा दी।

ब) श्री राजेश कुमार चालक (डी०पी०ई०पी०) उनके विरुद्ध रूपये 1,81,995.00 के अग्रिम के दुर्विनियोजन का मामला दायर किया गया। न्यायालय ने मामले को समिति के पक्ष में निपटाया है। जैसा कि बताया गया यह व्यक्ति अभी भी नहीं खोजा जा सका है। निदेशक सर्व शिक्षा अभियान ने जिलाधीश सोलन को उसकी चल व अचल सम्पत्ति की स्थिति जानने के सम्बन्ध में पत्र संख्या



2600-2601 दिनांक 04-08-2011 के अनुसार लिखा है ताकि श्री राजेश कुमार से वसूली की जा सके।

स) रूपये 2,25,210.00 (श्री मधु कुमार से) जिला परियोजना कार्यालय सोलन स्टॉफ द्वारा दुर्विनियोजन छानबीन अधीन है। जिला परियोजना कार्यालय सोलन ने श्री मधु कुमार के मामले में इस व्यक्ति को दोषारोपित करके पैतृक विभाग को भेज दिया गया है और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के पत्र दिनांक 04-03-2008 द्वारा निलम्बित भी किया गया है। हमें बताया गया कि श्री मधु कुमार ने जाँच पर माननीय न्यायालय से रोक लगा दी है।

कृते अनिल के, सूद एवं कम्पनी
सन्दी लेखाकार
फर्म रजि० नं० 07630 एन

हस्ता / -
(जितेन्द्र शर्मा)
साझेदार
एम० नं० 511025


स्थान: शिमला

दिनांक: 18.12.2013

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति एवं सर्व शिक्षा अभियान-राज्य मिशन अथॉरिटी
डी०पी०ई०पी० भवन, लालपानी शिमला-171001
समेकित तुलन पत्र 31-03-2013 तक

देयताएं	अनु०	राशि रू०	चालू वर्ष 2012-13	पूर्व वित्तिय वर्ष 2011-12	सम्पतियाँ	अनु०	राशि रू०	चालू वर्ष 2012-13	पूर्व वित्तिय वर्ष 2011-12
पूजीगत संचित निधि			59,020,560.91	53,923,413.91	स्थाई सम्पतियाँ (कम्प्यूटर हार्डवेयर व अन्य एफ एवं एफ)	डी०		59,020,560.91	53,923,413.91
ब्याज व अन्य आय अ) ब्याज आय सर्व शिक्षा अभियान ब) विविध आय	ए०	285,016,332.16 604,707.25	285,621,049.41	127,260,322.30	वसूल किए जाने योग्य स०शि०अ० वसूल किए जाने योग्य डी०पी०ई०पी० वसूल किए जाने योग्य के०जी०बी०वी०	ई० एच० आई०	317,683,268.50 181,995.00 4,806,104.01	322,671,367.51	756,307,395.00
भारत सरकार तथा राज्य अंश का निधि बेश	बी० 1				रोकड़ व बैंक शेष ए) बैंक में रोकड़ (स०शि०अ०) बैंक में रोकड़ डी०पी०ई०पी० हस्तरत रोकड़ (स०शि०अ०)	सी०	476,185,642.42 167,474.26	476,353,116.68	356,473,008.30
शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एन०पी०ई०जी०ई०एल०		424,011.00 156,870,716.98	157,294,727.98	682,494,905.00					
चालू व अन्य देयताएं									
चालू व अन्य देयताएं सर्व शिक्षा अभियान	जी०		354,299,048.80	298,368,658.00					
प्रति देय खर्च	एफ०		1,809,658.00	4,656,518.00					
		कुल रू०	858,045,045.10	1,166,703,817.21			कुल रू०	858,045,045.10	1,166,703,817.21

वार्षिक रिपोर्ट - 2012-13 (सर्व शिक्षा अभियान) [99]



स्थान: शिमला
दिनांक: 18.12.2013

कृते अनिल के, सूद एवं कम्पनी
सन्दी लेखाकार
फर्म रजि० नं० 07630 एन
हस्ता/-
(जितेन्द्र शर्मा) साझेदार एम० नं० 511025

**हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति एवं सर्व शिक्षा अभियान-राज्य मिशन अर्थो रिटी
डी०पी०ई०पी० भवन, लालपानी शिमला-171001
समेकित आय व्यय का लेखा 31-03-2013 तक**

व्यय	चालू वर्ष 2012-13	पूर्व वित्तीय वर्ष 2011-12	आय	चालू वर्ष 2012-13	पूर्व वित्तीय वर्ष 2011-12
स०शि०अ० के अन्तर्गत			केन्द्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त निधि का प्रयोग		
निर्माण कार्य	811,205,828.84	183,779,186.00	स० शि० अ० के अन्तर्गत एन० पी० ई० जी० ई० एल० के अन्तर्गत	2,644,568,369.08	1,870,631,993.44
अनुदान			ब्याज से आय स०शि०अ०	3,031,688.00	3,136,293.00
स्कूल प्रा० अपर प्रा०	86,420,484.00	70,536,679.00		158,324,359.11	38,415,779.81
रख रखाव अनुदान	105,821,706.90	78,261,957.00			
टी० एल० ई० प्रा० अपर प्रा०	550,429.00	536,800.00			
शिक्षक प्रा० अपर प्रा०	21,423,218.00	19,310,453.00			
प्रशिक्षण			विविध आय पूर्व में किए गए व्यय का लेखा	36,368.00	108,406.00
शिक्षक प्रशिक्षण प्रा० अपर प्रा०	83,328,704.00	85,864,694.00		96,369,880.06	
सामुदायिक प्रशिक्षण	69,876,745.50	58,182,440.00			
नवाचार	103,608,798.56	100,007,395.38			
आई० ई० डी०	31,830,108.00	31,609,068.00			
अनुसंधान व मूल्यांकन	10,444,548.50	14,351,701.00			
मुफ्त पुस्तकें	56,958,406.00	55,726,491.00			
एल० ई० पी०	1,876,773.00	25,807,730.00			
प्रबन्धन व्यय	93,178,677.78	92,000,075.06			
सामुदायिक भ्रमण	5,596,499.00	—			
वर्दी	185,048,600.00	—			
शिक्षकों का वेतन	907,746,986.00	744,473,923.00			
बाहर रह रहे बच्चों के लिए योजनाएं/ ई० जी० एस०	7,134,206.50	8,271,824.00			
खण्ड स्त्रोत केन्द्र	114,178,585.00	106,998,219.00			
संकुल स्त्रोत केन्द्र	135,913,783.00	134,799,210.00			
स्कूल पुस्तकालय	7328134.50	56,952,019.00			
कम्प्यूटर / फर्नीचर	5,097,147.00	3,162,129.00			
उपकरण/वाहन आदि					
जमा निधि को प्रेषित					
एन० पी० ई० जी० ई० एल०	3,031,688.00	3,136,293.00			
शेष ब्याज तुलन पत्र को प्रेषित	158,324,359.11	38,415,779.81			
विविध आय का शेष तुलन पत्र को प्रेषित	36,368.00	108,406.00			
पूर्व वर्ष का व्यय पुनःअंकित	96,369,880.06				
कुल रु०	2,805,960,764.19	1,912,292,472.26	कुल रु०	2,805,960,764.19	1,912,292,472.25

वार्षिक रिपोर्ट - 2012-13 (सर्व शिक्षा अभियान) [100]


स्थान: शिमला

दिनांक: 18.12.2013

कृते अनिल के, सूद एवं कम्पनी
सन्दी लेखाकार
फर्म रजि० नं० 07630 एन

हस्ता/-


(जितेन्द्र शर्मा) साझेदार एम० नं० 511025



**हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति एवं सर्व शिक्षा अभियान-राज्य मिशन ऑथोरिटी
डी०पी०ई०पी० भवन, लालपानी शिमला-171001
समेकित प्राप्ति एवं भुगतान लेखा 31-03-2013 तक**

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2012-13 राशि रु०	पूर्व वित्तिय वर्ष 2011-12 राशि रु०	भुगतान	चालू वर्ष 2012-13 राशि रु०	पूर्व वित्तिय वर्ष 2011-12 राशि रु०
गत शेष			निर्माण कार्य	811,205,828.84	183,779,186.00
क) बैंक में रोकड़ एस०एस०ए०	356,290,056.04	332,835,405.07	अनुदान		
ख) बैंक में रोकड़ डी०पी०ई०पी०	—	2392,651.86	स्कूल प्रा० अपर प्रा०	86,420,484.00	70536679.00
ग) हस्तरत रोकड़ एस०एस०ए०	182,953.26	456,784.26	रख्य रखाव अनुदान प्रा० अपर प्रा०	105,821,708.90	78261957.00
घ) सावधी जमा एस०एस०ए०	—	34006.731.00	टी०एल०ई०प्रा०अपर प्रा०	550,429.00	536800.00
ङ) अग्रिम एस०एस०ए०	756,125,400.00	114,578,209.10	शिक्षक प्रा० अपर प्रा०	21,423,218.00	19310453.00
च) अग्रिम डी०पी०ई०पी०	181,995.00	181,995.00			
			प्रशिक्षण		
भारत सरकार से प्राप्त धन			शिक्षक प्रशिक्षण प्रा० अपर प्रा०	83,328,704.00	85864694.00
क) एस०एस०ए०	1,068,716,000.00	1,412,638,000.00	सामुदायिक प्रशिक्षण	69,876,745.50	58182,440.00
ख) एन०पी०ई०जी०ई०एल०	1,276,000.00	2,403,000.00	नवाचार		
			आई०ई०डी०	31,830,108.00	31,609,068.00
प्रदेश सरकार से प्राप्त धन			अनुसंधान व मूल्यांकन	10,444,548.50	14,351,701.00
क) एस०एस०ए०	955,285,489.00	910,125,000.00	मुफ्त पुस्तकें	56,958,406.00	55,726,491.00
ख) एन०पी०ई०जी०ई०एल०	752,511.00	1,294,000.00	एल०ई०पी०	1,876,773.00	25807730.00
				93,178,677.78	92,000,075.06
व्याज			प्रबन्धन व्यय		
एस०एस०ए०	158,324,359.11	38,145,779.81	सामुदायिक भ्रमण	5,596,499.00	—
			वर्दी	185,048,600.00	—
वित्तिघ्न प्राप्तियाँ	36,368.00	108,406.00	शिक्षकों का वेतन	907,746,986.00	744,473,923.00
चालू देयताओं में जमाव	55,930,390.80	134,406,660.64	बाहर रह रहे बच्चों के लिए योजनाएं / ई०जी०एस०	7,134,134,206.50	8271824.00
देनदारियों में जमाव	—	2,706,067.00	खण्ड स्रोत केन्द्र	114,178,585.00	106998218.00
गत वर्ष में किए गए व्यय पुनः अंकित	96,369,880.06		संकुल स्रोत केन्द्र	135,913,783.00	134,799,210.00
			स्कूल पुस्तकालय	7,328,134.50	58,952,019.00
			स्थाई सम्पत्तियों की खरीद	5,097,147.00	3162129.00
			एन०पी०ई०जी०एल०के द्वारा	031,688.00	3136293.00
			चालू देनदारियों में घटाव	—	—
			देय व्यय में घटाव	2,846,860.00	—
			अंतिम शेष		
			क) बैंक में रोकड़ एस०एस०ए०	476,185,642.42	356290055.04
			ख) हस्तरत रोकड़	167,474.26	162953.26
			ग) एस०एस०ए० से प्राप्ति योग्य	317,683,268.50	756125400.00
			घ) डी०पी०ई०पी०से प्राप्ति योग्य	181,995.00	181,995.00
			ङ) के०जी०बी०वी० से प्राप्ति योग्य	4,806,104.01	—
कुल रु०	3,449,471,401.27	2,986,548,689.74	कुल रु०	3,449,471,401.27	2,986,548,689.74

वार्षिक रिपोर्ट - 2012-13 (सर्व शिक्षा अभियान) [101]




स्थान: शिमला
दिनांक: 18.12.2013


कृते अनिल के, सूद एवं कम्पनी
सन्दी लेखाकार
फर्म रजि० नं० 07630 एन
हस्ता / -
(जितेन्द्र शर्मा) साझेदार एम० नं० 511025

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति एवं सर्व शिक्षा अभियान, राज्य मिशन अथॉरिटी
डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी, शिमला-171001
मदवार जिला तथा मुख्यालय स्तर पर व्यय का लेखा वर्ष के दौरान 31.03.2013 तक

Expenditure Head	SPO	Shimla	Solan	Una	Kangra	Hamirpur	Kinnair	Bilaspur	Lahaul & Spiti	Sirmour	Kulu	Chamba	Mandi	Total(Rs)
सर्व शिक्षा अभियान														
निर्माण कार्य														
अतिरिक्त कमरा का निर्माण मु०अ० प्रा०अ०प्रा०		23,358,640.00	13,478,441.34	10,429,148.00	70,820,829.00	1,573,313.00	1,548,722.00	7,317,500.00	845,000.00	29,355,350.00	1,500,655.00	9,221,424.00	24,282,520.00	183,731,542.34
मुख्य मरम्मत		3,802,587.00	7,011,254.00	5,016,482.00	17,888,155.00	2,288,208.00	605,700.00	3,508,480.00	37,500.00	9,932,350.00		13,062,600.00	1,011,850.00	64,246,166.00
छात्रा शौचालय		5,502,243.00	5,514,833.00	7,152,500.00	8,689,964.00	850,000.00		109,000.00	267,500.00			1,331,250.00	7,735,487.00	36,952,777.00
पीने का पानी														
सीमा दीवार		8,120,800.00	7,346,487.00	8,404,907.00	63,523,471.00	2,308,020.00	3,120,629.50	14,589,580.00	523,865.00	24,246,075.00	1,811,939.00	12,977,142.00	76,141,158.00	223,093,253.50
बी०आ०सी० भवन		2,070,888.00				1,800,080.00								3,070,888.00
बाला फीचर														
नव प्रा०वि० विजलीकरण		14,434,860.00	3,111,435.00	155,000.00	4,086,511.00	30,000.00	1,180,426.00	789,822.00	30,000.00	8,775,000.00	324,550.00	4,073,730.00	23,600,098.00	60,581,532.00
फर्नीचर अनुदान		32,110.00	479,923.00	5,517,000.00										6,029,033.00
सी०डब्ल्यू०एस०एन० योग्य शौचालय			406,486.00	300,000.00		13,160,000.00	100,000.00	80,000.00	180,000.00	3,500,000.00				17,706,486.00
रैपर				726,265.00	1,331,806.00	1,804,000.00	24,000.00	216,000.00	64,000.00	1,528,000.00				5,794,171.00
योग		55,381,348.80	38,419,727.34	37,701,392.80	166,350,838.80	21,893,541.80	7,579,477.50	26,571,362.80	1,927,965.80	77,338,775.80	3,836,244.80	48,886,148.80	132,171,113.80	611,285,828.84
अनुदान														
विद्यालय प्रा०अपर प्रा०		13,113,131.00	6,387,140.50	5,740,393.00	13,306,946.50	4,352,840.00	1,579,240.00	5,551,288.00	1,429,000.00	7,374,294.00	5,328,704.00	6,447,854.80	13,830,053.00	86,429,884.80
विद्यालय रख-रखाव प्रा०अपर प्रा०		16,359,485.00	5,857,435.90	7,283,632.00	15,023,203.00	5,674,329.00	1,920,862.00	6,126,733.00	1,875,000.00	9,985,310.00	7,107,775.00	10,026,488.00	18,621,636.00	105,821,706.90
टी०एल०ई०प्रा०अपर प्रा०			219,929.00						330,500.00					550,429.00
शिक्षक प्रा०अपर प्रा०		3,005,285.00	1,538,741.00	1,409,852.00	3,853,487.00	1,096,406.00	386,527.00	1,385,000.00		1,947,017.00	1,388,000.00	2,371,575.00	3,242,528.00	21,423,218.00
योग		32,477,801.80	13,983,246.40	14,413,677.80	31,983,638.50	11,122,375.80	3,886,449.80	13,963,821.80	3,834,500.80	19,286,621.80	13,824,479.80	20,845,715.80	35,694,217.00	214,215,837.90
प्रशिक्षण														
शिक्षक प्रशिक्षण प्रा०अपर प्रा०		12,423,129.00	5,406,870.00	4,532,205.00	11,024,611.00	5,047,834.00	1,284,453.00	5,205,250.00	2,616,560.00	8,266,925.00	4,996,213.00	9,746,518.00	12,796,136.00	83,328,784.00
समुदाय प्रशिक्षण		11,597,988.00	5,066,069.50	4,317,123.00	11,422,436.00	3,563,819.00	1,161,329.00	3,940,911.00	487,800.00	5,822,175.00	4,922,241.00	8,194,585.00	9,380,269.00	69,876,745.50
योग		24,021,117.80	10,472,939.50	8,849,328.80	22,447,047.80	8,611,653.80	2,445,782.80	9,146,161.80	3,104,360.80	14,089,100.80	9,920,454.00	17,941,103.80	22,176,405.00	153,205,449.50
नवाचार														
छात्र शिक्षा		1,095,770.00	1,800,864.00	1,720,263.00	1,698,978.00	1,774,123.00	1,368,623.00	1,943,730.00	1,251,110.00	1,632,946.00	1,315,513.00	1,279,868.00	3,419,875.00	20,301,663.00
कम्प्यूटर शिक्षा		5,357,806.00	5,353,198.00	3,741,620.00	5,405,016.00	5,152,103.00	5,050,533.00	5,367,652.00	5,028,649.56	5,342,881.00	5,371,071.00	5,401,492.00	5,377,835.00	61,950,856.56
ई०सी०सी०ई०		1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,717.00	1,250,000.00	15,000,717.00
जीवन कौशल शिक्षा														
विज्ञान व गणित का सामान														
अनु० जाति अनु० जनजाति			857,492.00		521,252.00		490,302.00		2,067,216.00	468,596.00	317,704.00	550,000.00	1,083,000.00	6,355,562.00
अन्य गतिविधियां														
योग		7,703,578.80	9,261,554.00	6,711,883.80	8,875,246.80	8,176,226.80	8,159,458.80	8,561,382.80	9,597,975.56	8,694,423.80	8,254,288.80	8,462,077.80	11,130,710.80	103,608,798.56



अन्य गतिविधियां														
ऑईडी		4,151,848.00	1,780,974.00	2,328,748.00	7,756,854.00	949,767.00	320,778.00	3,287,110.00	183,000.00	1,523,381.00	1,985,248.00	1,018,513.00	6,543,886.00	31,830,108.00
शोध एवं मूल्यांकन	1,437,295.00	1,199,301.00	509,954.50	369,767.00	1,722,799.00	626,594.00	179,905.00	476,529.00	248,002.00	804,950.00	725,517.00	873,718.00	1,270,217.00	18,444,548.50
मुफ्त कित्तबें		7,958,462.00	5,696,971.00	2,578,347.00	4,247,977.00	2,435,507.00	344,452.00	3,160,908.00		7,273,465.00	5,828,897.00	6,100,724.00	11,334,696.00	56,958,406.00
एलईपी			51,385.00	1,626,126.00				54,262.00						1,876,773.00
प्रबन्ध व्यय	22,425,037.00	5,965,888.00	4,623,533.06	4,666,993.00	11,256,447.12	3,401,835.00	2,074,988.00	4,039,479.00	3,043,692.00	7,529,919.00	8,568,476.00	7,950,197.85	7,630,192.75	93,178,677.78
सामुदायिक सहभागिता			787,251.00		1,666,625.00					817,676.00		781,587.00	1,543,360.00	5,596,499.00
योग	23,862,332.00	19,275,499.80	13,450,868.56	11,568,982.00	26,690,782.12	7,413,703.00	2,974,385.00	18,964,026.00	3,619,894.00	17,949,391.80	17,108,138.80	16,724,739.85	28,322,351.75	199,885,012.26
वर्दी		22,182,000.80	16,705,000.80	13,896,900.80	31,884,000.80	-	2,936,000.80	9,305,000.80	1,452,600.80	20,370,000.80	14,759,000.80	23,527,000.80	28,822,000.80	185,048,600.06
योग	-	22,182,000.80	16,705,000.80	13,896,900.80	31,884,000.80	-	2,936,000.80	9,305,000.80	1,452,600.80	20,370,000.80	14,759,000.80	23,527,000.80	28,822,000.80	185,048,600.06
शिक्षक वेतन														
शिक्षकों का वेतन		119,049,162.00	69,478,344.00	36,999,888.00	146,570,226.00	36,925,114.00	7,491,594.00	54,074,440.00	12,182,978.00	95,312,046.00	60,163,650.00	96,535,104.00	172,964,442.00	907,746,886.00
योग	-	119,049,162.00	69,478,344.00	36,999,888.00	146,570,226.00	36,925,114.00	7,491,594.00	54,074,440.00	12,182,978.00	95,312,046.00	60,163,650.00	96,535,104.00	172,964,442.00	907,746,886.00
स्कूल से बहर रहे बच्चों के लिए नीतियां डीजीएस														
शिक्षा गारण्टी योजना		371,115.00	1,218,061.00	181,801.50	660,810.00	155,738.00	229,840.00	179,152.00	480,000.00	90,000.00	1,119,033.00	1,816,090.00	632,566.00	7,134,206.50
सुधारत्मक शिक्षा														
योग	-	371,115.00	1,218,061.00	181,801.50	660,810.00	155,738.00	229,840.00	179,152.00	480,000.00	90,000.00	1,119,033.00	1,816,090.00	632,566.00	7,134,206.50
खण्ड स्त्रोत केन्द्र														
शिक्षा का अधिकार फर्नीचर व रखरखाव अनुदान		91,200.00	50,000.00	83,335.00	150,000.00	28,499.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	50,000.00	60,658.00	920,000.00	1,593,772.00
आकस्मिक अनुदान		518,831.00	728,848.00	775,047.00	750,000.00	455,278.00	264,998.00	141,427.00	96,944.00	300,000.00	250,000.00	345,757.00	610,634.00	5,239,364.00
स्त्रोत व्यक्तियों का वेतन		9,783,826.00	5,093,900.00	4,807,395.00	16,185,200.00	6,113,243.00	3,045,220.00	8,713,800.00	114,400.00	4,141,488.00	5,089,382.00	4,368,096.00	5,819,745.00	73,275,795.00
मीटिंग व यात्रा भत्ता		188,263.00	149,796.00	68,245.00	450,000.00	97,262.00	110,914.00	88,130.00	59,024.00	142,556.00	141,850.00	140,347.00	304,148.00	1,939,535.90
टीएलएम अनुदान		106,403.00	50,000.00	69,294.00	150,000.00	21,978.00	20,110.00	30,000.00	20,000.00	60,000.00	50,000.00	65,334.00	204,736.00	847,855.00
वेतन बी-आरसी/एकलवृत्त, ईईडी/बी		3,889,905.00	12,251,662.00	1,230,155.00	3,327,071.00	1,269,795.00	442,967.00	1,512,852.00		1,674,233.00		1,859,711.00	3,723,913.00	31,282,264.00
योग	-	14,578,408.00	18,334,808.00	7,831,471.80	21,812,271.80	7,968,856.80	3,944,209.80	18,607,298.80	312,368.80	6,378,277.80	5,581,232.80	6,839,803.80	11,583,178.80	114,178,585.00
संकुल स्त्रोत केन्द्र														
फर्नीचर रखरखाव शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत		722,000.00	298,000.00	332,500.00	612,525.00	35,902.00	74,191.00	303,578.00	71,689.00	375,043.00	258,505.00	428,000.00	2,881,773.00	6,393,706.00
आकस्मिक अनुदान		3,254,558.00	2,913,293.00	2,307,674.00	3,229,339.00	864,099.00	384,962.00	1,597,891.00	365,834.00	1,870,105.00	1,274,102.00	2,137,085.00	4,177,299.00	24,378,239.00
स्त्रोत व्यक्तियों का वेतन		22,989,600.00		7,786,800.00	25,956,000.00	7,972,200.00	2,781,000.00	2,864,520.00		927,000.00			12,329,100.00	83,886,220.00
मीटिंग व यात्रा भत्ता		2,239,387.00	1,282,782.00	292,697.00	2,478,484.00		225,637.00	1,035,765.00	316,556.00	1,537,438.00	912,752.00	1,826,340.00	3,267,742.00	15,415,880.00
टीएलएम अनुदान		1,058,734.00	359,850.00	368,392.00	773,575.00		96,830.00	440,185.00	114,156.00	565,500.00	382,856.00	637,947.00	1,324,203.00	6,122,028.00
योग	-	20,284,277.80	4,853,935.80	11,688,863.80	33,849,823.80	8,872,281.80	3,582,826.80	6,241,939.80	888,233.80	4,348,098.80	3,755,815.80	5,829,372.80	23,988,117.80	135,913,783.00



शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सर्व शिक्षा अभियान
सर्व शिक्षा अभियान


स्कूल प्रस्तकालय														
प्राइमरी		811,141.00	683,118.50	410,000.00	-		293,833.00	-			469,644.00	3,500,592.00	6,168,328.50	
अपर प्राइमरी				855,562.00	-		304,254.00	-					1,159,896.00	
योग	-	811,141.00	683,118.50	1,265,562.00	-	-	598,087.00	-	-	-	469,644.00	3,500,592.00	7,328,134.50	
कम्प्यूटर फर्नीचर उपकरण वाहन इत्यादि	1,132,514.00	1,065,330.00	774,180.00	-	855,460.00	362,775.00	13,800.00	553,783.00		21,900.00	111,455.00	205,950.00	5,097,147.00	
योग	24,994,846.00	327,160,066.00	198,824,180.30	148,908,947.50	498,340,157.62	111,519,381.00	43,801,781.50	148,167,475.00	37,180,673.56	263,876,619.08	138,232,988.00	238,182,843.85	471,577,889.75	
एन०पी०ई०जी०ई०एल०		100,000.00								557,000.00		2,082,704.00	291,984.00	
विभिन्न मद														
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समेकित व्यय	2,644,568,369.08													
एन०पी०ई०जी०ई०एल०	3,831,688.00													
योग	2,647,800,057.08													




हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति एवं सर्व शिक्षा अभियान-राज्य मिशन अथॉरिटी
डी०पी०ई०पी० भवन, लालपानी शिमला-171001
तुलन पत्र का आंतरिक भाग 31-03-2013 तक

वार्षिक रिपोर्ट - 2012-13 (सर्व शिक्षा अभियान) [105]

अनु० ए०							
विवरण	रा०प०का०	शिमला	सोलन	ऊना	काँगड़ा	हमीरपुर	किन्नौर
बैंक ब्याज							
गत शेष 1-04-2012	45,444,171.81	7,384,816.00	5,765,726.63	4,388,453.00	14,008,416.12	3,994,077.00	3,838,664.00
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (बचत और चालू खातों में)	11,160,949.41	22,392,629.78	11,343,568.23	11,562,051.50	32,644,080.97	9,040,794.50	3,637,110.00
कुल राशि	56,605,121.22	29,777,445.78	17,109,096.86	15,950,504.50	46,652,497.09	13,034,871.50	7,475,774.00
बैंक ब्याज	बिलासपुर	लाहौल और स्पिति	सिरमौर	कुल्लू	चम्बा	मण्डी	कुल
गत शेष 1-04-2012	3,093,438.00	2689,168.99	4,815,825.39	5027,624.33	9,289,546.78	16,952,243.00	126,691,973.05
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (बचत और चालू खातों में)	7878415.00	828526.00	12315038.20	5904519.67	11978359.42	17638324.43	158324359.11
कुल राशि	10,971,853.00	3,517,694.99	17,130,855.59	10932144.00	21,267,906.20	34590,567.43	258,016,332.16
अनु० बी० (1)							
वर्ष में सहायता अनुदान का उपयोग	आरम्भिक शेष 1.4.2012	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	पूर्व व्यय घन पुनःअंकित	वर्ष के दौरान अनुदान का उपयोग	अंतिम शेष 31.03.2013 तक		
शिक्षा की गारंटी के अन्तर्गत	424011.00				424011.00		
संशिक्ष०	681,067,717.00	2024001489.00	96369880.06	264568369.08	156870716.98		
एन०पी० ई०जी०ई०एल०	1003177.00	2028511.00		3031688.00			
कुल राशि	682494,905.00	2026030,000.00	93698800.06	2647600057.08	157294727.98		
अनु० बी० (2)							
डी०पी० ई० को देय राशि							
वर्ष के दौरान अनुदान का उपयोग	आरम्भिक शेष 1.4.2012	वर्ष में प्राप्त	अनुदान व्यय	अंतिम शेष 31.03.2013 तक			
सामान्य निधि डी०पी०ई० पी०	(276,154.00)		(458,148.00)	181995.00			
ब्याज डी०पी०ई० पी०	422,455.00		422,455.00				
विविध आय	35,694.00		35,694.00				
कुल राशि	181995.00			181995.00			




अनु० सी०							
बैंक शेष 31-03-13 तक	रा०प०का०	शिमला	सोलन	ऊना	काँगड़ा	हमीरपुर	किन्नौर
एस०बी०आई०							
पी०एन०बी० 1	15081375366	14,942,307.84	9372,512.56	5,726,133.00	16046,886.45	8,259,959.50	3,480,311.36
पी०एन०बी० 2	1,006,713.00	7523,918.25					
पी०एन०बी० 3							
बैंक ऑफ इंडिया							
यूको बैंक							
केनरा बैंक	97,282,430.85					12,606,133.00	
एच०पी०एस० कॉर्पोरेटिव बैंक 1		17,313,529.05					4972,812.20
एच०पी०एस० कॉर्पोरेटिव बैंक 2							
काँगड़ा सेंट्रल बैंक 1					14,467,658.63		
हिमाचल ग्रामीण बैंक							
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला							
कुल रु०	249,102,897.51	39,779,755.14	9,372,512.56	5726,133.00	30,514,545.08	20,866,092.50	8,453,123.56
बैंक शेष 31-03-2013 तक	विलासपुर	लाहौल और स्पिति	सिरमौर	कुल्लू	चम्बा	मण्डी	कुल
एस०बी०आई० 1		5,258,362.89	4,894,825.60				10,153,188.49
एस०बी०आई० 2							
एस०बी०आई० 3							
एस०बी०आई० 4							
पी०एन०बी० 1			909,263.39		5,914,410.66		6,823,674.05
पी०एन०बी० 2					20772.00		20772.00
यूको बैंक 1	7,730,251.00		26,228.60			73,169,316.53	80,925,796.13
यूको बैंक 2							
केनरा बैंक							14269,611.00
एच०पी० स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक 1	177,601.40			14,269,611.00			177,601.40
काँगड़ा सेंट्रल बैंक 1							
काँगड़ा सेंट्रल बैंक 2							
काँगड़ा सेंट्रल बैंक 3							
हिमाचल ग्रामीण बैंक							
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला							
कुल रु०	7,907,852.40	5,258,362.89	5,830,317.59	14,269,611.00	5,935,122.66	73,169,316.53	112,370,583.07
बैंक शेष 31-03-2013	रा०प०का०	डाइट शिमला	डाइट सोलन	डाइट ऊना	डाइट काँगड़ा	डाइट हमीरपुर	डाइट किन्नौर
हस्तरत रोकड़	45,686.00	1,010.00	241.00	24,030.00	20,317.00	227.00	640.00
कुल रु०	45,686.00	1,010.00	241.00	24,030.00	20,317.00	227.00	640.00




अनु० डी०


विवरण	रा०प०का०	डाइट शिमला	डाइट सोलन	डाइट ऊना	डाइट काँगड़ा	डाइट हमीरपुर	डाइट किन्नौर
स्थायी सम्पत्ति का विवरण							
जिला दफ्तर के उपकरण		353,109.00	787,943.00	296,533.00	398,626.00	296,532.00	296,533.00
आरम्भिक शेष डी०पी०ई०पी०	7,749,721.06						
कम्प्यूटर	3,343,538.00	154,080.00			49,700.00		
वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	1,132,514.00				855,460.00	362,775.00	13,800.00
फर्नीचर	656,941.00	1,796,612.00	13,423.00		194,004.00	306,210.00	264,226.00
वर्ष के दौरान बढ़ोतरी		1,065,330.00					
कार्यालय के उपकरण	2,965,996.00	137,490.00		988,001.00	946,272.00	377,873.00	548,647.00
वर्ष के दौरान बढ़ोतरी							
वाहन	1,548,540.00						
वर्ष के दौरान बढ़ोतरी			774,180.00				
कुल रू०	17,397,250.06	3,506,621.00	1,575,546.00	1284,534.00	2,444,062.00	1643,390.00	1,123,206.00
विवरण	डाइट बिलासपुर	डाइट लाहौल और स्पिति	डाइट सिरमौर	डाइट कुल्लू	डाइट चम्बा	डाइट मण्डी	कुल रू०
स्थायी सम्पत्ति का विवरण							
जिला दफ्तर के उपकरण	296,532.00					296,532.00	3,022,340.00
आरम्भिक शेष डी०पी०ई०पी०		2,738,878.00	7,357,286.00	4,425,399.64	9,027,238.00		31,298,512.91
कम्प्यूटर		121,825.00		156,475.00	13,500.00	286,865.00	4,125,983.00
वर्ष के दौरान बढ़ोतरी			21,900.00	103,465.00	205,950.00		2,696,864.00
फर्नीचर			10,912.00	68,128.00	2,016,132.00	143,242.00	5,469,830.00
वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	260,648.00						1,325,978.00
कार्यालय के उपकरण	577,598.00	13,612.00	1,421,790.00	23,575.00	279,025.00	178,329.00	8,458,208.00
वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	293,140.00			7,990.00			301,130.00
वाहन							1,548,540.00
वर्ष के दौरान बढ़ोतरी							774,180.00
कुल रू०	1,427,918.00	2,874,310.00	8,811,888.11	4,785,032.64	11,541,840.10	904,968.00	59020,560.91



अनु० ई			
तुलन पत्र का आंतरिक भाग 31.03.2013 तक			
चालू सम्पत्तियों ऋण व अग्रिमों			राशि रु०
मुख्यालय स्तर पर			
रा०प०का० स्तर पर			21,710,581.00
जिला स्तर पर			
शिमला			68,788,627.00
किन्नौर			1,041,594.00
ऊना			1,963,381.00
काँगड़ा			55,511,207.00
हमीरपुर			779,596.00
बिलासपुर			16,025,341.00
कुल्लू			60,338,671.00
लाहौल स्पिति			3,378,901.00
सिरमौर			9,150,700.00
चम्बा			28,006,415.00
मण्डी			49,855,335.00
सोलन			1,132,919.00
कुल रु०			317,683,268.00
अनु० एफ			
देय प्रबन्धन व्यय			राशि रु०
जिला स्तर पर			
रा०प०का० स्तर पर			397,258.00
शिमला			99,053.00
सोलन			59,662.00
ऊना			38,063.00
काँगड़ा			158,528.00
हमीरपुर			22,616.00
बिलासपुर			327,048.00
लाहौल स्पिति			17,746.00
कुल्लू			610,614.00
चम्बा			2,000.00
किन्नौर			24,922.00
सिरमौर			651.00
मण्डी			51,507.00
कुल रु०			1,809,658.00



अनु० जी			
चालू व अन्य देयताएं	आरम्भिक	चालू वर्ष	राशि रु०
मुख्यालय स्तर पर			
डी०पी०ई० को निधि देय	बी II		
रा०प०का० स्तर पर			281,964,280.00
शिमला			17,695,297.00
सोलन			
ऊना			799,526.00
काँगड़ा			52,809.00
हमीरपुर			
बिलासपुर			4,883,448.00
लाहौल स्पिति			55,141.00
सिरमौर			2,378,391.00
कुल्लू			287,200.00
चम्बा			774,148.00
किन्नौर			58,040.00
मण्डी			45,350,768.00
कुल रु०			354,299,048.00
अनु० एच			
अग्रिमें डी०पी०ई०पी० से वसूलने योग्य			
चालू सम्पतियों, ऋण व अग्रिमें			राशि रु०
राजेश कुमार चालक			181,995.00
कुल रु०			181,995.00
अनु० एच			
के०जी०बी०वी० से प्राप्ति का विवरण			
शिमला			4,622,654.00
सिरमौर			4,000,000.00
चम्बा			35,880,450.00
कुल प्राप्ति योग्य			44,503,104.01
घटाव			
के०जी०बी०वी० को देय			39,697,000.00
नेट प्राप्ति योग्य के०जी०बी०वी० से			4,806,104.00



31/3/2013 को समाप्त वर्ष के लिए एस.एस.ए के अधीन उपयोगिता प्रमाण पत्र (शीर्ष सामान्य)
राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश

भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण						
क्र. सं.	स्वीकृति पत्र संख्या और तारीख	विवरण	मद	राशि (रुपये)		
				एस.एस.ए	एन.पी.ई.जी.ई.एल	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
ए	सहायता अनुदान- भारत सरकार अंश					
	एफ०19-5/2012 ई०ई० 81 से 3 दिनांक 09.05.12	सामान्य	316,244,000.00	445,000.00	1,304,000.00	317,993,000.00
	ii सं० 19-2/2009 ई०ई० 8 से 6 तक दिनांक 16.07.2012	सामान्य	224,092,000.00	315,000.00	924,000.00	225,331,000.00
	एफ० 19.5/2012 ई०ई० 8 दिनांक 12.03.2013	सामान्य	366,411,000.00	516,000.00	1,510,000.00	368,437,000.00
	योग	सामान्य	906,447,000.00	1,276,000.00	3,738,000.00	911,761,000.00
सहायता अनुदान- राज्य सरकार अंश						
बी	ई०डी०एन०-सी-सी० (1)2/2011 दिनांक 23.06.2012	सामान्य	230,000,000.00	0.00	0.00	230,000,000.00
	ई०डी०एन०-सी०एफ०(2)4/2009 दिनांक 18.07.2012	सामान्य	148,284,000.00	0.00	0.00	148,284,000.00
	ई०डी०एन०-सी०एफ०(2)4/2009 दिनांक 18.07.2012	सामान्य	170,285,000.00	240,000.00	702,000.00	171,227,000.00
	ई०डी०एन०-सी० एफ०(2)4/2009 दिनांक 26.10.2012	सामान्य	120,665,000.00	170000.00	4970000.00	121,332,000.00
	ई०डी०एन०-सी०एफ०(2)4/2009 दिनांक 14.03.2013	सामान्य	198,837,489.00	342,5110.00	820000.00	200,000,000.00
	योग ए	सामान्य	868,077,489.00	752,511.00	2,019,000.00	870,843,000.00
	कुल योग (ए+बी)	सामान्य	1,774,818,489.00	2,028,511.00	5757,000.00	1,782,604,000.00
सी	पिछले वर्ष का अव्यय शेष	सामान्य	253,750,381.30	1,003,177.00	32,156.00	254,785,714.30
डी	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	सामान्य	158,324,359.11	0.00	507,732.58	158,832,091.69
ई	अन्य प्राप्तियां	सामान्य	36,368.00	0.00	0.00	36,368.00
	कुल योग (ए+बी+सी+डी+ई)	सामान्य	2,186,929,597.41	3,031,688.00	6,296,888.58	2,196,258,173.99
	घटाव: खर्च 2012-13	सामान्य	2,028,265,393.24	3,031,688.00	9,840,229.42	2,041,137,310.66
	अव्यय शेष	सामान्य	158,664,204.17		(3,543,340.84)	155,120,863.33
	प्रस्तुतकर्ता					
	अग्रिम (एस०एस०ए०/ डी०पी०ई०पी०)	सामान्य	46,914,070.51			46,914,070.51
	शुद्ध अव्यय शेष (रोकड़ एवं बैंक शेष)	सामान्य	411,839,467.66		1,071,150.58	412,910,618.24
	चालू देनदारियां	सामान्य	300,089,334.00		4,614,491.42	304,703,825.42
	योग		158,664,204.17		(3,543,440.84)	155,120,863.33

यह प्रमाणित किया जाता है कि मु० 1,782,604,000/- रुपये (एक सौ अठत्तर करोड़ छब्बीस लाख चार हजार रुपये मात्र) की अनुदान सहायता प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रारम्भिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के पत्र संख्या के माध्यम से वर्ष 2012-13 के लिए मैबर सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश प्रा०शि० समिति के पक्ष में मंजूर की गई तथा वर्ष 2012.13 के दौरान अर्जित ब्याज की राशि मु० 158,832,091.69 रुपए (पंद्रह करोड़ अठासी लाख बत्तीस हजार इक्कानवे रुपए व उन्नहत्तर पैसे मात्र) तथा पिछले वर्ष मु० 36,368.00 रुपए (छत्तीस हजार तीन सौ अठसठ रुपए मात्र) एवं मु० 254,785,714.30 रुपए (पच्चीस करोड़ सनतालीस लाख पचासी हजार सात सौ चौदह रुपए व तीस पैसे मात्र) की अव्ययित राशि तथा मु० 2,041,137,310.66 रुपये (दो सौ चार करोड़ इकतालिस लाख सैंतिस हजार तीने सौ दस व छियासठ पैसे मात्र) की राशि उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गई है जिसके लिए वह स्वीकृत की गई थी तथा शेष मु० 155,120,863.33 रुपए (पंद्रह करोड़ इकावन लाख बीस हजार आठ सौ त्रेसठ रुपए व तैंतिस पैसे मात्र) की राशि की अन्य प्राप्तियां जो कि उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गई है जिसके लिए वह मंजूर की गई थी। जो कि मु० 46,914,070.51 रुपए (चार करोड़ उनहत्तर लाख चौदह हजार सत्तर रुपए इक्यावन पैसे मात्र) का अग्रिम घटाने के पश्चात तथा मु० 304,703,825.42 रुपए (तीस करोड़ सैंतालिस लाख तीन हजार आठ सौ पच्चीस रुपए बयालिस पैसे मात्र) की राशि देय लेखे में जोड़ने के पश्चात तथा मु० 412,910,618.24 रुपए (इकतालिस करोड़ उन्नतीस लाख दस हजार छः सौ अट्टारह रुपए चौबीस पैसे मात्र) की अव्ययित राशि अगले वर्ष में देय सहायता अनुदान में समायोजित कर दी जाएगी।

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस सम्बन्ध में अपनी संतुष्टि कर ली है जिन शर्तों पर सहायता अनुदान मंजूर किया गया था उनका पूर्ति की गई है और यह देखने के लिए कि निधि वस्तुतः उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गई है, जिसके लिए मंजूर की गई थी, हमने निम्न जांच की है।
- 2 जांच हेतु प्रयुक्त की गई विधियां
 - अ) लेखों का लेखापरीक्षित विवरण (प्रतिलिपि संलग्न)
 - ब) उपयोगिता प्रमाणपत्र
 - स) प्रगति रिपोर्ट (प्रतिलिपि संलग्न)

स्थान : शिमला

दिनांक : 18/12/2011

हस्ता-

राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान

**31/3/2013 को समाप्त वर्ष के लिए एस.एस.ए के अधीन उपयोगिता प्रमाण पत्र
(शीर्ष पूंजी)**


राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश

भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण						
	पत्र सं०	मद	सर्व शिक्षा अभियान	एन०पी० ई०जी० ई०एल०	के०जी० बी०वी०	योग
ए	एफ.19-5/2012 ई०ई० 8(1) से 6 दिनांक 16.07.12	पूँजी	161,969,000.00			161,969,000.00
	योग I		161,969,000.00			161,969,000.00
राज्य सरकार से अनुदान सहायता का विवरण						
बी	ई०डी०एन०सी० एफ० (2)4/2009 दिनांक 26.10.12	पूँजी	87,214,000.00			87,214,000.00
	योग II	पूँजी	87,214,000.00			87,214,000.00
	कुल अनुदान प्राप्त	पूँजी	249,183,000.00			249,183,000.00
सी	पिछले वर्ष का अव्ययित शेष	पूँजी	555,001,669.00		720,210.41	555,001,669.00
डी	पूर्व व्ययित राशि पुनः अंकित	पूँजी	96,369,880.06			96,369,880.06
	कुल योग (ए+बी+सी+ डी+ई)	पूँजी	900,554,549.06		720,210.41	900,554,549.06
	घटाव: खर्च 2012-13	पूँजी	616,302,975.84		210,625.00	616,302,975.84
	अव्यय शेष	पूँजी	284,251,573.22		509,585.41	284,251,573.22

	प्रस्तुत कर्ता				
	अग्रिमें (एस०एस०ए०/ डी०पी०ई०पी०)	पूँजी	275,757,297.00	701,298.00	275,757,297.00
	शुद्ध अव्यय शेष (रोकड़ एवं बैंक शेष)	पूँजी	64,513,649.02		64,513,649.02
	चालू देनदारियां	पूँजी	56,019,372.80	191,712.59	56,019,372.80
	योग		284,251,573.22	509,585.41	284,251,573.22

यह प्रमाणित किया जाता है कि मु० 2,49,183,000.00 रुपए (चौबीस करोड़ इक्कानवे लाख तिरासी हजार रुपए मात्र) की अनुदान सहायता प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रारम्भिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के पत्र संख्या के माध्यम से वर्ष 2012-13 के लिए मँबर सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश प्रा०शि० समिति के पक्ष में मंजूर की गई तथा वर्ष 2012.13 के दौरान पिछला अंकित खर्चा मु० 96,369,880.06 (नौ करोड़ तिरेसठ लाख उनहत्तर हजार आठ सौ अस्सी रुपए और छः पैसे मात्र) वापिस लिया तथा पिछले वर्ष मु० 55,57,21,879.41 (पच्चपन करोड़ सतावन लाख इक्कीस हजार आठ सौ उनासी रुपए और इक्तालिस पैसे मात्र) की अव्ययित राशि तथा मु० 61,65,13,600.84 रुपए (इकासठ करोड़ पैंसठ लाख तेरह हजार छ सौ रुपए एवं चौरासी पैसे मात्र) की राशि उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गई है जिसके लिए वह स्वीकृत की गई थी तथा शेष मु० 28,47,61,158.63 रुपए (अठाईस करोड़ सैंतालिस लाख इकसठ हजार एक सौ अठावन रुपए एवं तिरोसठ पैसे मात्र) की राशि की अन्य प्राप्तियां जो कि उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गई है जिसके लिए वह मंजूर की गई थी। जो कि मु० 27,64,58,595.00 रुपए (सताईस करोड़ चौंसठ लाख अठावन हजार पाँच सौ पचानवे रुपए मात्र) का अग्रिम घटाने के पश्चात तथा मु० 5,62,11,085.39 रुपए (पाँच करोड़ बासठ लाख ग्यारह हजार पचासी रुपए एवं उनतालिस पैसे मात्र) की राशि देय लेखे में जोड़ने के पश्चात तथा मु० 6,45,13,649.02 रुपए (छः करोड़ पैंतालिस लाख तेरह हजार छः सौ उनचास रुपए दो पैसे मात्र) की अव्ययित राशि अगले वर्ष में देय सहायता अनुदान में समायोजित कर दी जाएगी।

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस सम्बन्ध में अपनी संतुष्टि कर ली है जिन शर्तों पर सहायता अनुदान मंजूर किया गया था उनका पूर्ति की गई है और यह देखने के लिए कि निधि वस्तुतः उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गई है, जिसके लिए मंजूर की गई थी, हमने निम्न जांच की है।



2. जांच हेतु प्रयुक्त की गई विधियां
- अ) लेखों का लेखापरीक्षित विवरण (प्रतिलिपि संलग्नद्ध)
 - ब) उपयोगिता प्रमाणपत्र
 - स) प्रगति रिपोर्ट (प्रतिलिपि संलग्न)

स्थान : शिमला

दिनांक : 18 / 12 / 2011

हस्ता—
राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान

अनिल के सूद कम्पनी
चार्टर्ड ऐकाउंटेंट

यू०/एफ 56, लोअर बाजार शिमला
फोन न०-0177-2652285,98169-54000
ई-मेल- aksco@rediffmail.com

लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र


हमारे समक्ष सत्यापन के लिए प्रस्तुत बहियों और अभिलेखों के बल पर उक्त विवरण का हमने सत्यापन कर लिया है और यह पाया कि वह तदानुसार तैयार किया गया है।

कृते अनिल के, सूद एवं कम्पनी
सन्दी लेखाकार
फर्म रजि० नं० 07630 एन

हस्ता /—
(जितेन्द्र शर्मा)
साझेदार
एम० नं० 511025

स्थान: शिमला

दिनांक: 18.12.2013



एफ.एम.आर.-1

सर्व शिक्षा अभियान


बजट सारांश का विश्लेषण (पूर्ण योजना)

निरंतरता-वार्षिक

अंतिम वर्ष का अंतिम तिमाही 31-3-2013 तक

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश

(रु० लाखों में)							
क्र० सं०	राज्य का नाम हि० प्र०	ए०डब्लू० पी० एंड बी०	आरम्भिक शेष 01.04.2012 तक	भारत सरकार द्वारा प्रदान निधि	प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान निधि	टी एफ सी ए	व्यय
1.	स०शि०अ०	33146.91	8087.52	10687.16	7252.85	2300.00	26445.68
2.	एन०पी०ई० जी०ई०एल०	44.70	10.03	12.76	7.53	0.00	30.32
3.	के०बी०जी० वी०	137.95	7.53	37.38	20.19	0.00	100.51
	कुल	33329.56	8105.08	10737.30	7280.57	2300.00	26576.51



एफ.एम.आर. - 2
सर्व शिक्षा अभियान
बजट सारांश का विश्लेषण (पूर्ण योजना)
निरंतरता-अंश कालीन वार्षिक लेखा
समाप्ति वर्ष 31-03-2013 तक

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश

क्र० सं०	राज्य का नाम हि०प्र०	आरम्भिक शेष 01.04.2012 तक	प्रदान की गई 01.04.2012 से 31.03.2013 तक	व्यय 01.04.2012से 31.03.2013 तक
1.	स०शि०अ०	8087.52	20240.01	26445.63
2.	एन०पी०ई० जी०ई०एल०	10.03	20.29	30.32
3.	के०बी०जी० वी०	7.53	57.57	100.51
	कुल	8105.08	20317.87	26576.51

एफ.एम.आर. - 3

सर्व शिक्षा अभियान

गतिविधियों अनुसार व्यय एस०एस०ए० के अन्तर्गत (राज्यवार)

अर्द्धवार्षिक समाप्ति 30-09-2012 तक

(1-04-2012 से 30-09-2012 तक) एवं (1-04-2012 से 31-03-2013 तक)

राज्य का नाम-हिमाचल प्रदेश

क्र० सं०	गतिविधियों पर व्यय	अर्द्ध वर्ष समाप्त 30.09.2012	वित्तीय वर्ष
1	शिक्षक वेतन प्रा०, अप्पर प्रा०	4180.08	9077.47
2	खण्ड स्त्रोत समन्वयक	498.87	1141.78
3	संकुल स्त्रोत समन्वयक	996.84	1359.14
4	निर्माण कार्य	1204.07	5469.60
5	बाहर रह रहे बच्चों के लिए नवाचार	11.66	71.34
6	नवाचार गतिविधियाँ	127.49	1036.09
7	अक्षम बच्चों के लिए नवाचार	35.08	318.30
8	रख रखाव अनुदान	843.78	1058.22
9	मुख्य मुरम्मत प्रा० अपर प्रा०	307.35	642.46
10	शोध एवं मूल्यांकन	281.91	747.18
11	प्रबन्धन एवं एम० आई० एस०	25.20	90.07
12	मुफ्त किताबें व वर्दी प्रा०, अप्पर प्रा०	13.25	2420.07
13	स्कूल अनुदान	662.93	864.20
14	शिक्षक अनुदान	177.27	214.23
15	टी० एल० ई०	0.20	5.51
16	शिक्षक प्रशिक्षण	313.31	833.29
17	सामूदायिक प्रशिक्षण	383.65	754.73
18	सीमैट	0.00	0.00
19	एन० पी० ई० जी० ई० एल०	31.62	30.32
20	के० जी० बी० बी०	117.16	100.51
21	राज्य	116.66	249.95
22	स्कूल पुस्तकालय	7.04	73.28
23	एल० ई० पी०	0.00	18.77
	कुल	10335.42	26576.51

समेकित वार्षिक वित्तीय लेखा

राज्य हिमाचल प्रदेश					
समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2013					
स्रोत एवं एपलिकेशन					
					रु० लाखों में
		सर्व शिक्षा अभियान	एन०पी०ई० जी०ई०एल०	के०जी०बी०वी०	कुल
आरम्भिक शेष					
1	हस्तरत रोकड़	1.83	0.00	0.01	1.84
2		522.61	10.03	0.80	531.84
3		7563.08	0.00	8.32	7571.40
	कुल	8087.52	10.03	7.53	8105.08
स्रोत प्राप्ति					
1	स्रोत प्राप्ति				
2	भारत सरकार से प्राप्त निधि	10687.16	12.76	37.38	10737.30
3	राज्य सरकार से प्राप्त निधि	9552.85	7.53	20.19	9580.57
4	ब्याज	1583.24	0.00	5.08	1588.32
5	अन्य प्राप्ति	0.36	0.00	0.00	0.36
6	पिछला व्यय पुनःअंकित	963.70	0.00	0.00	963.70
	कुल प्राप्ति	30874.83	30.32	70.18	30975.33
एपलिकेशन व्यय					
		ए०डब्ल्यू०पी० एवं बी० द्वारा स्वीकृत		व्यय	बचत
1	शिक्षक वेतन		9638.55	9077.47	561.08
2	बी०आर०सी०		1531.00	1141.79	389.22
3	सी०आर०सी०		1778.77	1359.14	419.63
4	निर्माण कार्य		9774.54	6112.06	3062.48
5	ई०जी०एस०/ ए० आई०ई०		167.43	71.34	96.09
6	सुधार शिक्षण		0.00	0.00	0.00
7	मुफ्त किताबें व वर्दी		2712.55	2420.07	292.48

8	नवाचार व कम्प्यूटर से शिक्षा यू०पी०एस०	970.86	1036.09	65.23
9	आई०ई०डी०	434.13	318.30	115.83
10	स्कूल प्रबन्धन अनुदान	1119.23	1058.22	61.01
11	प्रबन्धन शुल्क	900.51	747.18	153.33
12	एल०ई०पी०	453.28	18.77	434.51
13	शोध एवं मूल्यांकन	119.79	90.07	29.72
14	स्कूल अनुदान	836.58	864.20	27.62
15	शिक्षक अनुदान	235.17	214.23	20.94
16	टी०एल०ई०	41.00	5.50	35.49
17	शिक्षक प्रशिक्षण	1106.90	833.29	273.61
18	सामूदायिक प्रशिक्षण	1014.48	754.73	259.75
19	सीमेट	0.00	0.00	0.00
20	राज्य का भाग	312.14	249.95	62.19
21	एन०पी०ई०जी०ई०एल०	44.70	30.32	14.38
22	के०जी०बी०वी०	137.95	100.51	37.44
23	स्कूल पुस्तकालय	0.00	73.28	73.28
	कुल	33329.56	26576.51	6753.05
	अंतिम शेष			
1	हस्तरत रोकड़	1.67	0.26	0.00
2	बैंक में रोकड़ .	4761.86	0.00	10.71
3	असमायोजित अग्रिम	3226.71	0.00	7.01
	कुल	7990.24	0.26	17.72

Abbreviations and Acronyms

AIR	All India Radio	NCB	National Competitive Bidding
ALS	Alternative Schools	NCE	Nodal Continuing Education Centre
AWP & B	Annual Work Plan and Budget	NCERT	National Council of Educational Research & Training
BPEO	Block Primary Education Officer	NCTE	National Council of Teacher Education
BRC	Block Resource Centre	NFHS	National Family Health Survey
BRCC	Block Resource Centre Coordinator	NEEM	National Elementary Education Mission
CHT	Centre Head Teacher	NER	Net Enrolment rate
CRC	Cluster Resource Centre	NFE	Non Formal Education
CRCC	Cluster Resource Centre Coordinator	NGO	Non Governmental Organisation
CWD	Children with Disabilities	NIC	National Informatic Centre
CWSN	Children With Special Needs	NIOH	National Institute of Orthopedically Handicapped
DPEO	District Primary Education Officer	NUEPA	National University of Educational Planning & Administration
DC	Deputy Commissioner	NIVH	National Institute of Visually Handicapped
DCFA	Deputy Controller Finance & Accounts	NLM	National Literacy Mission
DEC	Distance Education Coordinator	NPE	National Policy on Education
DPEP	District Primary Education Programme	NRRC	National Research and Resource Centre
DCF	Data Capture Format	PMIS	Project Management Information System
DIET	District Institute of Education and Training	PMRY	Prime Minister Rozgar Yojana
DISE	District Information System for Education	POA	Programme of Action
DEP	Distance Education Programme	PRA	Participatory Rural Appraisal
DG	Director General	PRI	Panchayati Raj Institution
DPE	Directorate of Primary Education	PTA	Parent Teacher Association
DPC	District Project Coordinator	RTE	Regional Institute of Education
DPO	Deputy Project Officer	SC	Scheduled Caste
DS	Deputy Secretary	SCERT	State Council of Educational Research and Training
EC	Executive Committee	SDP	School Development Plan
ECCE	Early Childhood Care and Education	SEC	School Education Committee
ECE	Early Childhood Education	SES	Selected Educational Statistics
Ed.CIL	Education Consultant India Ltd.	SIEMAT	State Institute of Educational Management & Training
EFA	Education For All	SIS	State Implementation Society
EGS	Education Guarantee Scheme	SMC	School Management Committee
EMIS	Educational Management information System	SNGC	Special Need Group Children
EVS	Environmental Science	SPD	State Project Director
GC	Governing Council	SPO	State Project Office
GER	Gross Enrolment Rate	SRC	State Resource Centre
GOI	Govt. of India	SRG	State Resource Group
HGVS	Himachal Gyan Vigyan Samiti	SSA	Sarva Shiksha Abhiyan
HI	Hearing Impaired	ST	Scheduled Tribes
HT	Head Teacher	SIM	Self Instructional Material
ICB	International Competitive Bidding	STEPS	State Educational Planning System
ICDS	Integrated Child Development Scheme	TLC	Total Literacy Campaign
IDA	International Development Agency	TLE	Teaching: Learning Equipment
IED	Integrated Education for Disabled	TLM	Teaching Learning Material
IGNOU	Indira Gandhi National Open University	TOR	Term of Reference
JBT	Junior Basic Teacher	TOT	Training of Trainers
JRM	Joint Review Mission	TTI	Teachers Training Incharge
MD	Mission Director	TSG	Technical Support Group
MHRD	Ministry of Human Resource Development	UEE	Universalisation of Elementary Education
MIS	Management Information System	UPE	Universal Primary Education
MR	Mental Retardation	VEC	Village Education Committee
MT	Master Trainer	VEP	Village Education Plan
MTA	Mother Teacher Association		